पंचम माला, खंड 55, अंक 6, सोमवार, 12 जनवरी, 1976/22 पौष, 1897 (शक)
Fifth Series, Vol. LV, No. 6, Monday, January 12, 1976/Pausa 22, 1897 (Saka)

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
LOK SABHA DEBATES

[पंद्रहवां सत्र
Fifteenth Session]

5th Lok Sabha

सत्यमेव जयते

[खंड 55 में अंक 1 से 10 तक हैं
Vol. LV contains Nos. 1 to 10]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये

Price : Two Rupees

[यह-लोक सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है ।]

[This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi]

विषय सूची/CONTENTS

अंक 6, सोमवार, 12 जनवरी, 1976/22 पौष, 1897 (शक)

No. 6, Monday, January 12, 1976/Pausa 22, 1897 (Saka)

विषय	SUBJECT	PAGES
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :	**Oral Answers to Questions :**	
तारांकित प्रश्न संख्या 81 से 85, 87, 89 और 90	Starred Questions Nos. 81 to 85, 87, 89 and 90 . .	1—17
प्रश्नों के लिखित उत्तर :	**Written Answers to Questions :**	
तारांकित प्रश्न संख्या 86, 88 और 91 से 100	Starred Questions Nos. 86, 88 and 91 to 100	18—24
अतारांकित प्रश्न संख्या 426 से 466 और 468 से 538	Unstarred Questions Nos. 426 to 466 and 468 to 538	24—85
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Paper Laid on the Table . . .	86—92
राज्य सभा से सन्देश	Message from Rajya Sabha . . .	92-93
सदस्य की पेरोल पर रिहाई (श्रीमती गायत्री देवी)	Release on Parole of Member. . . (Shrimati Gyatri Devi)	93
लोक लेखा समिति :	Public Accounts Committee :	
185वां प्रतिवेदन—प्रस्तुत	Hundered and Eighty-fifth Report—Presented	93
प्राक्कलन समिति :	Estimates Committee :	
83वां प्रतिवेदन—प्रस्तुत	Eighty-third Report—Presented .	93
अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति :	Committee on Subordinate Legislation :	
18वां प्रतिवेदन—प्रस्तुत	Eighteenth Report—Presented . .	94
सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति:	Committee on Government Assurances :	
13वां प्रतिवेदन—प्रस्तुत	Thirteenth Report—Presented . .	94

किसी नाम पर अंकित यह + इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

The Sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by him.

विषय	SUBJECT	PAGES
लाभ के पदों सम्बन्धी संयुक्त समिति :	Joint Committee on Offices of Profit:	
15वां और 16वां प्रतिवेदन–प्रस्तुत	Fifteenth & Sixteenth Reports—Presented	94
बम्बई हाई में हेलीकाप्टर दुर्घटना के बारे में वक्तव्य :	Statement Re. Helicopter Accident in the Bombay High :	
श्री के० डी० मालवीय	Shri K. D. Malaviya	94—95
अनुदानों की अनुपूरक मांगें (रेल), 1975–76—विवरण प्रस्तुत	Supplementary Demands for Grants (Railways), 1975-76—Statement Presented	96
भारतीय यूनिट ट्रस्ट (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित	Unit-Trust of India (Amendment) Bill—Introduced	96
भारतीय यूनिट ट्रस्ट (संशोधन) अध्यादेश, 1975 के बारे में विवरण—सभा पटल पर रखा गया।	Statement Re. Unit Trust of India (Amendment) Ordinance, 1975—Laid	96
आय और धन स्वैच्छया प्रकटन विधेयक—पुरःस्थापित	Voluntary Disclosure of Income and Wealth Bill—Introduced	97
आय और धन स्वैच्छया प्रकटन अध्यादेश, 1975 और आय और धन स्वैच्छया प्रकटन (संशोधन) अध्यादेश, 1975 के बारे में विवरण-सभा पटल पर रखे गये	Statement Re. Voluntary Disclosure of Income and Wealth Ordinance, 1975 and Voluntary Disclosure of Income and Wealth (Amendment) Ordinance, 1975—Laid	97
तस्कर और विदेशी मुद्रा छलसाधक (सम्पत्ति समपहरण) विधेयक—पुरःस्थापित	Smugglers and Foreign Exchange Manipulators (Forfeiture of Property) Bill—Introduced	97—98
तस्कर और विदेशी मुद्रा छलसाधक (सम्पत्ति समपहरण) अध्यादेश, 1975 के बारे में विवरण—सभा पटल पर रखा गया।	Statement Re. Smuggling and Foreign Exchange Manipulators (Forfeiture of Property) Ordinance, 1975—Laid	98
विक्रय संवर्धन कर्मचारी (सेवा की शर्त) विधेयक सभा पटल पर रखा गया:	Sales Promotion Employees (Conditions of Service) Bill—Laid on the Table :	
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to Consider	98
श्री राम सिंह भाई	Shri Ram Singh Bhai	98
श्रीमती रोजा देशपांडे	Shrimati Roza Deshpande	99

विषय	SUBJECT	PAGES
श्री के० गोपाल	Shri K. Gopal	99
श्री वयालार रवि	Shri Vayalar Ravi	99
श्री अमृत नाहाटा	Shri Amrit Nahata	100
श्री इन्द्रजीत गुप्त	Shri Indrajit Gupta	100
श्री मूल चन्द डागा	Shri M. C. Daga	100
श्री.रघुनाथ रेड्डी	Shri Raghunatha Reddy . . .	100—104
खण्ड 2 से 12 और 1	Clauses 2 to 12 and 1	102—104
पारित करने का प्रस्ताव—संशोधित रूप में	Motion to pass, as amended . . .	102—104
श्री रघुनाथ रेड्डी	Shri Raghunatha Reddy . . .	104
निर्वाचन विधि (सिक्किम पर विस्तार) विधेयक :	Election Laws (Extension to Sikkim) Bill :	
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider	104—106
डा० वी० ए० सईद मोहम्मद	Dr. V. A. Seyid Muhammad . .	104—105
डा० रानेन सेन	Dr. Ranen Sen	105
खण्ड 2, 3 और 1	Clauses 2, 3 and 1	105
पारित करने का प्रस्ताव	Motion to pass	105—106
डा० वी० ए० सईद मोहम्मद	Dr. V. A. Seyid Muhammad . .	106
आयात और निर्यात (नियन्त्रण) संशोधन विधेयक :	Imports and Exports (Control) Amendment Bill :	
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider	106—108
प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय	Prof. D. P. Chattopadhyaya . .	106
श्रीमती रोजा देशपांडे	Shrimati Roza Deshpande . .	107
खण्ड 2 से 7 और 1	Clause 2 to 7 and 1	108
पारित करने का प्रस्ताव	Motion to pass	108
प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय	Prof D P. Chattopadhyaya . . .	108
रेल उपक्रम द्वारा सामान्य राजस्व में देय लाभांश दर के बारे में संकल्प:	Resolution re. Rate of Dividend payable by the Railway Undertaking to General Revenues :	
श्री मोहम्मद शफी कुरेशी	Shri Mohd. Shafi Qureshi . . .	109—110
श्री समर मुखर्जी	Shri Samar Mukherjee . .	110—111

विषय	SUBJECT	PAGES
धनबाद के निकट चसनाला कोयला खान में हुई दुर्घटना के बारे में वक्तव्य :	Statement Re. Accident in the Chasnalla Coal Mines near Dhanbad :	
श्री चन्द्रजीत यादव	Shri Chandrajit Yadav . . .	111—124
धनबाद के निकट चसनाला कोयला खान में हुई दुर्घटना के बारे में चर्चा :	Discussion Re. Accident in the Chasnalla Coal Mines near Dhanbad :	
डा० रानेन सेन	Dr. Ranen Sen	112—114
श्री आर० एन० शर्मा	Shri R. N. Sharma	114—115
श्री समर मुखर्जी	Shri Samar Mukherjee . . .	115—116
श्री दामोदर पांडे	Shri Damodar Pandey . . .	116
श्री सत्येन्द्र नारायण सिन्हा	Shri Satyendra Narain Sinha . .	116—117
श्री शंकर दयाल सिंह	Shri Shankar Dayal Singh . .	117—118
सरदार स्वर्ण सिंह सोखी	Sardar Swaran Singh Sokhi . .	118
श्री जगन्नाथ मिश्र	Shri Jagannath Mishra . . .	118—119
श्री परिपूर्णानन्द पेन्यूली	Shri Paripoornanand Painuli . . .	119
श्री प्रियरंजन दास मुंशी	Shri Priya Ranjan Das Munshi .	119—120
श्री अमृत नाहाटा	Shri Amrit Nahata	120—12[illegible]

सदस्यों की वर्णानुक्रम सूची

पंचम लोक सभा

अ

अकिनीडू, श्री मगन्ती (गुडिवाडा)

अग्रवाल, श्री वीरेन्द्र (मुरादाबाद)

अग्रवाल, श्री श्रीकृष्ण (महासमुन्द)

अचल सिंह, श्री (आगरा)

अजीज इमाम, श्री (मिर्जापुर)

अंसारी, श्री जियाउर्रहमान (उन्नाव)

अप्पालानायडु, श्री (अनकपल्ली)

अम्बेश, श्री (फिरोजाबाद)

अरविन्द नेताम, श्री (कांकेर)

अलगेशन, श्री ओ० वी० (तिरुत्तनी)

अवधेश, चन्द्र सिंह (फरुखाबाद)

अहिरवार, श्री नाथूराम (टीकमगढ़)

आ

आगा, श्री सैयद अहमद (बारामूला)

आजाद, श्री भगवत झा (भागलपुर)

आनन्द सिंह, श्री (गोंडा)

आस्टिन, डा० हेनरी (एरणाकुलम)

इ

इसाहक, श्री ए० के० एम० (बसिरहाट)

इस्माइल, हुसैन खां श्री (बारपेटा)

उ

उइके, श्री मंगरू (मंडला)

उन्नीकृष्णन, श्री के० पी० (बडागरा)

उरांव, श्री कार्तिक (लोहारडगा)

उरांव, श्री टुना (जलपाईगुड़ी)

उलगनबी, श्री आर० पी० (वैल्लर)

ए

एन्थनी, श्री फ्रैंक (नाम निर्देशित आंग्ल भारतीय)

एगती श्री बीरेन (दीफू)

क

ककोटी, श्री रोबिन (डिब्रुगढ़)

कछवाय, श्री हुकम चन्द (मुरैना)

कटकी, श्री लीलाधर (नवगांव)

कडनापल्ली, श्री रामचन्द्रन (कासरगोड)

कतामुतु, श्री एम० (नागापट्टिनम)

कदम, श्री जे० जी० (वर्धा)

कदम, श्री दत्ताजीराव (हतकंगले)

कपूर, श्री सतपाल (पटियाला)

कमला कुमारी, कुमारी (पालामाऊ)

कमला प्रसाद, श्री (तेजपुर)

कर्ण सिंह डा० (ऊधमपुर)

कर्णी सिंह डा० (बीकानेर)

कल्याणसुन्दरम, श्री एम० (तिरुचिरापल्ली)

कलिंगारायार श्री मोहनराज (पोलाची)

कस्तूरे, श्री ए० एस० (खामगांव)

कादर, श्री एस० एं० (बम्बई मध्य दक्षिण)

कांबले, श्री एन० एस० (पंढ़रपुर)

काबले, श्री टी० डी० (लातुर)

काकोडकर, श्री पुरूषोत्तम (पजिम)

कामाक्षैया, श्री डी० (नेल्लोर)

काले, श्री (जालना)

कावड़े, श्री बी० आर० (नासिक)

काहनडोल, श्री (मालेगांव)

किन्दर लाल, श्री, (हरदोई)
किरुतिनन, श्री था (शिवगंज)
किस्कु, श्री ए० के० (झाड़ग्राम)
कुरील, श्री बैजनाथ (रामसनेहीघाट)
कुरेशी, श्री मुहम्मद शफी (अनन्तनाग)
कुलकर्णी, श्री राजा (बम्बई उत्तर पूर्व)
कुशोक, बाकुला, श्री (लद्दाख)
केदार नाथ सिंह, श्री (सुल्तानपुर)
कैलास, डा० (बम्बई दक्षिण)
केवीचुसा, श्री ए० (नागालैंड)
कोलाशट्टी, श्री ए० के० (बेलगांव)
कोया, श्री सी० एच० मोहम्मद (मंजेरी)
कौल, श्रीमती शीला (लखनऊ)
कृष्णन, श्री ई० आर० (सलेम)
कृष्णन, श्री एम० के० (पोन्नाणि)
कृष्णन्, श्री जी० वाई० (कोलार)
कृष्णन, श्रीमती पार्वती (कोयम्बूटूर)
कृष्णप्पा, श्री एस० वी० (हुस्कोटे)
कृष्णा कुमारी, श्रीमती (जोधपुर)

ख

खाडिलकर, श्री आर० के० (बारामती)

ग

गंगादेव, श्री पी० (अंगुल)
गंगादेवी, श्रीमती (मोहनलालगंज)
गणेश, श्री के० आर० (अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह)
गरचा, श्री देवेन्द्र सिंह (लुधियाना)
गावीत, श्री टी० एच० (नानदरबार)
गांधी, श्रीमती इंदिरा (रायबरेली)
गायकवाड़, श्री फतेहसिंह राव (बड़ौदा)
गायत्री देवी, श्रीमती (जयपुर)
गिरि, श्री एस० बी० (वारंगल)
गिरि, श्री वी० शंकर (दमोह)
गिल, श्री महेन्द्र सिंह (फिरोजपुर)
गुप्त श्री इन्द्रजीत (अलीपुर)
गुह श्री समर (कन्टाई)
गेंदा सिंह, श्री (पदरोना)
गोखले श्री एच० आर० (बम्बई उत्तर पश्चिम)
गोटखिन्डे, श्री अण्णसाहिब (सांगली)
गोगोई, श्री तरुण (जोरहाट)
गोदरा, श्री मनीराम (हिसार)
गोपाल, श्री के० (करूर)
गोपालन, श्री ए० के० (पालघाट)
गोमांगो, श्री गिरिधर (कोरापुट)
गोयन्का, श्री आर० एन० (विदिशा)
गोस्वामी, श्री दिनेश चन्द्र (गोहाटी)
गोस्वामी, श्रीमती विभा घोष (नवद्वीप)
गोहेन, श्री सी० सी० (नाम निर्देशित आसाम का उत्तर पूर्व सीमान्त क्षेत्र)
गोडफ्रे, श्रीमती एम० (नामनिर्देशित आंग्ल भारतीय)
गौडर, श्री जे० माता (नीलगिरी)
गौडा, श्री पम्पन (रायचूर)
गौतम, श्री सी० डी० (बालाघाट)

घ

घोष, श्री पी० के० (रांची)

च

चकलेश्वर सिंह, श्री (मथुरा)
चटर्जी श्री सोमनाथ (वर्दवान)
चतुर्वेदी, श्री रोहन लाल (एटा)

चन्द्र गौडा, श्री डी० वी० (चिकमगलूर)
चन्द्रप्पन, श्री सी० के० (तेल्लीचेरी)
चन्द्र शेखर सिंह, श्री (जहानाबाद)
चन्द्र शेखरप्पा वीर बासप्पा, श्री टी० वी० (शिमोगा)
चन्द्राकर, श्री चन्दूलाल (दुर्ग)
चन्द्रिका, प्रसाद, श्री (बलिया)
चव्हाण, श्रीमती प्रेमलाबाई (कराड़)
चव्हाण, श्री यशवन्तराव (सतारा)
चावड़ा, श्री के० एस० (पाटन)
चिक्कलिंगैया, श्री के० (मांडया)
चित्तिबाबू, श्री सी० (चिंगलपट)
चिन्नाराजी, श्री सी० के० (तिरुपत्तूर)
चेलाचामी, श्री ए० एम० (टेंकासी)
चौधरी, श्री अमर सिंह (मांडवली)
चौधरी, श्री ईश्वर (गया)
चौधरी, श्री त्रिदिव (बरहमपुर)
चौधरी, श्री नीतिराज सिंह (होशंगाबाद)
चौधरी, श्री बी० ई० (बीजापुर)
चौधरी, श्री मोइननुल हक (धुबरी)
चौहान, श्री भारत सिंह (धार)

छ

छुट्टन लाल, श्री (सवाई माधोपुर)
छोटे लाल, श्री (चैल)

ज

जगजीवनराम, श्री (सासाराम)
जदेजा, श्री डी० पी० (जामनगर)
जनार्दनन श्री सी० (त्रिचूर)
जमीलुर्रहमान, श्री मुहम्मद (किशनगंज)
जयलक्ष्मी, श्रीमती वी० (शिवकाशी)
जाफर शरीफ, श्री सी० के० (कनकपुरा)
जार्ज, श्री ए० सी० (मुकुन्दपुरम)
जार्ज, श्री वरके (कोट्टायम)
जितेन्द्र प्रसाद, श्री (शाहाजहांपुर)
जुल्फिकार अली खां, श्री (रामपुर)
जोजफ, श्री एम० एस० (पीरमाडे)
जोरदर, श्री दिनेश (माल्दा)
जोशी, श्री जगन्नाथ राव (शाजापुर)
जोशी, श्री पोपटलाल एम० (बनसकंठा)
जोशी, श्रीमती सुभद्रा (चांदनी चौक)

झ

झा, श्री चिरंजीव (सहरसा)
झा, श्री भोगेन्द्र (जयनगर)
झारखण्डे राय, श्री (घोसी)
झुनझुनवाला, श्री विश्वनाथ (चित्तौड़गढ़)

ट

टोम्बी सिंह, श्री एन० (आन्तरिक मनीपुर)

ठ

ठाकुर, श्री कृष्णराव, (चिमूर)
ठाकरे, श्री एम० वी० (यवतमाल)

ड

डागा, श्री मूल चन्द (पाली)
डोडा, श्री हीरा लाल (बांसवाड़ा)

ढ

ढिल्लो, डा० जी० एस० (तरनतारन)

त

तरोडकर, श्री वी० बी० (नान्देड़)
तुलसीराम, श्री वी० (पेद्दापल्लि)
तुलाराम, श्री (घाटमपुर)
तिवारी, श्री डी० एन० (गोपालगंज)

तिवारी, श्री रामगोपाल (बिलासपुर)
तिवारी, श्री शंकर, (इटावा)
तिवारी, श्री चन्द्रभान मनी (बलरामपुर)
तेवर, श्री पी० के० एम० (रामनाथपुरम)
तैयब हुसैन, श्री (गुड़गांव)

द

दंडपाणि, श्री सी० डी० (धारापुरम)
दत्त, श्री बीरेन (त्रिपुरा पश्चिम)
दंडवते प्रो० मधु (राजापुर)
दरबारा सिंह, श्री (होशियारपुर)
दलबीर सिंह, श्री (सिरसा)
दलीप सिंह, श्री (बाह्य दिल्ली)
दामाणी, श्री एस० आर० (शोलापुर)
दास, श्री अनादि चरण (जाजपुर)
दास, श्री धरनीधर (मंगलदायी)
दास, श्री रेणुपद (कृष्णनगर)
दासचौधरी, श्री बो० के० (कूच बिहार)
दासप्पा, श्री तुलसीदास (मैसूर)
दिनेश सिंह, श्री (प्रतापगढ़)
दीक्षित, श्री गंगाचरण (खंडवा)
दीक्षित, श्री जगदीश चन्द्र (सीतापुर)
दीवीकन, श्री (कल्लाकरीर्चा)
दुमादा, श्री एल० के० (डहानू)
दुबे, श्री ज्वाला प्रसाद (भंडारा)
दुराईरासु, श्री ए० (पैरम्बूलूर)
देव, श्री एस० एन० सिंह (बांकुरा)
देव, श्री दशरथ (त्रिपुरा पूर्व)
देव, श्री पी० के० (कालाहांडी)
देव, श्री राज राज सिंह (बोलनगीर)
देशमुख, श्री के० जी० (अमरावती)
देशमुख, श्री शिवाजी राव एस० (परभणि)
देशपांडे, श्रीमती रोजा (बम्बई मध्य)
देसाई, श्री डी० डी० (कैरा)
देसाई, श्री मोरारजी (सूरत)
द्विवेदी, श्री नागेश्वर (मछलीशहर)

ध

धर्मगज सिंह, श्री (शाहबाद)
धामनकर, श्री (भिवंडी)
धारिया, श्री मोहन (पूना)
धुसिया, श्री अनन्त प्रसाद (बस्ती)
धोटे, श्री जांबुवंत (नागपुर)

न

नन्दा, श्री गुलजारीलाल (कैथल)
नरेन्द्र सिंह, श्री (सतना)
नायक, श्री बक्शी (फूलबनी)
नायक, श्री बी० वी० (कनारा)
नायर, श्री एन० श्रीकान्तन (क्विलोन)
नायर, श्रीमती शकुन्तला (केसरगंज)
नाहाटा, श्री अमृत (बाड़मेर)
निंबालकर, श्री (कोल्हापुर)
नेगी, श्री प्रताप सिंह, (गढ़वाल)

प

पंडा, श्री डी० के० (भंजनगर)
पंडित, श्री एस० टी० (भीर)
पचनौर, श्री अरविन्द बाल (पांडीचेरी)
पटनायक, श्री जे० बी० (कटक)
पटनायक, श्री बनमाली (पुरी)
पटेल, श्री अरविन्द एम० (राजकोट)
पटेल, श्री एच० एम० (ढ़ढुका)
पटेल, श्री नटवर लाल (मेहसाना)
पटेल, कुमारी मणिबेन (साबरकंठा)
पटेल, श्री नानूभाई एन० (बलसार)
पटेल, श्री प्रभुदास (डाभोई)

पटेल, श्री आर० आर० (दादर तथा नगर हवेली)
पन्त, श्री कृष्ण चन्द्र (नैनीताल)
परमार, श्री भालजीभाई (दोहद)
पालोंडकर, श्री मानिकराव (औरंगाबाद)
पास्वान, श्री राम भगत (रोसेरा)
पहाड़िया, श्री जगन्नाथ (हिंडौन)
पांडे, श्री कृष्ण चन्द (खलीलाबाद)
पांडे, श्री तारकेश्वर (सलेमपुर)
पांडे, श्री दामोदर (हजारीबाग)
पांडे, श्री नरसिंह नारायन (गोरखपुर)
पांडे, श्री राम सहाय, (राजनन्द गांव)
पांडेय, डा० लक्ष्मीनारायण (मन्दसौर)
पांडे, श्री सरजू (गाजीपुर)
पांडे, श्री सुधाकर (चन्दौली)
पाओकाई, हाओकिप, श्री (ब्राह्मनीपुर)
पाटिल, श्री अनन्तराव (खेड़)
पाटिल, श्री ई० वी० विखे (कोपरगांव)
पाटिल, श्री एस० वी० (बागलकोट)
पाटिल, श्री कृष्णराव (जलगांव)
पाटिल, श्री टी० ए० (उस्मानाबाद)
पाटिल, श्री सी० ए० (धूलिया)
पाणिग्रही, श्री चिन्तामणि (भुवनेश्वर)
पराशर, प्रो० नारायण चन्द (हमीरपुर)
पारिख, श्री रसिकलाल (सुरेन्द्र नगर)
पार्थासारथी, श्री पी० (राजमपैट)
पिल्लै, श्री आर० बालकृष्ण (मावेलिकरा)
पुरती, श्री एम० एम० (सिंहभूम)
पेजे, श्री एस० एल० (रत्नागिरी)
पैन्यूली, श्री परिपूर्णानन्द (टिहरी गढ़वाल)
प्रधान, श्री धनशाह (शहडोल)
प्रधानी, श्री के० (नौरंगपुर)
प्रबोध, चन्द, श्री (गुरदासपुर)

ब

बनमाली बाबू, श्री (सम्बलपुर)
बनर्जी, श्री एस० एम० (कानपुर)
बनर्जी, श्रीमती मकुल (नई दिल्ली)
बनेरा, श्री हेमेन्द्र सिंह (भीलवाड़ा)
बडे, श्री आर० वी० (खरगोन)
बरूआ, श्री वेदव्रत (कालियाबोर)
बर्मन, श्री आर० एन० (बलूरघाट)
बसु, श्री ज्योतिर्मय (डायमंड हार्बर)
बसुमतारी, श्री डी० (कोकराझार)
बाजपेयी, श्री विद्याधर (अमेटी)
बादल, श्री गुरदास सिंह (फाजिल्का)
बाबूनाथ सिह, श्री (सरगुजा)
बारूपाल, श्री पन्नालाल (गंगानगर)
बालकृष्णन्, श्री के० (अम्बलपुजा)
बालकृष्णैया, श्री टी० (तिरूपति)
बासप्पा, श्री के० (चित्रदुर्ग)
बिष्ट, श्री नरेन्द्र सिंह (अल्मोड़ा)
वीरेन्द्र सिंह राव, श्री (महेन्द्रगढ़)
बूटा सिंह, श्री (रोपड़)
बेरवा, श्री ओंकार लाल (कोटा)
बेसरा, श्री सत्य चरण (दुमक)
ब्रजराज सिंह कोटा, श्री (झालावाड़)
ब्रह्मानन्द जी, श्री स्वामी (हमीरपुर)
ब्राह्मण, श्री रतनलाल (डार्जिलिंग)

भ

भगत, श्री एच० के० एल० (पूर्व दल्ली)
भगत, श्री बी० आर० (शाहबाद)
भट्टाचार्य, श्री एस० पी० (उलुबेरिया)

भट्टाचार्य, श्री जगदीश (घाटल)
भट्टाचार्य, श्री दीनेन (सीरमपुर)
भट्टाचार्य, श्री चपलेन्दु (गिरिडीह)
भागीरथ, भंवर श्री (झाबुआ)
भार्गव, श्री वशेश्वर नाथ (अजमेर)
भार्गवी, तनकप्पन श्रीमती (अडूर)
भाटिया, श्री रघुनन्दन लाल (अमृतसर)
भीष्मदेव, श्री एम० (नगरकुरनूल)
भुवाराहन, श्री जी० (मैटूर)
भौरा, श्री भान सिंह (भटिंडा)

म

मलिक, श्री मुख्तियार सिंह (रोहतक)
मंडल, श्री जगदीश नारायण (गोडा)
मंडल, श्री यमुना प्रसाद (समस्तीपुर)
मल्लिकार्जुन, श्री (मेडक)
मधुकर, श्री के० एम० (केसरिया)
मनहर, श्री भगतराम (जंजगीर)
मनोहरन, श्री के० (मद्रास उत्तर)
मल्होत्रा, श्री इन्द्रजीत (जम्मू)
महन्ती, श्री सुरेन्द्र (केन्द्रपाडा)
महाजन, श्री वाई० एस० (बुलडाना)
महाजन, श्री विक्रम (कांगडा)
महापात्र, श्री श्याम सुन्दर (बालासोर)
महाराज सिंह, श्री (मैनपुरी)
महिषी, डा० सरोजिनी (धारवाड़ उत्तर)
माझी, श्री भोला (जमुई)
मांझी, श्री कुमार (क्योंझर)
मांझी, श्री गजाधर (सुन्दरगढ)
मारक, श्री के० (तुर)
मारन, श्री मुरासोली (मद्रास दक्षिण)
मार्तण्ड, सिंह, श्री (रीवा)
मालन्ना, श्री के० (मधुगिरि)
मालवीय, श्री के० डी० (डुमरियागंज)
मायावन, श्री बी० (चिदाम्बरम्)
मायातेवर, श्री के० (डिंडिगुल)
मावलंकर, श्री पी० जी० (अहमदाबाद)
मिर्धा, श्री नाथूराम (नागौर)
मिश्र, श्री जनेश्वर (इलाहाबाद)
मिश्र, श्री जी० एस० (छिंदवाड़ा)
मिश्र, श्री जगन्नाथ (मधुवनी)
मिश्र, श्री विभूति (मोतीहारी)
मिश्र, श्री श्यामनन्दन (बेगूसराय)
मिश्र, श्री एस० एन० (कन्नौज)
मुकर्जी, श्री एच० एन० (कलकत्ता उत्तर पूर्व)
मुखर्जी, श्री सरोज (कटवा)
मुखर्जी, श्री समर (हावड़ा)
मूर्ति, श्री बी० एस० (अमालापुरम)
मुत्तुस्वामी, श्री एम० (तिरुचेंगोड़)
मुन्शी, श्री प्रियरंजन दास (कलकत्ता दक्षिण)
मुरुगनन्तम, श्री एस० ए० (तिरुनेलवेली)
मुरमू, श्री योगेशचन्द्र (राजमहल)
मेलकोटे, डा० जी० एस० (हैदराबाद)
मेहता, डा० जीवराज (अमरेली)
मेहता, श्री पी० एम० (भावनगर)
मेहता, डा० महिपतराय (कच्छ)
मोदक, श्री विजय (हुगली)
मोदी, श्री पीलू (गोधरा)
मोदी, श्री श्रीकिशन (सीकर)
मोहन स्वरूप, श्री (पीलीभीत)
मोहम्मद इस्माइल, श्री एम० (बेरकपुर)
मोहम्मद ताहिर, श्री (पूर्णिया)

मोहम्मद यूसूफ, श्री (सिवान)
मोहम्मद शरीफ, श्री (पेरियाकुलम)
मोहसिन, श्री एफ० एच० (धारवाड़ दक्षिण)
मौर्य, श्री बी० पी० (हापुड़)

य

यादव, श्री करन सिंह (बदायूं)
यादव, श्री चन्द्रजीत (आजमगढ़)
यादव, श्री डी० पी० (मुंगेर)
यादव, श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद (कटिहार)
यादव, श्री नागेन्द्र प्रसाद (सीतामढ़ी)
यादव, श्री राजेन्द्र प्रसाद (मधधेपुरा)
यादव, श्री शरद, (जबलपुर)
यादव, श्री शिवशंकर प्रसाद (खगरिया)

र

रघुरामैया, श्री के० (गुन्टूर)
रणबहादुर, सिंह श्री (सिधी)
रवि, श्री वयालार (चिरयिंकील)
राउत, श्री भोला (बगहा)
राज बहादुर, श्री (भरतपुर)
राजदेव सिंह, श्री (जौनपुर)
राजू, श्री एम० टी० (नरसापुर)
राजू, श्री पी० बी० जी० (विशाखापत्तनम)
राठिया, श्री उम्मेद सिंह (रायगढ़)
राधाकृष्णन् श्री एस० (कुडलूर)
रामकंवार, श्री (टोंक)
रामजी राम, श्री (अकबरपुर)
राम दयाल, श्री (बिजनौर)
रामदेव सिंह, श्री (महाराजगंज)
राम धन, श्री (लालगंज)
राम प्रकाश, श्री (अम्बाला)
राम सिंह भाई, श्री (इन्दौर)
राम हेडाऊ, श्री (रामटेक)
रामशेखर प्रसाद सिंह, श्री (छप्परा)
राम सूरत प्रसाद, श्री (बासगांव)
रामसेवक, चौधरी (जालौन)
राम स्वरूप, श्री (राबर्ट गंज)
राम, श्री तुलमोहन (अरारिया)
राय, श्री एस० के० (सिक्किम)
राय, श्री विश्वनाथ (देवरिया)
राय, डा० सरदीश (बोलपुर)
राय, श्रीमती माया (रायगंज)
राय, श्रीमती सहोदराबाई (सागर)
राव, श्रीमती बी० राधाबाई, ए० (भद्राचलम)
राव, श्री नागेश्वर (मचिलीपट्टनम)
राव, श्री एम० सत्यनारायण (करीमनगर)
राव, डा० के० एल० (विजयवाड़ा)
राव, श्री के० नारायण (बोबिली)
राव, श्री जगन्नाथ (छत्रपुर)
राव, श्री पट्टाभिराम (राजामुन्द्री)
राव, श्री पी० अंकिनीडु प्रसाद (ओंगोल)
राव, श्री जे० रामेश्वर (महबूबनगर)
राव, श्री राजगोपाल (श्रीकाकुलम)
राव, डा० बी० के० आर० वर्दराज (बेल्लारी)
राव, श्री एम० एस० सजीवी (काकीनाडा)
रिछारिया, डा० गोविन्ददास (झांसी)
रुद्र प्रताप सिंह, श्री (बाराबंकी)
रेड्डी, श्री वाई० ईश्वर (कड़प्पा)
रेड्डी, श्री एम० रामगोपाल (निजामाबाद)
रेड्डी, श्री के० रामकृष्ण (नलगोंडा)
रेड्डी, श्री के० कोदंडा रामी (कुरनूल)
रेड्डी, श्री पी० गंगा (आदिलाबाद)
रेड्डी , श्री पी० एंथनी (अनन्तपुर)
रेड्डी, श्री पी० नरसिंहा (चित्तूर)
रेड्डी, श्री पी० बायपा (हिन्दपुर)

रेड्डी, श्री पी० वी० (कावली)
रेड्डी, श्री बी० एन० (निरायालगुडा)
रेड्डी, श्री सिदराम (गुलबर्गा)
रोहतगी, श्रीमती सुशीला (बिल्लौर)

ल

लकप्पा, श्री के० (तुमकुर)
लक्ष्मीकांतम्मा, श्रीमती टी० (खम्मम)
लक्ष्मीनारायणन्, श्री एम० आर० (तिंडिवनम)
लक्ष्मणन्, श्री टी० एस० (श्री परेम्बदूर)
लम्बोदर बलियार, श्री (बस्तर)
लालजी, भाई श्री (उदयपुर)
लास्कर, श्री निहार (करीमगंज)
लिमये, श्री मधु (बांका)
लुतफ़ल हक, श्री (जंगीपुर)

व

वर्मा, श्री सुखदेव प्रसाद (नवादा)
वर्मा, श्री फूलचन्द (उज्जैन)
वर्मा, श्री बालगोविन्द (खेरी)
वाजपेयी, श्री अटल बिहारी (ग्वालियर)
विकल, श्री रामचन्द्र (बागपत)
विजयपाल सिंह, श्री (मुजफ्फ़रनगर)
विद्यालंकार, श्री अमरनाथ (चण्डीगढ़)
विश्वनाथन, श्री जी० (वान्डीवाश)
वीरभद्र सिंह, श्री (मंडी)
वीरय्या, श्री के० (पुदूकोटे)
वेंकटस्वामी, श्री जी० (सिद्दिपेट)
वेंकटासुब्बया, श्री पी० (नन्दयाल)
वेकारिया, श्री (जूनागढ़)

श

शंकर देव, श्री (वीदर)
शंकरानन्द, श्री बी० (चिकोडी)
शंकर दयाल सिंह, (चतरा)
शफ़कत जंग, श्री (कराना)
शफ़ी, श्री ए० (चांदा)
शम्भूनाथ श्री (सैदपुर)
शमीम, श्री एस० ए० (श्रीनगर)
शर्मा, श्री ए० पी० (बक्सर)
शर्मा, श्री नवलकिशोर (दौसा)
शर्मा, श्री माधोराम (करनाल)
शर्मा, श्री राम नारायण (धनबाद)
शर्मा, श्री राम रतन (बांदा)
शर्मा, डा० शंकर दयाल (भोपाल)
शर्मा, डा० हरि प्रसाद (अलवर)
शशि भूषण, श्री (दक्षिण दिल्ली)
शाक्य, श्री महादीपक सिंह (कासगंज)
शास्त्री, श्री राजाराम (वाराणसी)
शास्त्री, श्री रामावतार (पटना)
शास्त्री, श्री विश्वनारायण (लखीमपुर)
शास्त्री, श्री शिवकुमार (अलीगढ़)
शास्त्री, श्री शिवपूजन (विक्रमगंज)
शाहनवाज खां, श्री (मेरठ)
शिन्दे, श्री अण्णासाहिब पी० (अहमदनगर)
शिनाय, श्री पी० आर० (उदीपी)
शिवनाथ सिंह, श्री (झुनझुनु)
शिवप्पा, श्री एन० (हसन)
शुक्ल, श्री बी० आर० (बहराइच)
शुक्ल, श्री विद्याचरण (रायपुर)
शेट्टी, श्री के० के० (मंगलोर)
शेर सिंह, प्रो० (झज्जर)

शैलानी, श्री चन्द (हाथरस)

शिवस्वामी, श्री एम० एस० (तिरुचेंडूर)

स

संकटा प्रसाद, डा० (सिसरिख)

संतबख्श सिंह, श्री (फ़तेहपुर)

सईद, श्री पी० एम० (लक्षद्वीप, मिनिकाय तथा अमीनदीवी द्वीपसमूह)

सक्सेना, प्रो० एस० एल० (महाराजगंज)

सतीशचन्द्र, श्री (बरेली)

सत्पथी, श्री देवेन्द्र (ढेंकानाल)

सत्यनारायण, श्री बी० (पार्वतीपुरम)

सम्भली, श्री इसहाक (अमरोहा)

सरकार, श्री शक्ति कुमार (जयनगर)

सांगलियाना, श्री (मिजोरम)

सांघी, श्री नरेन्द्र कुमार (जालौर)

साठे, श्री वसन्त (आकोला)

सामन्त, श्री एस० सी० (तामलुक)

सामिनाथन, श्री ए० पी० (गोबीचेट्टिपलयम)

साल्वे, श्री नरेन्द्र कुमार (बेतूल)

सावन्त, श्री शंकरराव (कोलाबा)

सावित्री, श्याम श्रीमती (आंवला)

साहा, श्री अजीत कुमार (विष्णुपुर)

साहा, श्री गदाधर (वीरभूम)

सिन्हा, श्री सी० एम० (मयूरभंज)

सिन्हा, श्री धर्मवीर, (बाढ़)

सिन्हा, श्री आर० के० (फ़ैजाबाद)

सिन्हा, श्री सत्येन्द्र नारायण (औरंगाबाद)

सिंह, श्री डी० एन० (हाजीपुर)

सिंह, श्री नवल किशोर (मुजफ्फ़रपुर)

सिंह, श्री विश्वनाथ प्रताप (फ़ूलपुर)

सिद्धय्या, श्री एस० एम० (चामराजनगर)

सिद्धेश्वर प्रसाद, प्रो० (नालन्दा)

सिंधिया, श्री माधवराव (गुना)

सिंधिया, श्रीमती वी० आर० (भिंड)

सुदर्शनम, श्री एम० (नरसारावपेट)

सुन्दर लाल, श्री (सहारनपुर)

सुब्रह्मण्यम, श्री सी० (कृष्णगिरि)

सुब्रावलु, श्री (मयूरम)

सुरेन्द्रपाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)

सूर्यनारायण, श्री के० (एलूरू)

सेकैरा, श्री इराज्मुद (मारमागोआ)

सेझियान, श्री (कुम्बकोणम)

सेट, श्री इब्राहीम सुलेमान (काजीकोड)

सेठी, श्री अर्जुन (भद्रक)

सेन, श्री ए० के० (कलकत्ता उत्तर पश्चिम)

सेन, डा० रानेन (बारसाट)

सेन, श्री रोबिन (आसनसोल)

सैनी, श्री मुल्कीराज (देहरादून)

सोखी, सरदार स्वर्ण सिंह (जमशेदपुर)

सोमसुन्दरम, श्री एस० डी० (थंजावूर)

सोलंकी, श्री सोम चन्द (गांधीनगर)

सोलंकी, श्री प्रवीण सिंह (आनन्द)

सोहनलाल, श्री टी० (करौलबाग)

स्टीफन, श्री सी० एम० मुवत्तु (पुजा)

स्वर्ण सिंह, श्री (जालंधर)

स्वामीनाथन, श्री आर० वी० (मुदुरै)

स्वामी, श्री सिद्धरामेश्वर (कोपपल)

स्वैल, श्री जी० जी० (स्वायतशासी जिले)

ह

हंसदा, श्री सुबोध (मिदनापुर)

हनुमन्तैया, श्री के० (बंगलौर)

हरिकिशोर सिंह, श्री (पुपरी)
हरि सिंह, श्री (खुर्जा)
हाजरा, श्री मनोरंजन (आरामबाग)
हालदार, श्री माधुर्य (मथुरापुर)
हाल्दर, श्री कृष्णचन्द (औसग्राम)
हाशिम, श्री एम० एम० (सिकन्दराबाद)
हुडा, श्री नुरुल (कछार)
होरो, श्री एन० ई० (खुन्टी)

लोक सभा

अध्यक्ष

श्री बी० आर० भगत

उपाध्यक्ष

श्री जी० जी० स्वैल

सभापति तालिका

श्री भागवत झा आजाद

श्री इसहाक सम्भली

श्री वसंत साठे

श्री सी० एम० स्टीफन

श्री जी० विश्वनाथन्

महासचिव

श्री श्यामलाल शकधर

भारत सरकार

मंत्रीमंडल के सदस्य

प्रधान मंत्री, योजना मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री और अन्तरिक्ष मंत्री	श्रीमती इन्दिरा गांधी
विदेश मंत्री	श्री यशवन्तराव चव्हाण
कृषि और सिंचाई मंत्री	श्री जगजीवन राम
रेल मंत्री	श्री कमलापति त्रिपाठी
रक्षा मंत्री	श्री बंसी लाल
नौवहन और परिवहन मंत्री	डा० जी० एस० ढिल्लों
विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री	श्री एच० आर० गोखले
पैट्रोलियम मंत्री	श्री के० डी० मालवीय
उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री	श्री टी० ए० पाई
निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री	श्री के० रघुरमैया
पर्यटन और नागर विमानन मंत्री	श्री राज बहादुर
गृह मंत्री	श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी
रसायन और उर्वरक मंत्री	श्री पी० सी० सेठी
संचार मंत्री	डा० शंकर दयाल शर्मा
स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री	डा० कर्ण सिंह
वित्त मंत्री	श्री सी० सुब्रह्मण्यम

मंत्रालयों/विभागों के प्रभारी राज्य मंत्री

वाणिज्य मंत्री	प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय
पूर्ति और पुनर्वास मंत्री	श्री राम निवास मिर्धा
शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री	प्रो० एस० नुरुल हसन
ऊर्जा मंत्री	श्री कृष्ण चन्द्र पन्त
श्रम मंत्री	श्री रघुनाथ रेड्डी
सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री विद्याचरण शुक्ल
इस्पात और खान मंत्री	श्री चन्द्रजीत यादव

राज्य मंत्री

उद्योग और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मंत्री	श्री ए० सी० जार्ज
निर्माण और आवास मन्त्रालय में राज्य मंत्री	श्री एच० के० एल० भगत
स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्रालय में राज्य मंत्री	चौधरी राम सेवक
योजना मन्त्रालय में राज्य मंत्री	श्री आई० के० गुजराल
कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री शाहनवाज खां
उद्योग और पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मंत्री	श्री बी० पी० मौर्य
गृह मन्त्रालय, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री	श्री ओम मेहता
रक्षा मन्त्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री	श्री विठ्ठल गाडगिल
राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री	श्री प्रणव कुमार मुखर्जी
विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री	डा० वी० ए० सैयद मोहम्मद
रेल मन्त्रालय में राज्य मंत्री	श्री मुहम्मद शफी कुरेशी
उद्योग और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मंत्री	श्री ए० पी० शर्मा
कृषि और सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मंत्री	श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे
पर्यटन और नागरिक विमानन मन्त्रालय में राज्य मंत्री	श्री सुरेन्द्र पाल सिंह
नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मंत्री	श्री एच० एम० त्रिवेदी

उप-मंत्री

पैट्रोलियम मन्त्रालय में उप-मंत्री	श्री जियाउर्रहमान अंसारी
विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में उप-मंत्री	श्री वेदव्रत बरुआ
विदेश मन्त्रालय में उप-मंत्री	श्री बिपिनपाल दास
स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्रालय में उप-मंत्री	श्री ए० के० एम० इसहाक
रसायन और उर्वरक मन्त्रालय में उप-मंत्री	श्री सी० पी० माझी
गृह मन्त्रालय में उप-मंत्री	श्री एफ० एस० मोहसिन
शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री	श्री अरविन्द नेताम
संचार मन्त्रालय में उप-मंत्री	श्री जगन्नाथ पहाड़िया
कृषि और सिंचाई मन्त्रालय में उप-मंत्री	श्री प्रभुदास पटेल
रक्षा मन्त्रालय में उप-मंत्री	श्री जे० बी० पटनायक
संसदीय कार्य विभाग में उप-मंत्री	श्री बी० शंकरानन्द
ऊर्जा मन्त्रालय में उप-मंत्री	श्री सिद्धेश्वर प्रसाद
इस्पात और खान मन्त्रालय में उप-मंत्री	श्री सुखदेव प्रसाद

वित्त मन्त्रालय में उप-मंत्री	श्रीमती सुशीला रोहतगी
रेल मन्त्रालय में उप-मंत्री	श्री बूटा सिंह
नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में उप-मंत्री	श्री दलबीर सिंह
कृषि और सिंचाई मन्त्रालय में उप-मंत्री	श्री केदार नाथ सिंह
वाणिज्य मन्त्रालय में उप-मंत्री	श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह
सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप-मंत्री	श्री धर्मवीर सिंह
पूर्ति और पुनर्वास मन्त्रालय में उप-मंत्री	श्री जी० वेंकटास्वामी
श्रम मन्त्रालय में उप-मंत्री	श्री बाल गोविन्द वर्मा
शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री	श्री डी० पी० यादव

लोक सभा
LOK SABHA

सोमवार, 12 जनवरी, 1976/22 पौष, 1897 (शक)
Monday, January 12, 1976/Pausa 22, 1897 (Saka)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये
MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

नारियल बोर्ड

***81. श्री सी० के० चन्द्रप्पन :**

श्री एस० ए० मुरुगनन्तम :

क्या **कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि नारियल बोर्ड बनाने की प्रबल मांग है;

(ख) जिन राज्यों में मुख्य वाणिज्यिक फसल नारियल है, क्या उन्होंने वहां नारियल बोर्ड बनाने के लिए हाल ही में मन्त्री महोदय को अभ्यावेदन भेजे थे; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस सम्बन्ध में शीघ्र ही निर्णय करने का है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) तथा (ख). जी हां। हाल ही में कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें नारियल बोर्ड बनाने का सुझाव दिया गया है।

(ग) इस मामले पर भारत सरकार सावधानी से विचार कर रही है और यथा-शीघ्र निर्णय लिया जाएगा।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : केरल तथा अन्य राज्यों में नारियल की खेती में बड़े पैमाने पर लग गई बीमारी को देखते हुए क्या सरकार का ध्यान इस ओर दिलाया गया है कि इसे दूर करने के लिए अखिल भारतीय स्तर पर कोई समन्वित प्रयास शीघ्र करने की आवश्यकता है ताकि रोगमुक्त पौधे लगाने की योजनाबद्ध और क्रमवार कार्यवाही की जा सके ? क्या सरकार केरल जैसे राज्यों की सहायता करेगी जहां ऐसे प्रयास करने के लिए नारियल बोर्ड बने हुए हैं ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : मैं इसका उत्तर हां में ही दूंगा। सदस्य महोदय इसमें गहरी रुचि दिखा रहे हैं और इस इस मास की 21 तारीख को नारियल उगाने वाले राज्यों के सभी संसद् सदस्यों से परामर्श करने वाले हैं। ताकि सदस्य महोदय द्वारा दिए गए सुझाव के इलावा भी यदि कोई और सुझाव हो तो केन्द्र सरकार नारियल उगाने वाले विभिन्न राज्यों की सरकारों की सहायता कर सके और नारियल उत्पादकों के साथ भी हम इस समस्या पर चर्चा कर सकें।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : मन्त्री महोदय द्वारा दिए गए इस निश्चित उत्तर के लिए हम आभारी हैं। परन्तु मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार का ध्यान इस इतने ही महत्वपूर्ण विषय की ओर दिलाया गया है कि नारियल के मूल्यों में तेजी से गिरावट आई है जिससे नारियल उत्पादन पर प्रभाव पड़ता है ? शायद मन्त्री महोदय को यह भी ज्ञात है कि 90 प्रतिशत से अधिक उत्पादक लघु किसान हैं ? इस प्रकार इससे मुख्यतः नारियल उत्पादक कुछ राज्यों की अर्थ-व्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ता है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ऐसे कदम उठाएगी जिनसे उत्पादकों के हितों और नारियल के उत्पादन को इस संकट से बचाया जा सके ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे: वास्तव में भारत लघु किसानों का ही देश है। और विशेषकर नारियल उत्पादकों के पास बहुत छोटे-छोटे भू-खण्ड हैं। सरकार को पता है कि हाल ही में नारियल के भाव काफी गिरे हैं। परन्तु सदस्य महोदय को पता होगा कि इस देश में खाद्य तेलों के भाव बहुत ऊंचे हैं और वे उपभोक्ताओं की क्षमता से परे हैं। हम सब इन के भाव कम करने में लगे हुए हैं। इस प्रकार यदि मूल्य गिरे हैं तो यह बहुत अच्छा लक्षण है। केवल इसी बात की चिन्ता है कि वे अचानक न गिरें क्योंकि इससे कृषि अर्थ-व्यवस्था में अव्यवस्था आती है। सरकार का ध्यान इस ओर लगा हुआ है।

डा० हेनरी आस्टिन : क्या मन्त्री महोदय को पता है कि देश में स्थापित किए जा रहे नारियल अनुसन्धान केन्द्र, जैसे कायमकुलम या कसरगोड़ में, इस स्थिति का मुकाबला करने में असमर्थ हैं जैसा कि श्री चन्द्रप्पन ने बताया है कि कीड़े नारियल के पौधों को चट करते जा रहे हैं और यदि ऐसा चलता रहा तो केरल के लोगों को इस राज्य का नाम बदलना पड़ेगा। केरल का अर्थ है नारियल की भूमि और अनुमान है कि अगले 25 वर्ष में इन पेड़ों का नाम तक नहीं रहेगा। इस रोग का इतना व्यापक असर पड़ा है। हमारे अनुसन्धान केन्द्रों ने इस विपदा का मुकाबला नहीं किया है। क्या मन्त्री महोदय इस विषय में सभा को बताएंगे ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : एक विचार यह हो सकता है कि हमारे अनुसन्धान केन्द्र नारियल अर्थ-व्यवस्था को बचाने के लिए काफी कुछ कर सकते हैं। किन्तु में निराशावादी रवैया अपनाने को तैयार नहीं हूं। वास्तव में हमें नई संकर किस्म खोजने में सफलता मिली है। केरल में तथा अन्यत्र सहायक नर्सरियां स्थापित की गयी है ताकि रोगग्रस्त नारियल—पौधों के स्थान पर नए पौधे लगाए जा सकें। मनुष्यों की भांति पेड़ों को भी यदि भोजन ना मिले और उनकी ठीक से देखभाल न की जाये तो रोग उन पर अधिक जोरदार हमला करता है। केरल में सिचाई उर्वरक, उर्वरक और अन्य पोषक पदार्थ उन्हें

पूरी मात्रा में उपलब्ध नहीं हुए । वहां अन्य उपाय भी नहीं किए गए । इसीलिए पड़ौसी राज्य, तमिलनाड़ में उपज कहीं अधिक है । सरकार इन बातों पर ध्यान दे रही है और सदस्य महोदय को ऐसी कोई आशंका नहीं होनी चाहिए कि केरल में नारियल की खेती समाप्त हो जायेगी । नारियल केरल की भविष्य की अर्थ-व्यवस्था में वही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहेगा ।

किसानों को कृषि बीजों की बिक्री

82. **श्री के० एम० मधुकर** : क्या **कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार किसानों को कृषि बीज किस मूल्य पर बेच रही है; और

(ख) गांवों में और विशेषकर बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और आसाम में ये बीज कहां तक उपलब्ध थे ?

कृषि तथा सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे): (क) तथा (ख). भारत सरकार प्रत्यक्ष रूप से कृषकों को कोई बीज नहीं बेचती हैं । बीजों की मांग का अनुमान लगाने तथा उनके उत्पादन एवं वितरण की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी मुख्य रूप से राज्य सरकारों की है । राज्य सरकारें अपने-आप या सहकारी संस्थाओं के माध्यम से मांग पूरी करने के लिये विभिन्न फसलों के पर्याप्त संकर बीज या अधिक उपज देने वाली किस्मों के बीजों के वितरण की व्यवस्था करती हैं । मूल्यों पर असम, बिहार, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल की राज्य सरकारें जिन मूल्यों पर कुछ महत्वपूर्ण फसलों के बीजों का विक्रय करती हैं, वे अनुबन्ध में दिये गये हैं । असम, बिहार, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल की राज्य सरकारों से प्राप्त जानकारी के अनुसार यह सुनिश्चित करने के लिये व्यवस्था की गई थी कि वहां खरीफ, 1975 तथा रबी 1975-76 के दौरान बीजों की कोई कमी न हो ।

अनुबन्ध

राज्य	फसल	बीज का मूल्य (प्रति क्विटल रु० में)
असम . . .	गेहूं	277.50 और 270.50
	धान	200 से 300 तक
	पटसन	320
	मक्का	500
	सोयाबीन	950
बिहार . . .	धान	253.50 से 271.50 तक
	गेहूं	275
	मक्का	415 और 436

1	2	3
उत्तर प्रदेश . . .	धान	130 से 170 तक
	मक्का	
	ज्वार	150
	बाजरा	
	गेहूं	180
पश्चिम बंगाल . . .	गेहूं	225 से 290 तक
	धान	150 से 280 तक
	पटसन	600
	आलू	130

Shri K. M. Madhukar: Sir, the Minister's reply is evasive and misleading because as against his statement that Centre has no responsibility as far as supply of Seeds to States like Bihar, U.P., West Bengal and Assam is concerned, the Maize-Seed supplied by the National Seeds Corporation to farmers was totally ineffective resulting in heavy loss to farmers. I want to know why such seeds were supplied and whether Government would inquire into this supply and which officials of the Corporation were responsible therefor ? I also want to know the action taken by Government and whether their attention has been drawn towards this correct ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : इस विशेष उदाहरण के बारे में मैं कह सकता हूं कि मेरा मन्त्रालय इसकी जांच करना चाहेगा और इसमें माननीय सदस्य का सहयोग अपेक्षित है। हमने यह प्रश्न सभी राज्य सरकारों को सम्बोधित किया था और उन्होंने उत्तर में यही बताया है कि जहां तक सप्लाई का सम्बन्ध है ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली है। यदि किसी भाग में बीज ही असफल रहा हो तो इसकी जानकारी मुझे नहीं है।

Shri K. M. Madhukar: According to his reply the requirements of State Governments have been fully met, but I feel otherwise. I, therefore want a concrete reply regarding the quantity of seeds asked for by Bihar Government and the quantity supplied by the Centre ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : मेरे पास पुरा विवरण है जिसमें बताया गया है कि बिहार सरकार ने कितना मांगा था और कितनी सप्लाई उसे की गयी। उदाहरणार्थ, धान के प्रभावी बीज की आवश्यकता 34 हजार टन और राज्य सरकार के पास इसकी उपलब्धता 27 हजार टन थी। राष्ट्रीय बीज निगम के पास यह 37 सौ टन और तराई निगम के पास 2 हजार टन थी। स्वयं बिहार सरकार के अनुसार भी इसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है।

Shri Narsinh Narain Pandey: The paddy-seeds supplied in recent years have not proved to be suitable in those soil-conditions and atmosphere and its germinating capacity ended within two months of sowing, therefore it failed to sprout. I want to know whether such complaints were received and whether arrangements would be made accordingly for Rabi and Kharif seasons after examining the suitability of seeds in different kinds of soils as there are soil testing committees and Experiment Centres in each district ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : यह ठीक है कि देश के विभिन्न भागों में कृषि सम्बन्धी जलवायु की स्थिति इतनी भिन्न है कि एक ही संगठन सभी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकेगा और इसीलिए हमने राज्य सरकारों को सलाह दी है कि वे अपने अपने राज्यों में बीज निगम बनाएं। हमने राज्य सरकारों

को यह भी सुझाव दिया है कि केवल बीज निगम बनाना ही काफी नहीं है और उन्हें प्रम. **णन अभिकरण** भी स्वतन्त्र रूप से बनाने होंगे जिन पर भ ोसा किया जा सके ताकि किसानों को घटिया **बीज न मि.** । जहां तक राष्ट्रीय बीज निगम का सम्बन्ध है, यदि यह प्रमाणित हो जाये कि उसने किसी किसान को घटिया बीज दिया है तो उस किसान को मुआवजा दिया जायेगा ।

श्री अनन्त राव पाटिल : बीज बेचने का प्रश्न बीजों के उत्पादन से जुड़ा हुआ है । हमारे देश में विभिन्न संगठन बीजों का उत्पादन करते हैं जैसे, पूसा संस्थान बहुत बढ़िया बीज उगाता है । राज्य सरकारें, कृषि विश्वविद्यालय और कुछ किसान भी बीज उगाते हैं । जहां तक बीजों का सम्बन्ध है, बढ़िया बीजों के प्रमाणीकरण के लिए कोई उचित व्यवस्था नहीं है और अनेक बार किसानों को घटिया बीज मिलते हैं । मैं जानना चाहता हूं कि क्यों उपरोक्त अभिकरणों में बीजों के उत्पादन में किसी समन्वय की आवश्यकता नहीं है और क्या बीजों के प्रमाणीकरण की किसी व्यवस्था की आवश्यकता नहीं है ताकि किसानों को नुकसान न हो ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : जी हां, मैं भी यही कहूंगा कि समन्वय बिल्कुल आवश्यक है । मेरे मन्त्रालय का भी यही अनुमान है और इसीलिए हमने बीजों के सम्बन्ध में गतिविधियों के समन्वय हेतु एक केन्द्रीय बोर्ड बनाया है । दूसरे, जैसा कि मैं बता चुका हूं राज्य सरकारें और केन्द्रीय सरकार स्वतन्त्र प्रमाणन एजेंसियां बना रही हैं और सरकार इनके लिए वित्तीय सहायता भी देने को तैयार है । प्रवर्तन व्यवस्था भी आवश्यक है । हमने राज्य सरकारों को सलाह दी है कि प्रवर्तन व्यवस्था की जाये ।

डा० रानेन सेन : सभी जानते हैं कि केन्द्र सरकार विभिन्न एजेंसियों से बीज लेकर राज्यों को सप्लाई करता है । क्या एक राज्य से दूसरे राज्य में इनके मूल्यों में भारी अन्तर है ? आसाम में गेहूं का भाव 277.5 रुपये, उत्तर प्रदेश में 180 रुपये और पश्चिम बंगाल मे 225 रुपये है । गेहूं और धान के मामले में इतना अधिक अन्तर क्यों है ? क्या ऐसा विभिन्न राज्यों से विभिन्न मूल्य प्राप्त करने के कारण है या क्या राज्य स्वयं अपने मूल्य निश्चित करते हैं ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : सबसे पहले मैं यह बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार किसी को भी बीज सप्लाई नहीं करती । राष्ट्रीय बीज निगम, राज्य फार्म निगम और तराई निगम जैसे सरकारी क्षेत्र और अर्ध-सरकारी क्षेत्र के बीज संगठनों द्वारा बीज सप्लाई किए जाते हैं । जहां तक राष्ट्रीय बीज निगम का सम्बन्ध है हम सभी राज्यों को एक ही मूल्य पर बीज सप्लाई करते हैं । होता यह है कि राज्य सरकारें विभिन्न एजेन्सियों से बीज खरीदती हैं और बाद में भाव निश्चित किए जाते हैं । मूल्यों में इसलिए अन्तर पड़ जाता है । ऐसा इसलिए नहीं है कि राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा सप्लाई किए जाने वाले बीजों में कोई अन्तर होता है ।

अमरीका से तौल से कम गेहूं भेजा जाना

*83. **श्री हरिकिशोर सिंह :**

श्रीमती पार्वती कृष्णन् :

क्या **कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस आशय के समाचार देखे हैं कि भारत को खाद्यान्नों का लदान करते समय अमरीकी कम्पनियों ने अधिकृत रूप से घोषित मात्रा से कम मात्रा में ेहूं सप्लाई किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं; और

(ग) क्या वहां स्थित भारतीय एजेंटों से कोई पूछताछ की गई है और तौल की जांच न करने के लिये उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे): (क) और (ख): सरकार ने इस आशय की प्रेस रिपोर्टें देखी हैं, जिनमें मैसर्स बंगे कार्पोरेशन, न्यु यार्क के निम्नस्तर के एक कर्मचारी ने बयान दिया था कि डैस्ट्रेहन के उनके एलीवेटर से भारत और अफ्रीकी देशों को जाने वाले जहाजों में कार्पोरेशन कम वजन में खाद्यान्न भेज रहा है।

(ग) वाशिंगटन स्थित भारतीय दूतावास, जो कि भारत सरकार की ओर से संयुक्त राज्य अमेरिका से सभी खाद्यान्नों की ख ीदारी करने के लिए जिम्मेदार है, को कहा गया है कि वे वस्तुस्थिति का पता लगाएं।

श्री हरिकिशोर सिंह: इससे कई प्रश्न उठते हैं। सबसे पहले तो मैं मंत्री महोदय से यह जनना चाहता हूं कि क्या सरकार के पास सही जांच करने वाली कोई ऐसी एजेन्सी है जो इस बात का पता लगा सके कि वस्तु तौल से कम है अथवा नहीं ? क्या सरकार को इस बात का पता केवल अमरीकी रिपोर्टों से चला अथवा सरकार के पास अपना एक संगठन अथवा एजेन्सी है ? दूसरे, कम तौल से लगभग कितना होगा ? क्या इसके बारे में कोई अनुमान लगाया गया है ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : माननीय सदस्य की जानकारी हेतु मैं यह बताना चाहता हूं कि विधान के अन्तर्गत न केवल अमरीका में बल्कि कनाडा तथा आस्ट्रेलिया जैसे अधिकांश महत्वपूर्ण निर्यातक देशों में एक जसा कानून है। हमारे द्वारा निरीक्षण का कोई अर्थ नहीं क्योंकि उनके निरीक्षकों द्वारा किया गया निरीक्षण उन देशों के कानून के अन्तर्गत अन्तिम होता है। हमने अमरीकी सरकार से इस मामले पर बात की है। लेकिन वे अपने कानून के अनुसार चलते हैं और इसलिए हमारे प्रमाणाकंन की कोई मान्यता नहीं। जहां तक स्वतन्त्र प्रमाणाकंन एजेन्सी बनाने के प्रश्न का सम्बन्ध है, हमने वाशिंगटन में स्थित इण्डिया सप्लाई मिशन की सहायता से कुछ अरसा पहले इस त र्ज पर विचार किया था। वहां नियुक्त हमारे प्रतिनिधियों के चाहे जो भी विचार हो रहे हों यदि उनको कानूनी मान्यता नहीं दी जा सकती, ो इस बारे में विदेशी मुद्रा व्यय करने का क्या लाभ है ? जहां तक कम तौल का सम्बन्ध है, इसका पता हमें अमरीकी प्रैस से तथा वहां न्यायालय में चल रही कार्यवाही से ही चला। हमने यह मामला फ़िर से भारतीय दूतावास को भेज दिया है। हम ब्यौरा इकट्ठा कर रहे हैं। अभी तक हमारे पास ब्यौरा नहीं आया है।

श्री हरिकिशोर सिंह : क्या अमरीका द्वारा घोषित मात्रा से कम गेहूं सप्लाई करने से होने वाले घाटे के मुआवज के बारे में भारत सरकार ने अमरीकी सरकार से बातचीत की है ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : मामले न्यायालय में हैं। अभी तक उनकी पुष्टि नहीं हुई। पुष्टि होते ही हम निश्चित रूप से मुआवजा मागेंगे।

श्री के० गोपाल : मंत्री महोदय ने बताया है कि अमरीकी पत्तनों से लदे माल के तौल की जांच के लिए हमारे पास कोई एजेन्सी नहीं है, तथा हमारे निरीक्षण का कोई अर्थ नहीं है। मैं मंत्री महोदय से यह जनना चाहता हूं कि क्या सही तौल को सुनिश्चित करने के लिए हमारे पत्तनों र माल उतरते समय कोई निरीक्षण किया जाता है ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : दुर्भाग्यवश हमारे पत्तनों पर स्वचालित भार तौलन मशीनें नहीं हैं और माल उतारने का काम मजदूर करते हैं। साथ ही, यदि मशीनें लगाई जाएं तो इस पर काफ़ी खर्च आता है और दूसरी ओर इससे मजदूर बेकार हो जाते हैं। अतः हम हाथों से बोरियां भरते हैं। हालांकि इससे नुक्सान है क्योंकि मजदूरों द्वारा बोरियां भरने के कारण सही तौल का पता नहीं चल पाता।

श्री जगन्नाथ राव : मंत्री महोदय ने कहा है कि निरीक्षण के लिए हमारे पास कोई एजेन्सी नहीं है। फ़िर भी, मैं यह जनना चाहता हूं कि क्या लदान अमरीकी सरकार के निरीक्षणालय द्वारा अथवा वाणिज्यिक संस्था द्वारा प्रमाणित तौल के आधार पर किया जात है ? क्या वहां कोई जांच की जाती है, अथवा हम उस माल को ज्यों का त्यों स्वीकार कर लेते हैं ? क्या सरकार की नीति इस बात की जांच करना नहीं है कि तौल उतना ही है अथवा नही जितना लदान सूची में दिखाया गया है ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : मैं अनुमानित वजन की बात कर रहा था। वजन का अनुमान लगा लिया जाता है और गिनती की जाती है। जिस पद्धति से हम काम करते हैं, उससे सही तौल का पता नहीं चल पाता।

जल संसाधनों के बारे में द्वितीय विश्व कांग्रेस

*84. **श्री राम सहाय पांडे :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जल संसाधन द्वितीय विश्व कांग्रेस दिसम्बर, 1975 में नई दिल्ली में हुई थी; और

(ख) यदि हां, तो उसम क्या मुख्य सिफ़ारिशें की गई और उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री केदार नाथ सिंह) : (क) जी हां।

(ख) विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

जल संसाधनों पर द्वितीय विश्व कांग्रेस द्वारा की गई मुख्य सिफ़ारिशें संक्षिप्त में नीचे दी गई हैं :–

(1) जल को एक राष्ट्रीय सम्पदा के रूप में माना जाना चाहिए और जल संसाधनों

के विकास का आयोजन क्षेत्रीय तथा राष्ट्रीय आधार पर राजनीतिक सीमाओं पर ध्यान न देते हुए व्यापक योजनाएं (मास्टर प्लान्स) तैयार करना होना चाहिए जिसमें एक स्पष्ट रूप से निर्धारित राष्ट्रीय जल-नीति के आधार पर ये तैयार की जानी चाहिए ।

(2) तल, जल तथा भूमिगत जल के संयुक्त रूप से उपयोग की आवश्यकता है । अन्वेषण की नई तकनीकों जैसे दूरवर्ती प्रभावनीयता (रीमोट सेंसिंग) तथा रेडियों धर्मी का अधिकतम प्रयोग किया जाना चाहिए ।

(3) जल संसाधनों के आयोजन में पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रतिकुल प्रभावों को न्यून अथवा कम करने के उपायों पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए ।

(4) कम विकसित देशों के लिए व्यर्थ जाने वाले जल के शोधन के विकास हेतु अनुसंधान कार्य की आवश्यकता है ।

(5) ताल शीतल प्रणालिलों पर तथा ताप विद्युत केन्द्रो से ठंडे जल जल निकास-द्वारा मछलियों के जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों पर आगे अनुसंधान करने की आवश्यकता है ।

(6) जल प्रबंध में अन्य क्षेत्र जैसे आर्थिक, स्वास्थ्य रक्षा, सामाजिक प्रभावों आदि को भी शामिल किया जाना चाहिए ।

(7) सिंचाई प्रणालियों के उपर्युक्त डिजाइन जिसमें जल सप्लाई एवं नियंत्रण प्रणालियो का सुधार शामिल हैं, के द्वारा काफ़ी जल की बचत हो सकती है ।

सरकार ने उपर्युक्त सिफ़ारिशों को नोट कर लिया है ।

श्री राम सहाय पाँडेय : विवरण में कहा गया है :

"जल को एक राष्ट्रीय सम्पदा के रूप में माना जाना चाहिए और जल संसाधनों के विकास का आयोजन क्षेत्रीय तथा राष्ट्रीय आधार पर राजनीतिक सीमाओं पर ध्यान न देते हुए व्यापक योजनाएं तयार करना होना चाहिए. . . . ." सबसे पहले मैं श्री जगजीवन राम को बधाई देता हूं कि उन्होंने गोदावरी जल विवाद को हल करने के लिए अपने पद का उपयोग किया । समझौते की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? दूसरे नर्मदा जल विवाद तथा अन्य जल विवादों के बारे में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

अध्यक्ष महोदय : यह इस प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है । कृपया जल संसाधनों पर प्रश्न पूछें, जल विवा ों पर नहीं ।

श्री राम सहाय पाँडेय : इन दोनों में क्या अन्तर है? जल नदी का ही तो भाग है । विश्व जल का दसवां भाग हमारे देश में हैं। हम उसको किस प्रक र काम में लाएंगे ?

श्री केदार नाथ सिंहः : इसके लिए नोटिस दिया जाए ।

श्री प्रियरंजन दास मुन्शी : विवरण में कहा गया है "...संसाधनों के विकास का आयोजन क्षेत्रीय तथा राष्ट्रीय आधार पर राजनीतिक सीमाओं पर ध्यान न देते हुए व्यापक योजनाएं तैयार करना होना चाहिए जिसमें एक स्पष्ट रूप से निर्धारित राष्ट्रीय जल नीति के आधार पर ये तैयार की जानी चाहिए" इस संदर्भ में मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या तीस्ता, पद्मा आदि नदियों के जल का अधिकतम प्रयोग करने के लिए भारत और बंगलादेश ने व्यापक योजना बनाई है ?

श्री केदार नाथ सिंह: इसके लिए भी नोटिस दिया जाए ।

श्री प्रियरंजन दास मुन्शी : तब प्रश्न का क्या लाभ है ?

श्री केदार नाथ सिंह : इस प्रश्न पर सम्मेलन में विचार नहीं किया गया था क्योंकि इस सम्मेलन का आयोजन गैर-सरकारी संगठन द्वारा किया गया था और उन्होंने जो सिफ़ारिशें कीं, हम उन पर अपने देश के संदर्भ में विचार कर रहे हैं । अतः जहां तक पद्मा नदी का सम्बन्ध है, यह एक अन्तर्राष्ट्रीय नदी है और हम इस पहलू पर विचार नहीं कर रहे ।

श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी : मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि इन सिफ़ारिशों पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया हुई है और विशेषकर पहली सिफ़ारिश पर जिसमें कहा गया है कि जल को राष्ट्रीय सम्पदा के रूप में माना जाए ? क्या सरकार का संवैधानिक परिवर्तन करने तथा जल संसाधनों को प्रथम सूची में लाने का विचार है ? सिफ़ारिश संख्या 6 के बारे में क्या कार्यवाही की जा रही है जिसमें कहा गया है कि जल प्रबन्धकों को अर्थ व्यवस्था, सफाई, सामाजिक प्रभाव आदि विषयों पर भी विचार करना चाहिए । उदाहरण के तौर पर, हाल में प्राप्त रिपोर्टों से पता चला है कि गंगा नदी में जल संदूषण इतना बढ़ गया है कि अब उसकी पवित्रता ही समाप्त हो गई है और इसका जल स्वास्थ्य के लिए हानिकर हो गया है । क्या सरकार ने इस सिफ़ारिश को क्रियान्वित करने के लिए कोई कार्यवाही की है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

श्री केदार नाथ सिंह : सरकार ने आयोग की सिफारिशों पर ध्यान दिया है और राष्ट्रपति ने भी दोनों सदनों के सम्मुख अपने अभिभाषण में इसका उल्लेख किया है । हम इस पहलू पर अच्छी प्रकार से विचार कर रहे हैं ।

कालेजों में रीडरशिप

*85. **श्री सरोज मुखर्जी** :

श्री समर मुखर्जी :

क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कालेजों में रीडरशिप सम्बन्धी अपने प्रस्ताव के बारे में जानकारी दे दी है ;

(ख) क्या बहुत से कालेजों ने, विशेष रूप से अल्पसंख्यकों के कालेजों ने, इस प्रस्ताव का विरोध किया है ; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नूरुल हसन) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) जिन विश्वविद्यालयों को उक्त योजना भेजी गई थी उनसे, सरकार और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग दोनों में किसी को भी कोई ऐसे अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुए हैं जिनमें प्रस्तावों का विरोध किया गया हो । आयोग को कुछेक कालेजों से कुछ सुझाव प्राप्त हुए हैं । . आयोग उन पर विचार कर रहा है ।

श्री सरोज मुखर्जी : क्या मंत्री महोदय यह जानकारी देंगे कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सिफारिशों के क्रियान्वयन के समय अर्थात् रीडरशिप पद के लिए नई भर्ती के समय उन 700 'सिलेक्शन ग्रेड' प्राप्त अध्यापकों का क्या होगा जो इस समय रीडर पद के समकक्ष हैं ?

प्रो० एस० नूरुल हसन : मुझे यह बताया गया है कि दिल्ली के कालेजों के लगभग 400 'सिलेक्शन ग्रेड' प्राप्त अध्यापकों ने 9 जनवरी, 1976 को रिट याचिका दायर की है । अतः इस पर टिप्पणी करना उचित नहीं है ।

श्री सरोज मुखर्जी : अल्पसंख्यक कालेजों, अर्थात् तेलगू, तमिल तथा मलयालम जैसी दक्षिण भारतीय भाषाओं के अल्पसंख्यक भाषायी विभाग से ये सुझाव मिले हैं कि वहां 3—4 अर्हता प्राप्त अध्यापक हैं, न कि 6-1 नई सिफारिशों के अनुसार, जब तक 6 अध्यापक न हों, रीडरशिप का पद नहीं बनाया जाता । रीडरशिप का पद बनाने के लिए वे अपने विभाग में 2—3 अर्हता प्राप्त अध्यापक चाहते हैं । अल्पसंख्यक भाषायी विभाग के बारे में मंत्री महोदय की क्या प्रतिक्रिया है और वह क्या सुझाव देना चाहते हैं ?

प्रो० एस० नूरुल हसन : आयोग इन विषयों पर विचार कर रहा है ।

श्री प्रियरंजन दास मुन्शी : मंत्री महोदय की क्या प्रतिक्रिया है और क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के किसी प्रस्ताव पर विचार किया गया है अथवा नहीं ? इस समय विश्वविद्यालय में चार प्रकार के पदों की प्रणाली चल रही है—अध्यापक, रीडर, प्रोफेसर तथा 'स्पेशल चेयर' । मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या यह एक स्थायी प्रणाली है कि इन पदों को विश्व-विद्यालयों अथवा विश्वविद्यालयों के माध्यम से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा वरीयता के आधार पर अथवा शैक्षिक योग्यता और कुशलता के आधार पर भरा जाता है ? क्या यह परम्परा है अथवा नहीं ?

प्रो० एस० नूरुल हसन : यह प्रश्न पूरी तरह समझ नहीं आया ।

श्री प्रियरंजन दास मुन्शी : मेरा प्रश्न यह है कि पदों के भरते समय वरीयता को ध्यान में रखा जाता है अथवा उनकी कुशलता तथा शैक्षिक योग्यता को ?

प्रो० एस० नूरुल हसन : अधिकांश विश्वविद्यालयों की यह प्रथा रही है और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की भी यही नीति है, जिसे सरकार भी स्वीकार करती है, कि योग्यता के आधार पर अखिल भारतीय स्तर पर खुली प्रतियोगिता के माध्यम से पद भरे जाएं ।

प्रो० नारायण चन्द पाराशर : मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि कालेजों में रीडर नियुक्त करने का निर्णय कब किया गया था ? दूसरे, क्या दिल्ली विश्वविद्यालय तथा प्राधिकारियों

के लिए यह आवश्यक नहीं था कि वे रिट याचिका दायर करने से पूर्व इस प्रश्न पर निर्णय करवा लेते और विशेषकर ऐसी परिस्थितियों में जबकि रिट दायर करने की तिथि (9 जनवरी, 1976) तथा मूल स्थिति में समय का अन्तराल था ?

प्रो० एस० नुरुल हसन : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने योजना के बारे में विभिन्न विश्वविद्यालयों को 13 अगस्त को पत्र लिखा था। इस पत्र में यह कहा गया था कि विश्वविद्यालयों को नवम्बर या दिसम्बर के अन्त तक विस्तृत योजनाएं भेजनी हैं। दिल्ली अध्यापकों से प्राप्त अभ्यावेदन को उपकुलपति ने 1 जनवरी, 1976 के पत्र के माध्यम से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को भेज दिया। अत: 1 जनवरी और 9 जनवरी के बीच सारा समय नहीं बीता था ?

पटना में विनाशकारी बाढ़ से हुआ नुकसान

*87. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत अगस्त में विनाशकारी बाढ़ के कारण पटना नगर में करोड़ों पयों का नुकसान हुआ था ;

(ख) यदि हां, तो इस नुकसान के सरकारी तथा गैर सरकारी अनुमान क्या हैं ;

(ग) क्या सरकार ने पटना नगर के बाढ़ पीड़ित लोगों की समस्याओं का समाधान निकालने के लिए कोई योजना बनाई है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री केदार नाथ सिंह) : (क) से (घ) विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) जी, हां।

(ख) राज्य सरकार से प्राप्त सूचनाओं के अनुसार, राज्य सरकार के विभागों तथा जनसुविधाओं को लगभग 10.15 करोड़ पए की प्रारम्भिक अनुमानित हानि हुई है। अन्तिम आंकड़ों को अभी भी संकलित किया जा रहा है। राज्य सरकार ने यह भी सूचित किया है कि निजी संपत्तियों को हुई हानि का अभी मूल्यांकन नहीं किया गया है परन्तु इसका करोड़ों रुपयों तक होने की सम्भावना है। इसके अतिरिक्त कुछ पुस्तकालयों तथा कार्यालय अभिलेखों में मूल्यवान कागजों का भी नुकसान हुआ है जिनकी क्षति रुपयों में नहीं लगाई जा सकती।

(ग) और (घ). बिहार सरकार ने बाढ़ों के तुरन्त पश्चात् अगस्त, 1975 में पटना में आई बाढ़ों की जांच करने और भविष्य में ऐसी ही विध्वंसकारी बाढ़ों से सुरक्षा के लिए उपाय सुझाने हेतु एक उच्चस्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया था। इस समिति के अध्यक्ष केन्द्रीय जल आयोग के सदस्य (बाढ़) हैं और इसमें अध्यक्ष, गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग, राज्य सरकार के सिंचाई विभाग के दो मुख्य इंजीनियर तथा बिहार विधान सभा के दो सदस्य शामिल

हैं। इस समिति ने नवम्बर, 1975 में अपनी अन्तरिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है और इसमें बाढ़ सुरक्षा तथा जल निकास कार्यों की जिन्हें प्राथमिकता के आधार पर हाथ में लिया जाना है, सिफारिश की गई है। इस समिति की अंतिम रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है।

समिति द्वारा हाथ में लिये जाने के लिये सिफारिश किए गए प्रथम प्राथमिकता के आधार पर मुख्य कार्यों की मदें निम्न प्रकार हैं:—

(1) नाजुक स्थानों में पश्चबन्ध के साथ दीधा से मैनर तक गंगा के दक्षिण तट पर तटबन्ध/पक्की दीवार का निर्माण।

(2) सोम के दक्षिण तट के साथ मैनर से सैयदाबाद तक एक नये तटबन्ध का निर्माण।

(3) खजुरी, वितरणी तथा पंचहुआ नाले के जरिए नौबतपुर के प्रति प्रवाह में पटना नहर से एक अतिवाही (स्केप) चैनल का निर्माण।

(4) दानापुर वितरणी को ऊंचा करना और सुदृढ़ करना।

(5) पटना में वर्तमान शहरी जलनिकास का सुधार करना और पुनर्रूपण करना।

इस समिति ने यह भी सिफारिश की है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जल-निकास प्रणाली के पुनर्रूपण और पुन-पुन के वाम तटबन्ध को इसकी ऊपरी पहुंचों में नये तटबन्धों के निर्माण के साथ ऊंचा करने तथा सुदृढ़ करने के कार्य को द्वितीय प्राथमिकता के आधार पर हाथ में लिया जाये।

Shri Ramavatar Shastri : Mr. Speaker, in their statement regarding the loss suffered due to devastating floods in Patna in August this year, Government have stated that at present government loss is estimated at Rs. 10·25 crore and the loss to people is being worked out. It is evident that it will also be of the same order at least, *i.e.* there is loss to the tune of Rs. 20—25 crore. In this context I would like to know whether it is a fact that before the floods in Patna or Danapur on 23—24th August the Government of Madhya Pradesh had warned the Bihar Government possibly on 21st August about the outlet of water from the State. In spite of the above warning the Bihar Government have made no arrangements as a result of which the people and the State Government had to face this calamity ? May I know whether it was not possible to save Patna City provided government officers had shown alertness and paid attention to the warning given to them by the Madhya Pradesh Government and whether all this had not resulted in such a calamity ?

Shri Kedar Nath Singh : Nobody can deny the fact that there were devastating floods in Patna. Bihar Government have appointed a Commission in this respect and all these aspects are before it. It can be discussed after the report is received.

Shri Ramavatar Shastri: I had asked whether Madhya Pradesh Government had given a warning or not ? What the report has to do in it ? If it is so, then say yes and if not, say no.

Another thing is that Government have stated that *ad hoc* recommendations have been made by some committees. I would like to know the steps taken so far to implement the recommendations made by the Committee appointed in this regard to prevent floods in July again and whether Bihar Government have demanded certain funds from the Central Government for the purpose ? May I know whether it is also a fact that a delegation comprising of the leaders of all the parties of the Bihar Vidhan Sabha has visited Delhi recently ? The delegation met the Irrigation Minister also and whether they made any recommendations or submitted any memorandum to him, if so, the details thereof ? What are their recommendations to save Bihar and Patna from floods indicating Government's reaction thereto so that we are assured that the citizens of Patna have not to face such devastating floods next year ?

Shri Kedar Nath Singh: Every effort is being made to prevent recurrence of such devastating floods next year. Steps are being taken in this regard and in the first report submitted by the Committee an amount of Rs. 8·50 crore has been demanded out of which Rs. 2·50 crore have been provided. They have been asked to spend this amount by 31st March and implement its recommendations.

Shri Jagannath Mishra: I do not want to go into the matter that prior intimation regarding floods was given or not but I would like to say that the floods were devastating and hair-raising and wrought havoc in Bihar. The statement given by Government contains so many immediate and long-term steps to be taken to save Patna. In this very context I would like to know whether the hon. Minister is aware that all Party coordination Committee visited Delhi recently and it has demanded Rs. 23·50 crore and whether it is a fact that Bihar Government have demanded Rs. 189 crore for a scheme to save Patna. If so, the action proposed to be taken by Government in this regard ?

The Minister of Agriculture and Irrigation (Shri Jagjivan Ram): Legislators from Bihar came here. The hon. Member is aware that according to the recommendations of the 6th Finance Commission such calamities are dealt with under their Plan itself. They came here to plead that Bihar is not in a position to do so. In case the funds required for flood control are drawn out of the Plan of Bihar Government, the entire development of Bihar will come to a stand still. They saw the Prime Minister, the Finance Minister and myself also. In this context it will be necessary to go into question of making certain changes in the recommendation of the 6th Finance Commission so as to help Bihar or not.

Shri Genda Singh: I feel floods in Patna were not of Bihar only. Floods in the big rivers of Uttar Pradesh and Madhya Pradesh had presented a scene of devastation in Patna. At that time Shri Jagjivan Ram visited Patna and Gorakhpur. His attention was drawn to the fact that Gandak, Rapti, Ghaghara, Ganga and Some rivers are responsible for devastating floods in Patna and whether some arrangements will be made. His reply was that Government would certainly do something in this regard. This is a very serious matter. If these rivers are not tamed, the damage caused to Bihar and Eastern U.P. could not be averted easily. I feel this work should be given top priority during emergency otherwise it would become difficult to handle the situation.

Shri Jagjivan Ram: Shri Genda Singh has raised a vital point. There is no doubt that most of the rivers of Eastern U.P. and North Bihar originate from Himalayas and their current is very strong. During floods they become furious. Its remedy can be found through talks with Nepal and as the House is aware that talks were held with the Maharaja of Nepal and his Ministers on the matter that experts from both the countries should see as to which of the rivers can be tamed to control floods to utilise water for irrigation purposes and to generate power. I feel some progress has been made in this regard. Representati ves of both the countries will meet and discuss the various schemes to control floods in Eastern U.P. and Bihar.

मोन्ट्रियल ओलम्पिक में भाग लेने की तैयारी

***89. श्री प्रियरंजन दास मुन्शी** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन ओलम्पिक एसोसिएशन ने इस वर्ष मोन्ट्रियल ओलम्पिक में भारतीय दल के भाग लेने की तैयारी कर ली है; और

(ख) क्या उनके मंत्रालय ने इण्डियन फुटबाल टीम को ओलम्पिक से पहिले होने वाले खेलों में भाग लेने की अनुमति दी है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव): (क) और (ख). 1976 में होने वाले ओलिम्पिक खेलों में, भारत द्वारा भाग लेने

के सम्बन्ध में भारतीय ओलिम्पिक संघ तथा अखिल भारतीय खेलकूद परिषद् के बीच प्रारम्भिक विचार-विमर्श हो चुका है। भारतीय टीमों द्वारा भाग लेने के सम्बन्ध में पारस्परिक रूप से मान लिये गये मानदंडों के अनुसार केवल हाकी टीम ही स्पष्ट रूप से पात्र होगी। इसके प्रशिक्षण का कार्यक्रम शुरू कर दिया गया है।

इसके अतिरिक्त कुछ उन उत्कृष्ट खिलाड़ियों को भी अनुमति दी जायेगी जो पहले से शुरू किये हुए कार्यक्रम के अनुसार और आगे प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद उपयुक्त स्तर पर खरे उतरेंगे।

ओलिम्पिक खेलों में भारतीय फुटबाल टीम द्वारा भाग लेने के प्रश्न पर अखिल भारतीय खेलकूद परिषद् ने भारतीय ओलिम्पिक संघ के परामर्श से सावधानीपूर्वक विचार किया है और भाग लेने की सिफारिश नहीं की है।

भारतीय फुटबाल टीम पूर्व ओलिम्पिक खेलों में सन् 1964 से भाग लेती आ रही है और एशियाई क्षेत्र से एक बार भी अर्हता प्राप्त नहीं की है। तेहरान में वर्ष 1974 में हुए एशियाई खेलों में, भारतीय फुटबाल टीम अपने खेले गये तीनों मैचों में बुरी तरह से हार गई थी। अतः अखिल भारतीय खेल परिषद् ने आगामी पूर्व ओलिम्पिक टुर्नामेंट में भी इसके द्वारा भाग लेने की सिफारिश नहीं की है।

भारत सरकार को फुटबाल के स्तर गिरने से गम्भीर चिन्ता है। सरकार अखिल भारतीय खेल परिषद्, भारतीय ओलिम्पिक एसोशिएशन तथा अखिल भारतीय फुटबाल फेडेरेशन के साथ परामर्श करके इस मामले में आवश्यक कार्यवाई करेगी।

श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी : इतने लम्बे विवरण में भी भारतीय फुटबाल टीम को ओलिम्पिक खेलों में भाग लेने की अनुमति न देने के कारण नहीं बताये गये। मैं जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री महोदय को पता है कि ओलिम्पिक खेलों में भाग लेने का सिद्धान्त पुरस्कार या पदक जीतना नहीं है बल्कि संसार भर के खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करना और देशों को सम्मानित करना तथा उन्हें विभिन्न खेलों को बढ़ावा देने और इनका विकास करने के लिए प्रोत्साहित करना है। यदि भारत इस डर से ओलिम्पिक-पूर्व के अभ्यासों में भाग नहीं लेता कि वह मैच हार जायेगा तो क्या इसका परिणाम अन्तर्राष्ट्रीय ओलिम्पिक समिति द्वारा भारतीय फुटबाल टीम को भविष्य में ओलिम्पिक खेलों में भाग लेने से रोकना नहीं होगा ?

मैं ये भी जानना चाहता हूं कि भारत सरकार ने गत पांच वर्षों में प्रति वर्ष औसतन कितना धन खेलों के संवर्धन पर खर्च किया है ?

श्री डी० पी० यादव : माननीय सदस्य ने देश में फुटबाल का स्तर गिरने पर ठीक ही चिन्ता प्रकट की है। मैं उनका ध्यान उस समिति की सिफारिश की ओर दिलाना चाहता हूं जिसके वह स्वयं एक सदस्य थे, जो इस प्रकार है :

> "जहां देश में सामान्य खेल-कूद प्रतियोगिताओं को प्रोत्साहन दिया जायेगा, वहां अन्तर्राष्ट्रीय-प्रतियोगिताओं में केवल उन्हीं खेलों को अनुमति दी जायेगी जिनमें भारतीय खिलाड़ियों ने अन्तर्राष्ट्रीय मानदण्डों के लगभग समान मानदण्ड प्राप्त कर लिये हों।"

श्री मुन्शी ने यही सुझाव दिया था। उनके प्रश्न के तीसरे भाग के उत्तर में मुझे बताना है कि योजनागत तथा गैर-योजनागत वित्तीय उपबन्ध लगभग 1.61 करोड़ रुपए (1975–76) होगा।

श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी : मुझे खुशी है कि मंत्री महोदय ने मेरे सुझाव का हवाला दिया है और मैं इन्हीं विचारों पर दृढ़ हूं। मेरा प्रश्न तो ये है कि देश में खेलों को बढ़ावा देने, विशेषकर फुटबाल का संवर्धन, चाहे वह राष्ट्रीय स्तर पर हो या अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर हो, केवल खेला खेल संघों या महासंघों की स्वतन्त्र जिम्मेदारी नहीं है। भारत सरकार की भी विशेष जिम्मेदा ी है। क्या सरकार बता सकती है कि दूसरे प्रगतिशील देश अपनी वार्षिक योजनाओं के बजट में से कितना धन खेल-कूद के क्षेत्र पर खर्च करते हैं और भारत सरकार कितना खर्च करती है? मैं यह सिद्ध कर सकता हूं कि सरकार ने गत दो दशकों में अन्तर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले छोटे-छोटे अफ्रीक देशों से भी कम राशि इन पर खर्च की है। क्या इससे फुटबाल या किसी अन्य खेल के स्तर में सुधार का आभास मिलता है?

श्री डी० पी० यादव : हम सभी इस सम्बन्ध में चिन्तित हैं और मैं इतना ही कह सकता हूं कि योजना के बजट और उपलब्ध संसाधनों के अन्दर हम देश में खेलों को प्रोत्साहन देने का भरसक प्रयत्न कर रहे हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : इस प्रयोजनार्थ नियत किये जाने वाले धन के इलावा, चाहे वह धन कम हो या अधिक, अधिक महत्वपूर्ण बात जिसके बारे में मैं जानना चाहता हूं कि सरकार ने उन शासी निकायों को जो लम्बे समय से निहित स्वार्थों के शिकंजे में फंसे हुए हैं, उन्हें इस शिकंजे से मुक्ति दिलाने के लिए क्या विशेष कदम उठाये हैं? दूसरे, ये देखने के लिए क्या विस्तृत योजनाएं आरम्भ की गई हैं कि युवा प्रतिभाशाली फुटबाल खिलाड़ी खोजे जा सकें और उन्हें प्रोत्साहित करके नियमित और उचित प्रशिक्षण दिया जा सके? क्योंकि इसके बिना जितना भी धन व्यय किय जायेगा उसका काई लाभ नहीं होगा।

श्री डी० पी० यादव : इस समय कोई बात निश्चित रूप से नहीं कही जा सकती परन्तु मैं सदस्य महोदय को आश्वासन देता हूं कि ग्रामीण खेल-कूद प्रतियोगिता के माध्यम से हम विभिन्न खेलों में 1500 युवक-युवतियों को इसमें भाग लेने को कह रहे हैं और फुटबाल का इसमें प्रमुख स्थान है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : प्रशिक्षक कहां है?

श्री डी० पी० यादव : सदस्य महोदय को ज्ञात ही है कि हमारे साधन सीमित हैं। परन्तु जहां तक प्रशिक्षकों का सम्बन्ध है हम पटियाला संस्थान में इस खेल के अधिक संख्या में प्रशिक्षकों को तैयार कर रहे हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मेरा श्न उन लोगों के बारे में था जो इन खेल संघों को चलाते हैं?

अध्यक्ष महोदय : वह किसी विशिष्ट प्रश्न का उत्तर बिना पूर्व सूचना के नहीं दे सकते।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्यों नहीं? यदि वह चाहें तो मैं स्वयं इसका उत्तर दे सकता हूं।

श्री विश्वनारायण शास्त्री : विवरण के अनुसार "1974 में तेहरान में हुई एशियाई खेलों में भारतीय फुटबाल टीम सभी तीन मैच बुरी तरह हार गयी।" 1975 और 1974 में एक वर्ष का अन्तर है । इस अवधि में सरकार ने भारतीय फुटबाल टीम का स्तर सुधारने के लिए क्या कदम उठाये हैं ताकि वह ओलिम्पिक खेलों में भाग ले सकें ?

श्री डी० पी० यादव : मैं नहीं समझता कि इस प्रश्न में कोई नई बात है। मैं इतना ही कहूंगा कि स्तर सुधारने के लिए हम भरसक यास कर रहे हैं।

बहु-उद्देश्योय परियोजनाओं से हिमालय की नदियों पर नियंत्रण करना

*90. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बहु-उद्देश्यीय परियोजनाओं से हिमालय की नदियों को नियंत्रित करने पर नेपाल सरकार के साथ बात-चीत चल रही है; और

(ख) क्या बाढ़ से विस्तृत क्षेत्रों को बचाने के लिए सिंचाई व बाढ़ नियंत्रण व विद्युत्-जनन परियोजना को क्रियान्वित किया जा रहा है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री केदारनाथ सिंह) : (क) पिछले कुछ समय से दोनों देशों के बीच दोनों देशों के लाभ के लिए सांझी नदियों के जल-संसाधनों के विकास हेतु संभव स्कीमों पर बात-चीत चल रही है। इस विषय पर आगे बात-चीत करने के लिए भारत सरकार से निकट भविष्य में एक उच्च स्त ीय दल के नेपाल का दौरा करने की संभावना है।

(ख) बाढ़ों से सुरक्षा के लिए कार्यान्वयन हेतु हाथ में ली जाने वाली किसी परियोजना का नाम बताना अभी संभव नहीं है।

Shri Bhogendra Jha: Talks had been held with Nepal Government earlier also on this issue. Regarding floods which hit Patna, we have been told about flood-waters of U.P. and North Bihar flowing into the Ganga river which worsened the situation in Patna. The people of North Bihar are sometimes affected by floods thrice in one year. He definitely has sympathy for Patna but it appears he has forgotten the people of North Bihar. I would like the Patna flood to become a blessing for Bihar if Government wakes up and solves the flood problem of Bihar. The people of North Bihar are also country's nationals and they suffer flood-ravages thrice and drought twice every year because the rivers which bring flood waters from the Himalayas, also drain water from the fields to the Sea resulting in drought.

Havoc has been wrecked by floods during the last three years. Half of the proposed expenditure on soil conservation scheme would be misappropriated and this can be said frankly on the basis of past experience.

The scheme of multipurpose dam near Barah on Kosi river which could control floods was postponed as it was then thought that the 18 lakh KW of power and irrigation for 40 lakh acres could not be utilised. Similarly a proposal to built barrage at Sisapani over Kamla river if implemented could provide irrigation and control floods. Both these proposals are related with Nepal. Similarly, the scheme regarding a barrage over Bagmati river near the foot hills was also deferred on the wrong plea that the capacity would not be fully utilised.

I would like to know whether Government propose to implement these schemes so that the power crisis facing Bihar, Uttar Pradesh and other States might be tided over and floods might also be brought under control ?

Shri Kedar Nath Singh: It is true that those rivers cause floods in North Bihar which originate in Nepal. The scheme to construct a dam over Kosi river at Barah has not been given up, but there are some difficulties. According to the survey report, the site was not correct. Therefore, it needs further investigation. Kamla and Bagmati rivers are also directly linked with Nepal.

Shri Bhogendra Jha: According to his letter dated 3rd December, this was deferred due to non-utilisation of power-capacity. How then the question of site has now arisen ?

Shri Kedar Nath Singh: The question of constructing barrage on these rivers is directly linked with Nepal. Talks have begun and a high-powered team is going there. Nothing can be said till an agreement is reached with the Nepal Government. They have agreed to conduct investigation jointly by experts of both the teams.

Shri Bhogendra Jha: Unpleasantness has been there with Nepal on this issue many a time and I am compelled to say that. I want to know whether it is a fact that there was a proposal to extend the Kamla embankment from Jayanagar to Bhirchaya, agreement in regard to which had been reached between India and Nepal also ? This could have protected areas in both countries from floods but this extension work was suspended through a secret order. If he will deny, I will lay a copy thereof on the Table. Today, hundreds of Nepal villages suffer due to floods. Due to lack of this embankment, all other arrangements fail. The question is why this written agreement is being flouted ? People of Nepal feel much resentment due to this. I also want to know whether the proposed dam in Bash area is also included in the proposed talks ?

Mr. Speaker: He has already replied to that.

Shri Kedar Nath Singh: Notice is required for this.

Shri Bhogendra Jha: I am asking about Indo-Nepal agreement, which is the subject matter of the main question. Why then a fresh notice is required. ?

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मंत्री की अक्षमता को इस प्रकार छिपाया नहीं जाना चाहिए। मंत्रीगण अपनी फाइलें पढ़े बिना उत्तर देने चले आते हैं।

The Minister of Agriculture and Irrigation (Shri Jagjivan Ram): The proposed talks with Nepal are not on any particular river but regarding all the common rivers. When questions shall be asked about individual schemes, replies shall be given accordingly.

Shri Naval Kishore Sinha: The scope of this question is very wide. Recently all the rivers of North Bihar have been in heavy spate. This is mainly because rise in their bottom level which is due to lack of soil conservation in Nepal and deforestation on Indo-Nepal border. If this continues, no dam, barrage or embankment would be of any use. I, therefore, want to know whether need to do soil-conservation work in Nepal, particularly in the border areas would be stressed in these proposed talks ?

Shri Jagjivan Ram: Soil conservation in Nepal would be only part of the solution. Both the countries have to adopt a broader view point in finding solutions of all the problems to see how to utilise river waters to control floods, provide irrigation f[illegible]es [illegible]d feverate power.

Shri Paripoornanand Painuli: This issue does not relate to Bihar alone. Many rivers of U.P. also flow down from Nepal. I think the main cause of not having full agreement with Nepal is lack of funds. I want to know whether Government of India and Nepal have made a joint approach to world Bank for implementing these projects? If so, whether funds are expected to implement these schemes in the Fifth Plan ?

Shri Jagjivan Ram : I am afraid he is putting the cash before the horse. I did not say that this issue concerns Bihar only. I had stated that most of the rivers flowing in Eastern U.P. and Bihar originate in Nepal and we will have talks regarding all of them. We are not going to discuss any particular scheme with them.

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

कनाडा से गेहूं

*86. **श्री धामनकर** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कनाडा सरकार ने वर्ष 1975-76 के दौरान अपने अन्तर्राष्ट्रीय खाद्य पदार्थ सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत 37.8 करोड़ रुपये के मूल्य का गेहूं हमें देने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो किस मूल्य पर और क्या यह सहायता अनुदान के रूप में दी जायेगी; और

(ग) क्या इस सहायता के लिये कोई शर्तें रखी गई हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे) :(क) से (ग) कनाडा सरकार से 28 नवम्बर, 1975 को एक समझौता हुआ है जिसके अधीन कनाडा सरकार भारत को लगभग 452 लाख कनाडियन डालर के मूल्य का (लगभग 40 करोड़ रुपये का) गेहूं अपने 1975-76 के अन्तर्राष्ट्रीय विकास सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुदान के रूप में देगा। इसके प्रति, 2.52 लाख मीटरी टन गेहूं, जिसका मूल्य 434.3 लाख कनाडियन डालर बैठता है (लगभग 38.2 करोड़ रुपये) पहले ही प्राप्त हो चुका है। यह गेहूं जहाज तक निष्प्रभार आधार पर प्राप्त हुआ था और भारत ने समुद्री रास्ते से परिवहन का खर्चा वहन किया था।

संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना

*88. **श्री बसन्त साठे** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांचवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में देश के पश्चिमी भाग में केन्द्र की वित्तीय सहायता से एक संस्कृत विश्वविद्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) क्या महाराष्ट्र सरकार ने ऐसा प्रस्ताव किया है; और

(घ) यदि हां, तो उस पर मंत्रालय की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव): (क) तथा (ग). महाराष्ट्र सरकार अथवा अन्य किसी राज्य सरकार से ऐसा प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) तथा (घ). प्रश्न नहीं उठता।

बिहार को बाढ़ सहायता अनुदान

***91. श्री यमुना प्रसाद मण्डल :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सरकार ने राज्य में बाढ़ सहायता के लिए 175 करोड़ रुपये का अनुदान मांगा है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में केन्द्र सरकार ने क्या निर्णय दिया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे) : (क) बिहार सरकार ने बाढ़ से राहत देने के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार से 179.46 करोड़ रुपये की सहायता का अनुरोध किया था जिसमें 27 करोड़ रुपये का ऋण भी शामिल है।

(ख) भारत सरकार ने केन्द्रीय अध्ययन दल की सिफारिश पर 1975–76 के दौरान बाढ़ से राहत के लिए बिहार को अग्रिम योजना की सहायता के रूप में 9.75 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है। राज्य सरकार को चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कृषि आदानों के लिए 19 करोड़ रुपये का एक अल्पकालीन ऋण भी मंजूर किया गया है।

दिल्ली में अनधिकृत भवनों आदि का हटाया जाना

***92. मौलाना इसहाक सम्भली :**

श्री हरी सिंह :

क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह गताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में हाल में हटाये गये अनधिकृत भवनों, आदि का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन क्षेत्रों से कितने व्यक्तियों को पूरी तरह से हटा दिया गया है; और

(ग) कितने व्यक्तियों को वैकल्पिक आवास दिया गया है ?

निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : (क) से (ग) पिछले 6 महीनों के दौरान दिल्ली विकास प्राधिकरण और दिल्ली नगर निगम द्वारा 43,000 अनधिकृत रिहायशी और वाणिज्यिक संरचनायें हटाई गई हैं। इन 43,000 में से, लगभग 32,500 रिहायशी संरचनायें थीं और अन्य वाणिज्यिक।

2. लगभग 30,000 रिहायशी अनधिवासियों को झुग्गी झोंपड़ी कालोनियों में तथा दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित जे० जे० टेनमेन्टों या दिल्ली विकास प्राधिकरण की आवास सम्पदा में वैकल्पिक प्लाट आवंटित किये गये हैं। शेष 2500 के मामले में, यह पाया गया कि या तो वे किसी के दखल में नहीं थे या हटाने के कार्य के तुरन्त पूर्व दखल में लिये गये थे। अत: उन्हें पुन: बसाने के मामले पर विचार नहीं किया गया।

3. लगभग 10,500 वाणिज्यिक अनधिवासियों में से 7,200 दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा और 3,300 दिल्ली नगर निगम द्वारा हटाये गये। दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा हटाये गये वाणिज्यिक अनधिवासियों में से, लगभग 4000 को दिल्ली विकास प्राधिकरण की पुर्नविकास/वैकल्पिक स्थान योजनाओं में तथा 1000 को जे० जे० कालोनियों के वाणिज्यिक पाकेटों में स्थान दे दिये गये हैं; अन्य 500 वाणिज्यिक अनधिवासियों, जिन्हें हटाया गया है, ने भी इस दौरान वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिये दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा की गई नीलामी में प्लाटों को खरीद लिया है।

शेष 1700 वाणिज्यिक अनधिवासी, इस लिहाज से अपात्र पाये गये क्योंकि वे दिल्ली विकास प्राधिकरण की पुर्नविकास योजना के क्षेत्राधिकार में नहीं आते थे या वे जिन्होंने उन्मूलन अभियान से तत्काल पूर्व अपना व्यवसाय आरम्भ कर दिया था।

4. दिल्ली नगर निगम द्वारा हटाये गये लगभग 3300 वाणिज्यिक अनधिवासियों में से जो पात्र थे उनमें से लगभग 1500 को वैकल्पिक वास दे दिये गये हैं तथा शेष अपात्र थे क्योंकि या तो वे तहबाज़ारी नियमित रूप से नहीं दे रहे थे अथवा अपना व्यापार चलाने के लिए वे अपने दावे सिद्ध नहीं कर पाये थे अथवा उन्होंने वैकल्पिक स्थल के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था।

5. यहां यह कहा जा सकता है कि दिल्ली की अनधिकृत संरचनाओं के उन्मूलन का समस्त अभियान अनिवार्यत: बृहत् योजना के अनुसार सुव्यवस्थित विकास करने के प्रयोजन के लिए चलाया गया है तथा इस अभियान का उद्देश्य बेदखल किये गये लोगों को बृहत योजना के भूमि उपयोग के अनुरूप क्षेत्रों में पुन: बसाना है ताकि समाज के गरीब वर्गों को अधिकतम राहत उपलब्ध की जा सके तथा झुग्गी निवासियों पर खर्च की गई निधियों से अच्छे से अच्छे यथा सम्भव परिणाम प्राप्त किये जा सकें। जिन क्षेत्रों में उन्मूलन अभियान चलाये गये हैं उन क्षेत्रों में विकास योजनाओं का निष्पादन करना तथा सड़कों, स्कूलों, पार्कों, आवास सम्पदा आदि के निर्माण जैसी सामुदायिक सुविधाओं की व्यवस्था करना अपेक्षित है।

भारतीय कृषि अनुसन्धान संस्थान में चावल की नई किस्म का विकास

*93. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में चावल ब्रीडरों द्वारा केवल 95 दिनों में ही पक कर तैयार हो जाने वाली अधिक उत्पादन देने वाली 'पूसा—33' नामक बासमती चावल की नई किस्म का विकास किया गया है; और

(ख) क्या इस किस्म में बासमती चावल के अन्य गुण तथा खाद्योपयोगिता आदि भी विद्यमान हैं?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खान) : (क) भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के पौध प्रजनकों ने अधिक उपज देने वाली चावल की एक किस्म विकसित की है। उसमें भारत में पायी जाने वाली पारम्परिक बासमती किस्मों के कुछ गुणों का समावेश है।

(x) The existing legislation to be tightened up with a view to punishing the guilty more effectively. Special Mobile Police Squads to be organised for the purpose where necessary.

(xi) Widespread and concerted propaganda by official as well as non-official agencies against the evil of drinking.

(xii) Leaders of public opinion to set the tone by their personal example.

(xiii) No liquor shop shall be opened by Government.

उर्वरक का वितरण

*95. **श्री भान सिंह भौरा : क्या कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1975 के दौरान किसानों को उर्वरकों का वितरण कहां तक सम्भव हो सका है; और

(ख) क्या पंजाब, उत्तर प्रदेश, आन्ध्र और तमिलनाडु में सरकार उर्वरकों को निर्धारित मूल्य पर बेच सकी है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे) : (क) 1975 में मांग पूरी करने के लिए पर्याप्त उर्वरक उपलब्ध किया गया था। जनवरी से नवम्बर, 1975 तक कुल 26.58 लाख मीटरी टन पोषक उर्वरक वितरित किया गया था।

(ख) यूरिया, अमोनियम सल्फेट और कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट के मूल्य सांविधिक रूप से नियंत्रित हैं, तथा सारे देश में देशी और आयातित उर्वरक निर्धारित मूल्यों पर बेचे जाते हैं। सभी आयातित उर्वरक सारे देश में केन्द्र द्वारा निर्धारित समान मूल्यों पर बेचे जाते हैं।

महाराष्ट्र में मत्स्य बन्दरगाह

*96. **श्री शंकर राव सावंत : क्या कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में पांचवीं योजना के दौरान शुरू किये जाने वाले मत्स्य बन्दरगाहों के नाम क्या हैं और इन पर कितनी लागत आयेगी;

(ख) प्रत्येक बन्दरगाह पर कार्य कब से शुरू हो जायेगा; और

(ग) यह कार्य कब तक पूरा हो जाने की संभावना है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे) : (क) से (ग) : उत्तम, करंजा थाल, दांतिवाड़ा तथा भुलगांव में मत्स्य बन्दरगाहों के निर्माण के लिए जून, 1975 में स्वीकृति दी गई है। आशा है कि इन बन्दरगाहों का निर्माण-कार्य शीघ्र प्रारम्भ हो जायेगा। यद्यपि, राज्य सरकार ने निर्माणकार्य के पूरे होने की निश्चित तिथियों का उल्लेख नहीं किया है, परन्तु अनुमान है कि पांचवीं योजना के दौरान निर्माण-कार्य पूरा हो जायेगा।

इसके अतिरिक्त, सासून पत्तन में एक मत्स्य बन्दरगाह के निर्माण सम्बन्धी एक प्रस्ताव पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है। सासून पत्तन के मत्स्य बन्दरगाह के निर्माण-कार्य का 3 वर्षों में पूरा होने की सम्भावना है। रत्नागिरि की परियोजना सम्बन्धी रिपोर्टों में संशोधन किया जा रहा है

और मत्स्य बन्दरगाहों का पता लगाने के लिए अगरदंडा पर निवेशपूर्व सर्वेक्षण किये जा रहे हैं। अन्तिम रिपोर्टों के आधार पर तकनीकी तथा आर्थिक सम्भाव्यता का पता लगने पर इन स्थानों की स्वीकृति के सम्बन्ध में विचार किया जायेगा ।

भूमिहीन श्रमिकों को वित्तीय सहायता

*97. **श्री प्रबोध चन्द्र :**

श्री जगन्नाथ मिश्र :

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में भूमिहीन श्रमिकों तथा निर्धन वर्ग के अन्य ग्रामीणों को वित्तीय सहायता देने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खान) : केन्द्रीय सरकार द्वारा देश में भूमिहीन श्रमिकों तथा अन्य गरीब ग्रामीणों को सीधे कोई वित्तीय सहायता नहीं दी जाती है। तथापि राज्य सरकारों द्वारा ग्रामीण समुदाय के कमजोर वर्गों को एक सीमित सीमा तक अल्पकालीन ऋण अर्थात तकावी दी जाती है।

लघु किसान विकास एजेंसियो/सीमान्त किसान तथा कृषि श्रमिक विकास एजेंसियों लघु सिंचाई, भूमि विकास, भू-संरक्षण, पशुपालन आदि जैसे विभिन्न कार्यक्रमों में लगाई गई लागत का पहचाने गए लघु किसान लाभभोगियों को 25 प्रतिशत भाग और सीमान्त किसान तथा कृषि श्रमिकों को $33\frac{1}{3}$ प्रतिशत भाग तक के उपदान की अनुमति वित्तदायी संस्थाओं के माध्यम से देती हैं। ये संस्थाएं लागत के शेष भाग को ऋण के रूप में उपलब्ध कराती हैं। छोटे किसानों को डेरी, कुक्कुट-पालन, सूअरपालन, भेड़ तथा बकरीपालन, मत्स्यपालन आदि जैसी योजनाओं के अन्तर्गत सहायक धंधों के लिए 25 प्रतिशत और सीमान्त किसान तथा कृषि श्रमिकों को $33\frac{1}{3}$ प्रतिशत उपदान दिया जाता है। उपर्युक्त सहायक धंधों के लिए भूमिहीन श्रमिकों को प्राथमिकता दी जाती है।

सहकारी सोसायटियों और वाणिज्यक बैंकों दोनों को ऋण देने की पद्धतियों और नीतियों की लगातार समीक्षा की जा रही है ताकि कृषि समुदाय के कमजोर वर्गों को अधिक आसानी से ऋण लेने में सहायता मिल सके।

पांचवी योजना अवधि में सहकारी ऋण के मामले में अंशपूंजी अपेक्षाओं में ढील, बंधक प्रत्या-भूति पर बल दिए बिना ऋण, कम मार्जिन तथा लम्बे समय में अदायगी जैसी विशेष रियायतें जारी रहेंगी ताकि कमजोर वर्ग अधिक आसानी से ऋण प्राप्त कर सकें।

नर्मदा जल-विवाद सम्बन्धी न्यायाधिकरण

*98. **श्री पी० जी० मावलंकर** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात और मध्य प्रदेश के बीच नर्मदा जल-विवाद संबंधी न्यायाधिकरण अपना काम निर्धारित समय-सूची के अनुसार कर रहा है ;

(ख) दोनों पक्षों की सुनवाई कब तक पूरी हो जायगी; और

(ग) न्यायाधिकरण कब तक निर्णय कर लेगा और उसकी कब तक घोषणा कर दी जाएगी।

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री के० एन० सिंह) : (क). जी हां।

(ख) और (ग). जबकि न्यायाधिकरण द्वारा अपने कार्य को यथा-संभव शीघ्र पूरा करने के सभी प्रयत्न किये जा रहे हैं निर्णयन कार्यवाहियों के कब तक पूरे हो जाने और रिपोर्ट देने के बारे में बताना संभव नहीं है।

उत्तर प्रदेश तथा बिहार में चीनी मिलों का अधिग्रहण

*99. **श्री एस० एम० बनर्जी :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश तथा बिहार की चीनी मिलों के अधिग्रहण के बारे में इस बीच अन्तिम निर्णय कर लिया गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो अन्तिम निर्णय कब तक किए जाने की संभावना है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क). जी नहीं।

(ख). राष्ट्रीयकरण के मसले पर अन्तिम निर्णय लेने में कुछ और समय लगेगा। इस में वित्तीय और प्रशासनिक उलझनें होने के कारण यह एक जटिल मामला है।

चावल की वसूली

*100. **श्री डी० के० पण्डा :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष चावल की कुल कितनी वसूली हुई है; और

(ख) उड़ीसा में कुल कितने चावल की वसूली हुई है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे) : (क). 9 जनवरी, 1976 तक उपलब्ध सूचना के अनुसार 26.85 लाख मीटरी टन।

(ख). 9 जनवरी, 1976 तक उपलब्ध सूचना के अनुसार 57,166 मीटरी टन।

Soyabean in Madhya Pradesh

426. **Dr. Laxminarayan Pandeya:** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state:

(a) whether the farmers are not feeling encouraged to grow soyabean in Madhya Pradesh and Rajasthan in the absence of a fair price and marketing facilities;

(b) whether large stocks of soyabean have accumulated in Madhya Pradesh and there are no buyers; and

(c) steps taken by Government in the matter ?

The Deputy Minister in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Prabhudas Patel): (a) to (c). The marketing difficulties in the case of soyabean in Madhya Pradesh appear to be a reflection of the excellent all round agricultural production including oilseeds, which has resulted in general decline in prices thereby affecting soyabean also. The Government of India is seized of the problem and finding ways and means of marketing the production of the crop during the current year.

There is no soyabean development in progress in Rajasthan state.

संसद् सदस्यों को पेंशन

427. **श्री पी० एम० सईद :** क्या **संसदीय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिन्होंने अपने विधानमंडलों के सदस्यों को पेंशन देना आरम्भ कर दिया है;

(ख) क्या संसद सदस्यों को पेंशन देने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ग) यदि हां. तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया): (क). उपलब्ध सूचना के अनुसार तमिलनाडु सरकार ने अपने विधान मण्डल के भूतपूर्व विधायकों को पेन्शन देने की योजना लागू कर दी है ।

(ख) और (ग). संसद् के भूतपूर्व सदस्यों को पेंशन देने का प्रश्न इस समय संसद सदस्यों के वेतन और भत्ते सम्बन्धी संयुक्त समिति के विचाराधीन है । समिति ने इस मामले में अभी कोई निर्णय नहीं लिया है ।

दिल्ली में किराया भुगतान के आधार पर सरकारी आवासों में रह रहे केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी

428. **श्री हुकम चन्द कछवाय :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में काम करने वाले कितने केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को रिहायशी क्वार्टर आवंटित नहीं किये गये हैं; और

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार के कुछ वे कर्मचारी, जिन्हें सरकारी आवास आवंटित नहीं किये गये हैं, किराया भुगतान के आधार पर केन्द्रीय सरकार के अन्य कर्मचारियों के साथ, जिन्हें आवास आवंटित कर दिये गये हैं, रह रहे हैं ?

निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : (क). दिल्ली में सामान्य पूल वास के लिए प्रतीक्षा कर रहे केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की संख्या 57,168 है।

(ख) जी, हां, सरकारी वास के अलाटी अपने वास को अन्य सरकारी कर्मचारियों तथा अर्ध-सरकारी संगठनों/निगमों आदि के कर्मचारियों के साथ शेयर कर सकते हैं। सरकार के पास इस बारे में कोई सूचना नहीं हैं कि शेयरर अलाटी को कोई किराया देते हैं या नहीं ।

लोअर दामोदर योजना

429. **श्री शक्ति कुमार सरकार :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लोअर दामोदर योजना के लिए अब तक कितनी राशि मंजूर की गई है तथा अब तक सम्पन्न कार्य और उस पर व्यय की गई राशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) योजना को पूरा करने के लिए कौन सी तारीख निर्धारित की गई है; और

(ग) इस योजना के पूरा हो जाने के बाद कितने गांवों को लाभ पहुंचेगा ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री केदार नाथ सिंह) : (क). निम्न दामोदर स्कीम को तीन चरणों में कार्यान्वित करने का आयोजन किया गया हैं। अभी तक इस स्कीम के केवल पहले चरण, जिसमें आमता नहर तथा उसकी सहायक नालियों का खुदाई कार्य, मदारिया और डकातिया खाल के बीच लिंक चैनल का निर्माण तथा वर्तमान पुलों और स्लूसों का निर्माण तथा पुनर्रूपण शामिल है, को पूर्ण करने के लिए योजना आयोग द्वारा अप्रैल, 1971 में 6.82 करोड़ रुपये स्वीकृत किये गये हैं। स्कीम के चरण–दो तथा तीन की अनुमानित लागत 27.64 करोड़ रुपये है जिसे अभी स्वीकार किया जाना हैं।

बाढ़ नियंत्रण राज्य योजना का एक भाग होता है अतः स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकार को अपनी योजनाओं में धनराशि की व्यवस्था करनी होती है। बहरहाल, 1971 के दौरान गंभीर बाढ़ों के आ जाने के कारण केन्द्रीय सरकार ने चतुर्थ योजना के अन्तिम दो वर्षों के दौरान पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार को 11 करोड़ रु० की वित्तीय सहायता दी थी ताकि प्राथमिकता प्राप्त कुछ बाढ़ नियंत्रण कार्यों पर कार्यों को पूरा करने के लिए राज्य योजना में किये गये प्रावधान की पूर्ति की जा सकें। निम्न दामोदर स्कीम उन प्राथमिकता प्राप्त स्कीमों में से एक है। यह सूचना मिली है कि आमता चैनल, और मदारीखल, रोनेर खल, दक्तियाखल जिसमें व्यश्वर्तन और लिंक चैनलें शामिल हैं, पर स्थिति निर्धारण कार्य पूर्ण हो गये हैं।

चतुर्थ योजना के अंत तक इस स्कीम पर 6.11 करोड़ रुपये व्यय हुए हैं। 1974–75 के दौरान 1.26 करोड़ रु० व्यय हुए तथा 1975–76 के लिए 0.80 करोड़ रु० व्यय प्रत्याशित है। 1976–77 के लिए राज्य सरकार निम्न दामोदर स्कीम के सभी तीनों चरणों के लिए संयुक्त रूप में 5.50 करोड़ रुपये का परिव्यय है।

(ख) चरण–एक का जून, 1976 तक पूर्ण किये जाने का कार्यक्रम है।

(ग) इस स्कीम के पूर्ण होने पर बर्दवान, हुगली और हावड़ा जिलों में 1.2 लाख हैक्टेयर (723.04 वर्ग मील) क्षेत्र को लाभ पहुंचेगा। इस स्कीम से लाभ होने वाले ग्रामों की संख्या के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है।

जिला कृषक सहकारी समितियों के गठन के सम्बन्ध में केन्द्रीय मार्गनिर्देशक सिद्धान्त

430. **श्री पी० गंगादेव** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों को विभिन्न जिलों, ताल्लुकों में कृषक सहकारी समितियों का गठन करने में परामर्श देने के लिए कोई केन्द्रीय मार्गनिर्देशक सिद्धान्त बनाये गये हैं ; और

(ख) किसानों को अपना उत्पादन व्यवस्थित रूप से बाजार में बेचने की सुविधाएं देने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) राष्ट्रीय कृषि आयोग की लघु तथा सीमान्त कृषकों और कृषि श्रमिकों की ऋण सेवाओं संबंधी अन्तरिम रिपोर्ट की सिफारिशों के अनुसरण में भारत सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से 1973 में राज्य सरकारों/केन्द्रशासित क्षेत्रों को कृषक सेवा सहकारी सोसायटियों के आदर्श उप-नियमों के साथ-साथ कृषक सेवा सोसायटियों के गठन के लिए विस्तृत मार्गदर्शक सिद्धान्त जारी किये थे। मार्गदर्शक सिद्धान्तों में साथ ही साथ ये भी शामिल हैं—ऐसे क्षेत्र जहां वे गठित की जा सकती हैं, न्यूनतम जनसंख्या क्षेत्र, सदस्यता का संघटन, कमजोर वर्गों के लिए प्रबन्ध मण्डल में पदों का आरक्षण, वित्तीय एजेंसी, जो सोसायटियों को वित्त सुलभ कर सके, का स्वरूप, सुलभ की जाने वाली तकनीकी स्टाफ की सहायता आदि। इन सोसायटियों के अन्तर्गत कम से कम 10,000 की आबादी आती हैं और पूरे सामुदायिक विकास खण्ड तक पहुंच जानी है और इनसे सभी प्रकार के वांछित ऋण बांटने, निवेशों की सप्लाई करने जिनमें उर्वरक शामिल हैं, विधायन तथा विपणन आदि की व्यवस्था करने की आशा की जाती है।

राज्य सरकारों/केन्द्रशासित क्षेत्रों को समय-समय पर कृषक सेवा सोसायटियों के गठन के स्वरूप के बारे में, जिसमें ऐसी सोसायटियों आदि की स्थापना के लिए क्षेत्रों के चुनाव को प्राथमिकता दी जानी है, सालह भी दी गई है।

(ख) देश में लगभग 3300 प्राथमिक सहकारी विपणन सोसायटियां हैं जिनके अन्तर्गत तकरीबन सभी महत्वपूर्ण माध्यमिक बाजार आते हैं। ये विपणन सहकारी सोसायटियां किसानों को आवश्यक निवेशों को सप्लाई करने के साथ-साथ उनकी कृषि उपज का विपणन करने के लिए सुविधायें प्रदान करती हैं। किसानों को और अधिक सुविधायें देने के विचार से विभिन्न स्तरों पर विपणन सहकारी सोसायटियों को मजबूत और कारगर बनाने के लिए प्रयत्न किये जा रहे हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के निगमों द्वारा सहकारी सोसायटियों को खाद्यान्न, कपास तथा जूट की अधिप्राप्ति में भी अधिकाधिक रूप से शामिल किया जा रहा है।

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के दौरान चुने नियमित बाजारों को वित्तीय सहायता देने के लिए एक योजना शुरू की गई थी और इसे पांचवीं योजना में जारी रखा जा रहा है। इस योजना में देश में चुने नियमित बाजारों के लिए वित्तीय सहायता की परिकल्पना की गई है ताकि उत्पादकों के हित की रक्षा की जा सके और उन्हें उचित विपणन सुविधायें सुलभ करके उनके उत्पाद के लिए बेहतर तथा पारिश्रमिक मूल्य प्राप्त हो सके।

केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की बैठक

431. **श्री जनेश्वर मिश्र** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की नवम्बर, 1975 में हुई बैठक की रिपोर्ट सरकार को मिल गई है;

(ख) सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है ;

(ग) क्या बोर्ड ने शिक्षा के लिये श्राम जनता पर कोई विशेष उपकर लगाने का सुझाव दिया है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नूरुल हसन): (क) केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की नवम्बर, 1975 में हुई बैठक में दिये गये भाषणों तथा पारित संकल्पों की प्रतियां सरकार को प्राप्त हो गई हैं।

(ख) बोर्ड के संकल्प विचाराधीन हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) सुझाव राज्य सरकारों को भेज दिये जायेंगे, जोकि इस मामले से संबंधित हैं।

धान श्रौर चावल का वसूली मूल्य श्रौर वास्तविक वसूली

432. **श्री समर गुह** : क्या **कृषि श्रौर सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान मौसम में धान श्रौर चावल की वसूली के लिए प्रत्येक राज्य में क्या दरें निर्धारित की गई हैं; श्रौर

(ख) श्रब तक की गई वसूली का, राज्यवार, ब्यौरा क्या है ?

कृषि श्रौर सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रण्णा साहिब पी० शिन्दे) : (क) श्रौर (ख). दो विवरण (विवरण 1 तथा 2) संलग्न हैं। [ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल०टी०-10097/76]

श्रमरीका से खाद्यान्नों का श्रायात

433. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **कृषि श्रौर सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1975 के दौरान तथा वर्ष 1976 में श्रमरीका से श्रायात किये गये श्रथवा श्रायात के लिये बुक किये गये खाद्यानों की मात्रा कितनी है।

(ख) क्या उनका ध्यान श्रमरीकी समाचारपत्रों में प्रकाशित बुंगी कारपोरेशन तथा खाद्यान्नों का निर्यात करने वाली कुछ श्रन्य श्रमरीकी फर्मों के विरुद्ध भारत सहित कई श्रायातक देशों के साथ करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी किये जाने के बारे में की गई फेड्ल जांच सम्बन्धी समाचारों की श्रोर दिलाया गया है,

(ग) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है, श्रौर

(घ) क्या बुंगी कारपोरेशन सहित इनमें से कुछ फर्मों के विरुद्ध कम मूल्य के बीजक बनाने तथा श्रन्य श्रार्थिक श्रपराधों के लिये भारत सरकार द्वारा भी कार्यवाही की गई थी ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे) : (क) : 1975 में, संयुक्त राज्य अमेरिका से लगभग कुल 47.1 लाख मीटरी टन खाद्यान्नों का आयात किया गया था। इस समय यह बताना न तो सम्भव ही है और न ही जनहित में है कि 1976 के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका से कितनी मात्रा में खाद्यान्नों का आयात किया जाएगा।

(ख) और (ग)। सरकार ने इस आशय की प्रैस-रिपोर्टें देखी हैं, जिनमें मैसर्स बंगे कारपोरेशन, न्यूयार्क के निम्न स्तर के एक कर्मचारी ने यह बयान दिया है कि इस्ट्रेहन के उनके एलोवेटर से भारत और अफ्रीकी देशों को जाने वाले जहाजों में कार्पोरेशन कम वजन में खाद्यान्न भज रहा है। वाशिंगटन में स्थित भारतीय दूतावास से कहा गया है कि व वस्तुस्थिति का पता लगाएं।

(घ) पूर्ण जानकारी प्राप्त होने के बाद ही इस कार्पोरेशन अथवा अन्य सप्लायरों के विरुद्ध कार्यवाही करने के प्रश्न पर विचार किया जायगा।

दिल्ली में जाली राशन कार्डों का पता लगाया जाना

434. श्री आर० आर० सिंह देव :

श्री वीरभद्र सिंह :

क्या **कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में गत छह महीनों के दौरान घर-घर जांच करने के परिणामस्वरूप अनेक जाली राशन कार्डों का पता लगाया गया है।

(ख) यदि हां, तो दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) जी हां। दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि जांच करने के परिणाम-स्वरूप, जिन कार्ड धारियों के राशन कार्ड में जाली यूनिट पाये गये हैं उनके विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है और जो जाली राशन कार्ड पाए गए हैं उन्हें रद्द कर दिया गया है।

बाढ़ों के पश्चात् उड़ीसा गये केन्द्रीय दल

435. श्री अर्जुन सेठी : क्या **कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अगस्त, 1975 की विनाशकारी बाढ़ के बाद एक केन्द्रीय दल ने उड़ीसा का दौरा किया था,

(ख) यदि हां, तो राज्य सरकार ने केन्द्रीय दल को क्या मांग पेश की थीं, और

(ग) बाढ़ द्वारा विनाश के परिणामस्वरूप राज्य सरकार के समक्ष आने वाली समस्याओं को हल करने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रभु दास पटेल) : (क) जी हां।

(ख) राज्य सरकार ने 22.06 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता के लिये अनुरोध किया है।

(ग) भारत सरकार ने उड़ीसा की 1975–76 के लिये बाढ़ राहत हेतु 7.55 करोड़ रुपये की अग्रिम प्लान सहायता स्वीकृत की है। वष 1975–76 के लिये कृषि संबंधी अदानों हेतु 7.00 करोड़ रुपये का अल्प कालीन ऋण भी स्वीकृत किया गया है। केन्द्रीय पूल से खाद्यान्नों का आवंटन अगस्त 1975 के लिये 43000 मीटरी टन से बढ़ाकर सितम्बर और अक्तूबर, 1975 के लिये 58,000 मीटरी टन कर दिया गया था।

चम्बल बीहड़ों को खेती योग्य बनाने की योजनायें

436. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी** : क्या कृषि और सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्व बैंक के दल ने चम्बल बीहड़ों को खेती योग्य बनाने की योजनाओं के बारे में अध्ययन कर लिया है,

(ख) यदि हां, तो अब तक क्या निर्णय किये गये हैं और उनके क्या परिणाम निकले हैं, और

(ग) क्या श्री ग्राफोर्ड के नेतृत्व में विश्व बैंक का दल उपरोक्त समस्याओं का अध्ययन कर रहा है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) मध्य प्रदेश में चम्बल सिंचाई प्रणाली से सम्बन्धित कमांड क्षेत्र विकास परियोजना का मूल्यांकन करते समय विश्व बैंक की टीम ने इन तंग घाटियों में प्रवाह के विरुद्ध गतिमान अव–नालिका किस्म के बढ़ते हुए कटाव की समस्या की जांच की, जिससे कि नहरों तथा सड़कों को खतरा है और महत्वपूण फार्म भूमि को हानि पहुंच रही है।

(ख) उन्होंने मित्तव्ययी सुरक्षात्मक कार्यवाही करने की आवश्यकता का अनुभव किया है और उन्होंने सुझाव दिया है कि इस समस्या को हल करने के लिये कम लागत की विधियों के विकास के लिये परिसीमा के आस–पास 50 कि० मी० की लम्बाई में एक मार्गदर्शी योजना प्रारम्भ की जाये। मध्य प्रदेश की चम्बल कमांड क्षेत्र विकास परियोजना में, जिसके लिये दिनांक 20 जून, 1975 को अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी के साथ एक करार किया गया है, ऐसे मार्गदर्शी अध्ययनों के लिए 32 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है।

(ग) जी नहीं।

Land Ceiling Laws

437. **Shri Bibhuti Mishra:**

Shri Priya Ranjan Das Munsi:

Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state:

(a) whether many bottlenecks have been found in the land ceiling laws enacted by various State Governments as a result of which difficulties are being encountered in implementing the 20-point programme of the Prime Minister; and

(b) if so, whether Government propose to implement land ceiling laws soon, after making necessary amendments in the Constitution ?

The Deputy Minister in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Prabhudas Patel): (a) & (b) Certain provisions of the land ceiling laws of some of the States have either been struck down or challenged in the court of law. This has created some difficulty in the way of their implementation. By now most of the ceiling laws have been placed in the Ninth Schedule to the Constitution. Further suitable measures for expeditious implementation of the laws are being examined.

Aid to Kakori Shaheed Shiksha Samiti, Shahjahanpur, U.P.

438. **Shri Jitendra Prasad** : Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state:

(a) the amount of loans and grants as also machinery obtained by Kakori Shaheed Shiksha Samtii, (Kakori Martyrs Educational Committee) Shahjahanpur, U.P. from the Centre for agricultural purpose;

(b) whether this amount has been misused; and

(c) if so, action taken by Government ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture & Irrigation (Shri Shah Nawaz Khan): (a) to (c) The information is being collected and will be placed on the Table of the Sabha.

मुकन्दनगर, पूना में क्वार्टरों का बेचा जाना

439. **श्रीमती रोजा विद्याधर देशपांडे** : क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार पूना के मुकन्दनगर में क्वार्टर बेचने का विचार कर रही है; और

(ख) क्या सरकार वर्ष 1976 में अधिकांश क्वार्टर उनमें रहने वालों को ही बेचने का विचार कर रही है?

निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरमैया) : (क) तथा (ख) : सरकार 1962 में मुकन्दनगर, पूना में बनाए गए 216 क्वार्टरों को बेचने के प्रश्न पर विचार कर रही है। 1962 के बाद वहां कोई और मकान नहीं बनाए गए हैं :

छात्रों को पाठ्य-पुस्तकों व कापियों की सप्लाई

440. **श्री झारखण्डे राय :** क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रधान मंत्री के बीस-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत छात्रों को सस्ती दरों पर पाठ्य-पुस्तकों, कापियों, आदि की सप्लाई करने के लिए सरकार द्वारा की गई कार्यवाही की मुख्य रूप रेखा क्या है;

(ख) क्या सरकार को मालूम है कि सस्ती दरों पर सप्लाई के नाम पर, एन०सी०ई०आर०टी० द्वारा तयार की गई पुस्तकों की किस्म का स्तर गिर गया है और उनकी जिल्दें तथा सिलाई कुछ ही महीनों तक चलती हैं; और

(ग) यदि हां, तो स्थिति में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) किसी पाठ्य-पुस्तक अथवा नोट बुक का मूल्य निर्धारित करने में एक मुख्य बात कागज की लागत होती है। छात्रों को सस्ती दरों पर पाठ्य-पुस्तकें तथा कापियां मुहैया करने के लिए, भारत सरकार ने पुस्तक इत्यादि की छपाई में प्रयोग होने वाले दूसरे प्रकार के कागज के लिए 4000 रुपए से 6000 रुपये प्रति टन की बाजार की दर के मुकाबिले पर 2750 रुपये प्रति टन को रियायती दर पर शिक्षा क्षेत्र के लिए 1,20,000 टन छपाई के सफेद कागज का वार्षिक आंवटन करने की व्यवस्था की है। इस व्यवस्था से पाठ्य-पुस्तकों तथा कापियों के मूल्य नीचे गिरे हैं।

कापियों के मूल्य कम किये गये हैं तथा उनके मूल्यों में एकरुपता लाने के लिए उन्हें मानकीकृत किया जा रहा है।

(ख) रा० शि० अनु० तथा प्र० परि० द्वारा उत्पादित पुस्तकों की कोटि में कोई गिरावट नहीं आई है। बल्कि मुद्रण तथा डिजाइन के कार्य में दक्षता के लिए रा० शि० अनु० तथा प्र० परिषद् ने अनेक पुरस्कार जीते हैं। पुस्तकों की जिल्दसाजी भी काफी मजबूत है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

चावल का उत्पादन और वसूली तथा पश्चिम बंगाल और केरल को चावल के कोटे में वृद्धि

441. **श्री रानेन सेन** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में 1975 में चावल का कुल कितना उत्पादन हुआ है;

(ख) सरकार चावल वसूली के अपने लक्ष्यों को कहां तक प्राप्त करने में सफल रही है; और

(ग) चावल का बहुत अच्छी पैदावार को देखते हुए क्या सरकार पश्चिम बंगाल और केरल के लिए चावल के कोटे में वृद्धि करने के प्रश्न पर विचार कर रही है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) 1975 के चावल के कुल उत्पादन के अनुमान को अन्तिम रूप देने में कुछ समय लगेगा। तथापि, फसल की सम्भावनाओं तथा विभिन्न अन्य संकेतों के आधार पर यह अन्दाजा लगाया जाता है कि 1975 में 1974 की तुलना में काफी अधिक चावल का उत्पादन होगा।

(ख) जैसा कि 9 जनवरी, 1976 को सूचित किया गया है, खरीफ विपणन मौसम 1975-76 के लिए निर्धारित चावल के 46.35 लाख मीटरी टन के अधिप्राप्ति लक्ष्य के प्रति 26.85 लाख मीटरी टन चावल (चावल के हिसाब से धान सहित) अधिप्राप्त किया गया है।

(ग) केन्द्रीय भण्डार में चावल की कुल उपलब्धता, कमी वाले अन्य राज्यों की सापेक्ष आवश्यकताओं, बाजार में उपलब्धता और बफर स्टाक बनाने की आवश्यकता और अन्य संगत तथ्यों को ध्यान में रखते हुए पश्चिमी बंगाल और केरल को सरकारी वितरण प्रणाली को उचित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रति माह यथा सम्भव अधिक से अधिक चावल आबंटित किया जा रहा है।

सी० एम० डी० ए० के लिये धनराशि

442. **श्री एच० एन० मुखर्जी** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने सी० एम० डी० ए० के लिए 1.5 करोड़ रुपए मंजूर किये हैं; और

(ख) इस राशि से सी० एम० डी० ए० की निर्माण सम्बन्धी मांग कहां तक पूरी होगी।

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत): (क) जी हां।

(ख) इस से कलकत्ता महानगर विकास प्राधिकरण के 1975-76 के विकास कार्यक्रम के लिए, उनकी आवश्यकताओं के कुछ भाग की पूर्ति होगी।

सुरक्षा, अनुशासन और शिक्षा सुविधाओं का विस्तार

443. **श्री के० लकप्पा** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आपात स्थिति की घोषणा के संदर्भ में मौलिक परिवर्तन करके विद्यार्थियों के लिए सुरक्षा, अनुशासन और शिक्षा संबंधी सुविधाओं का विस्तार सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(ख) क्या विद्यार्थियों में सुधार के द्वारा देश के विद्यार्थी वर्ग में अनुशासन लागू करने के लिए कोई प्रयत्न किया गया है ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नूरुल हसन) : (क) और (ख). शैक्षिक संस्थाओं में अनुशासनहीनता, हिंसा, अभित्रास और धमकियों के बढ़ते हुए वातावरण से सरकार बहुत चिन्तित थी, जिसके फलस्वरूप स्तर गिरता जा रहा था, अध्यापन तथा परीक्षाओं के कार्यक्रमों में बाधा पड़ रही थी तथा छात्र और उनके अभिभावक बहुत कठिनाई में थे।

आपातकालीन स्थिति घोषित किए जाने के फलस्वरूप शैक्षिक संस्थाओं में सामान्य वातावरण में काफी सुधार हुआ है तथा शैक्षिक संस्थाओं के वातावरण में गंभीरता पुन: आ गई है। राज्य सरकारों ने शैक्षिक प्राधिकारियों की सुरक्षा तथा शैक्षिक समुदाय की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए हैं। सहपाठ्यचर्या तथा पाठ्येतर कार्य-कलापों में छात्रों को पूर्ण रूप से शामिल करने के लिए भी प्रयत्न किए जा रहे हैं।

प्रधान मंत्री के 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम के एक भाग के रूप में, छात्रों के लिए पाठ्यपुस्तकों, सामान्य पठन सामग्री तथा कापियों के मूल्य को कम करने के लिए प्रभावशाली कदम उठाए गए हैं। छात्रावासों, स्वीकृत आवासों तथा अन्य संस्थाओं को अनिवार्य वस्तुएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। बहुत सारे स्कूलों, कालेजों तथा विश्वविद्यालयों में पुस्तक बैंक स्थापित कर दिए गए हैं।

इन मामलों के बारे में केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों से बराबर सम्पर्क बनाए हुए है।

विश्वविद्यालय शिक्षा में सुधार शुरु करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने बहुत सारे कदम उठाए हैं।

उड़ीसा में सुबनरेखा नदी के बारे में विशेषज्ञ समिति का प्रतिवेदन

444. **श्री श्याम सुन्दर महापात्र** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बाढ़ नियंत्रण के लिए उड़ीसा की सुबर्नरेखा नदी संबंधी विशेषज्ञ समिति के प्रतिवेदन को अन्तिम रूप दे दिया गया है ;

(ख) क्या उड़ीसा सरकार ने अपना हिस्सा देना स्वीकार कर लिया है;

(ग) क्या नमूना अध्ययन के पश्चात् समुद्र से सीधे मिलाने की योजना (स्ट्रेट कट प्लान टु सी) को अनुमोदित कर दिया गया है और उसे अन्तिम रूप दे दिया गया है; और

(घ) क्या नालियां बनाने का कार्य 1976 में आरंभ होगा ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री केदार नाथ सिंह): (क) और (ख). भारत सरकार द्वारा सुबर्नरेखा नदी के बारे में विशेषज्ञ समिति का गठन अगस्त, 1972 में किया गया था। इस समति ने अपनी रिपोर्ट को अन्तिम रूप देकर अगस्त, 1973 में प्रस्तुत कर दिया था। राज्य सरकार द्वारा बहुत सी सिफारिशों को पूर्णरूप से मान लिया गया है और कुछ को अभिरक्षित के साथ मान लिया था। यह मालूम हुआ है कि उड़ीसा सरकार कुछ सिफारिशों के ऊपर बिहार और पश्चिम बंगाल की सरकारों के साथ द्विपाक्षिक विचार विमर्श कर रही है। लागत के विभाजन पर उड़ीसा सरकार द्वारा अभी विचार किया जाना है।

(ग) समुद्र से सीधे मिलाने के लिए विभिन्न वैकल्पिक प्रस्तावों पर राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय जल आयोग के साथ परामर्श से अध्ययन किया जा रहा है और उनको अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।

(घ) यह मालूम हुआ है कि विभिन्न जल-निकास कार्यों के लिए राज्य सरकार द्वारा विस्तृत स्कीमें तैयार की जा रही हैं। एक ऐसी स्कीम केन्द्र में प्राप्त हुई था जिसकी जांच करके राज्य सरकार को कुछ आपत्तियों के साथ वापस कर दिया गया है। स्थल पर कार्य इस स्कीम के स्वीकृत हो जाने के पश्चात् ही आरंभ किया जा सकता है।

पंजाब में बाढ़ से हानि

445. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1975 में आई बाढ़ों के कारण पंजाब को कुल कितनी हानि हुई ;

(ख) क्या केन्द्र ने कोई सहायता दी है; और

(ग) यदि हां, तो कितनी ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री केदार नाथ सिंह) : (क) पंजाब सरकार से प्राप्त हुई रिपोर्टों के अनुसार 1975 की बाढ़ों के कारण लगभग 10.05 करोड़ रुपए की कुल हानि होने का अनुमान है। जिसका विवरण नीचे दिया गया है :—

	(करोड़ रुपयों में)
1. क्षतिग्रस्त फसलों का मूल्य	4.03
2. क्षतिग्रस्त मकानों का मूल्य	5.56
3. जलसुविधाओं को हुई हानि	0.46
कुल	10.05

(ख) और (ग). केन्द्र द्वारा राज्य सरकार को कोई सहायता नहीं दी गई है।

विश्वविद्यालय कैम्पस के वातावरण में सुधार

446. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आपातस्थिति की घोषणा से केन्द्र द्वारा प्रशासित विश्वविद्यालयों के विश्वविद्यालय कैम्पसों के वातावरण में उल्लेखनीय सुधार हुआ है तथा अब विद्यार्थी अपनी शिक्षा की ओर अधिक ध्यान दे सकते हैं; और

(ख) क्या कक्षाओं से विद्यार्थियों की अनुपस्थिति में भी कमी हुई है ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मन्त्री (प्रो० एस० नूरुल) : (क) और (ख) : जी, हां।

दिल्ली में कालोनियों को नियमित करना

447. **श्री शशि भूषण** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की यह नीति थी कि दिल्ली में 1 फरवरी, 1967 तक बनी बस्तियों को नियमित कर दिया जायेगा; और

(ख) क्या हाल ही के महीनों में दक्षिण दिल्ली की एक कालोनी, अर्जुन नगर में बड़ी संख्या में ऐसे मकानों को गिराया गया जिनकी रजिस्ट्री वर्ष 1961 में हुई थी ?

निर्माण और आवास तथा संसदीय-कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : (क) यह सरकार के विचाराधीन है।

(ख) जी, नहीं। केवल 1961 के बाद मूलतः बने तथा अनधिकृत रूप से निर्मित कुछ मकान गिराये गये हैं। तथापि, वैकल्पिक वास दे दिया गया है।

Expenditure on Buddha Darshan Mahavidyalaya, Leh

448. **Shri Kushok Bakula**: Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state:

(a) expenditure being incurred annually by Government on the Buddha Darshan Mahavidyalaya (College of Buddhist Philosophy), Leh; and

(b) amount per mensem being given to the students as scholarship and the arrangements made for students' hostel ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education, Social Welfare and in the Department of Culture (Shri D. P. Yadav): (a) The following grants were released to the School of Buddhist Philosophy, Leh, during the last three years:

1973-74	1974-75	1975-76
Rs.	Rs.	Rs.
3,00,000	3,72,000	4,00,000

(b) The students are paid a monthly stipend of Rs. 80/- each and reside, at present, in hired buildings.

आसाम में चारा और बीज फार्म

449. **श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आसाम राज्य में एक चारा और बीज उत्पादन फारम स्थापित करने का है; और

(ख) इसे कब तक आरम्भ किये जाने की सम्भावना है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रभु दास पटेल) : (क) जी हां, बारपेटा, असम में केन्द्रीय प्रशसित चारा और बीज उत्पादन फार्म स्थापित करने का प्रस्ताव है।

(ख) यह फार्म आस्ट्रेलिया सरकार के सहयोग से स्थापित किया जाना है। भारत सरकार और आस्ट्रेलिया सरकार के बीच समझौते का ज्ञापन मसौदा स्वरूप पहले ही तैयार किया जा चुका है और उस पर विचार किया जा रहा है। यह फार्म समझौता परिपूर्ण होने के पश्चात् असम सरकार के परामर्श से कार्यवाही प्रारम्भ करेगी।

लार्ड कृष्णा शुगर मिल्स, सहारनपुर की ओर बकाया राशि

450. **श्री मुलकी राज सैनी** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लार्ड कृष्णा शुगर मिल्स, सहारनपुर की ओर गन्नें का कुल कितना मूल्य बकाया है ;

(ख) यह बकाया राशि किन-किन वर्षों की है; और

(ग) बकाया राशि के भुगतान के लिये सरकार ने क्या व्यवस्था की है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) उत्तर प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि लार्ड कृष्णा शुगर मिल्स ने 30-11-1975 को गन्ने के मूल्य के बकायों के प्रति 90.81 लाख रुपयों का भुगतान करना था।

(ख) मौसम-वार बकायों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

मौसम	राशि लाख रुपयों में
1971-72	8.04
1972-73	29.38
1973-74	शून्य
1974-75	53.39

(ग) सहारनपुर के जिला मजिस्ट्रेट ने उत्तर प्रदेश गन्ना (सप्लाई और खरीदारी का विनियमन) नियम, 1954 के उपबंधों के अनुसार फैक्ट्री को बैंक से चालू पेराई मौसम के उत्पादन पर उपलब्ध की जाने वाली पेशगियों में से 90 प्रतिशत को गन्ने के मूल्य का मौजूदा भुगतान करने और गन्ने के मूल्य के बकायों का भुगतान करने के लिए अलग रखने के आदेश जारी किये हैं।

विश्लेषण के लिए भरे गये वनस्पति, चीनी, जैम आदि के नमूने

451. **श्री चन्दू लाल चन्द्राकर** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1974-75 के दौरान विभिन्न कारखानों से भरे गये वनस्पति और चीनी के कितने नमूने सरकार को प्राप्त हुए;

(ख) उनमें से कितने नमूनों का सरकार द्वारा विश्लेषण किया गया तथा निम्न स्तर का पाया गया; और

(ग) दोषी कारखानों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) 1974-75 के दौरान वनस्पति और चीनी कारखानों से क्रमशः वनस्पति के 3102 नमूने और चीनी के 2528 नमूने लिये गये थे।

(ख) और (ग). वनस्पति के सभी 3102 नमूनों का विश्लेषण किया गया था इनमें से वनस्पति के 97 नमूने, जोकि 33 वनस्पति कारखानों के थे, विहित मानकों के अनुरूप नहीं पाये गये थे। 25 फैक्ट्रियों को चेतावनी दी गई है और राज्य सरकारों के माध्यम से 2 वनस्पति-कारखानों के विरुद्ध मुकदमे की कार्यवाही शुरू की गई है। शेष 6 दोषी कारखानों के विरुद्ध भी कार्यवाही की जा रही है।

चीनी के सभी 2528 नमूनों का विश्लेषण किया गया था। इनमें से 96 चीनी के नमूने, जोकि 23 चीनी कारखानों के थे, विहित मानकों से घटिया पाये गये थे। राज्य सरकारों के माध्यम से उनके विरुद्ध मुकदमे की कार्यवाही शुरू की गई है। 109 कारखानों के 391 चीनी के नमूनों को अभी अंतिम ग्रेडिंग दिया जाना है।

प्राध्यापकों (लेक्चरारों) के नये वेतनमान

452. **श्री शंकर दयाल सिंह** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उन राज्यों के नाम क्या हैं जिन्होंने केन्द्रीय सरकार द्वारा घोषित और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुमोदित प्राध्यापकों के नये वेतनमानों को अब तक लागू कर दिया है तथा उसके कारण कितनी धनराशि खर्च होती है ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नूरुल हसन) : उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, पंजाब तथा मणिपुर की सरकारों ने संशोधित वेतनमानों की योजना को लागू करने के अध्यादेश जारी कर दिये हैं। उन्होंने सम्पूर्ण अवधि के लिए ब्यौरेवार वित्तीय निहितार्थ जिसके लिए केन्द्रीय सहायता उपलब्ध करनी होगा अभी तक नहीं भेजे हैं।

2. बिहार, हरियाणा, राजस्थान तथा त्रिपुरा की सरकारों ने संशोधित वेतनमानों को सिद्धान्त रूप में स्वीकार कर लिया है किन्तु उसे लागू करने के आदेश जारी नहीं किये हैं।

3. केरल सरकार ने कुछ शर्तों के साथ जोकि संशोधित वेतनमानों की शर्तों से भिन्न हैं, निचले वेतनमान आरंभ कर दिये हैं। आंध्र प्रदेश सरकार ने कालेज अध्यापकों के वेतनमानों के संशोधन करने के लिए आदेश जारी कर दिये हैं, किन्तु ये विचाराधीन हैं।

4. उड़ीसा, गुजरात, मध्य प्रदेश, मेघालय तथा जम्मू और काश्मीर सरकारों ने अपने प्रस्ताव भेज दिये हैं जोकि विचाराधीन हैं।

5. शेष राज्य सरकारों ने इस मामले में अभी तक अपना निर्णय नहीं भेजा है।

दिल्ली में आवास समितियों को हो रही कठिनाइयाँ

453. श्री सतपाल कपूर : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान दिनांक 20 नवम्बर, 1975 के दैनिक समाचार पत्र "हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि 160 सामूहिक आवास समितियों को, (ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज़) जिनके सदस्यों की संख्या 25,000 है, मकान बनाने में कठिनाई हो रही है; और

(ख) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और कठिनाइयों को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरमैया) : (क) जी, हां।

(ख) यह समितियों के लिये है कि वे निर्माण के लिये निधियों की व्यवस्था करें। वित्तीय सहायता के लिए पात्र सहकारी समितियां जीवन बीमा निगम और आवास तथा नगर विकास निगम से सम्पर्क कर सकती हैं।

केरल, तामिलनाडु और कर्नाटक में खरपतवार में वृद्धि

454. श्री सी० जनार्दनन : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि एक विशेष प्रकार की खरपतवार (दक्षिणी अमरीका) केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में भारी खतरा उत्पन्न कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने उसे समाप्त करने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) हां, सरकार को इसका पता है कि एक विशेष प्रकार का खरपतवार जिसका प्रचलित नाम 'साउथ अफ्रिकन वीड' है, केरल में धान के खेतों में आमतौर पर पाया जाता है। तमिलनाडु और कर्नाटक राज्यों में व्यापक रूप से इसके फलने की रिपोर्ट नहीं मिली है। इस 'साउथ अफ्रिकन वीड' (साउथ अमेरिकन नहीं) को जल पर्णांग (वाटर फन) के नाम से जाना जाता है और इसका वैज्ञानिक नाम से लविनिया औरिकुलाटा औब्लेट है।

(ख) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् ने एक अन्तः मंत्रालय बैठक बुलायी जिसका उद्देश्य विनाशकारी खरपतवारों को नष्ट करने के लिए राष्ट्रीय योजनाओं को अंतिम रूप देना था। उक्त बैठक में इस खरपतवार को भी इन्हीं विनाशकारो खरपतवारो की श्रेणी का माना गया। इस बैठक के परिणाम स्वरूप खरपतवारों के उन्मूलन और नियंत्रण हेतु एक क्रियात्मक योजना को अंतिम रूप देने के लिए एक उप समिति नियुक्त की गयी।

फैजाबाद, उत्तर प्रदेश में लघु सिंचाई योजना के लिये विश्व बैंक सहायता

455. **श्री आर० के० सिन्हा :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जिले में लघु सिंचाई योजनाओं के लिए विश्व बैंक से कितनी राशि प्राप्त हुई ; और

(ख) कितनी धनराशि अब तक उस प्रयोजन के लिए उपयोग में लाई गई है और उस बारे में क्या प्रगति हुई है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) उत्तर प्रदेश कृषि ऋण परियोजना, जिसका कुल परिव्यय 54.30 करोड़ रुपये है और जिसमें कृषि पुनर्वित्त तथा विकास निगम के माध्यम से दी जाने वाली 28.50 करोड़ रुपए की अन्तर्राष्ट्रीय विकास संस्था की सहायता शामिल है, मंजूर की गई है। इस परियोजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के 14 पूर्वी जिले हैं, जिनमें फैजाबाद भी शामिल है। अन्तर्राष्ट्रीय विकास संस्थान की उपर्युक्त सहायता में से भारत सरकार द्वारा दिसम्बर, 1975 तक 9.27 करोड़ रुपये का दावा किया गया है। कृषि पुनर्वित्त विकास निगम इन जिलों में वित्तदायी अभिकरणों अर्थात् भूमि विकास बैंकों और सहयोगी वाणिज्यिक बैंकों के माध्यम से धनराशि उपलब्ध करायेगा ।

जहां तक फैजाबाद डिवीजन का संबंध है, पूरी परियोजना अवधि अर्थात् 1973–76 में भूमि विकास बैंक और 6 सहयोगी वाणिज्यिक बैंकों के माध्यम से 12.20 करोड़ रुपये दिए जाने का प्रस्ताव है।

(ख) लघु सिंचाई काय हेतु उपर्युक्त परियोजना के अन्तर्गत फैजाबाद डिवीजन के 6 जिलों में से 5 जिलों में भूमि विकास बैंकों ने नवम्बर, 1975 तक 4.99 करोड़ रुपये बांटे और सहयोगी वाणिज्यिक बैंकों का अनुमानित संवितरण 0 82 करोड़ रुपए है ।

चीनी कारखानों को दिये गये प्रोत्साहनों का उपभोक्ताओं पर प्रभाव

456. **श्री सरजू पाँडेय :**

श्री सी० के० चन्द्रप्पन :

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि नये चीनी कारखानों को लेवी मुक्त चीनी की अधिक प्रतिशतता दिये जाने तथा वर्तमान कारखानों में विस्तार परियोजनाओं की अनुमति और उत्पादन शुल्क में रियायतें दिये जाने से उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादकों तथा उपभोक्ताओं को किस हद तक सहायता मिलेगी ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : ये प्रोत्साहन मुख्यतया इसलिए दिए जाते हैं ताकि संयंत्र और मशीनरी की ऊंची लागत को देखते हुए जिन नयी चीनी फैक्ट्रियों को लाइसेंस दिए गए हैं और जिन मौजूदा फैक्ट्रियों में विस्तार हुआ है, वे आर्थिक दृष्टि से लाभकारी यूनिट बन सकें और उनको शीघ्र चालू करने में मदद मिल सके। इस क्षेत्र के गन्ना उत्पादकों को अप्रत्यक्ष रुप से लाभ पहुंचेगा अर्थात नयी उत्पादन क्षमता की अतिरिक्त आवश्यकताओं के प्रति वे अपना गन्ना बेच सकेंगे और इसी प्रकार चीनी का अतिरिक्त उत्पादन होने से उपभोक्ताओं को भी लाभ पहुंचेगा ।

ग्रामीण बेरोजगारी सम्बन्धी समिति

457. श्री वीर भद्र सिंह : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बेरोजगारी सम्बन्धी समिति के अनुसार कृषि श्रमिकों में अल्प रोजगार की स्थिति में वृद्धि हो रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में समिति के क्या सुझाव हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) और (ख): ग्रामीण इलाकों में रोजगार के अवसर पैदा करने हेतु आवश्यक उपाय सुझाने की दृष्टि से ग्राम रोजगार सम्बन्धी एक अध्ययन दल गठित किया गया था न कि समिति। अध्ययन दल ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है जो अब सरकार के विचाराधीन है।

अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष में शुरू किये गये दीर्घावधि कार्यक्रम

458. श्री एम० कतामुत्तु : क्या **शिक्षा. समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने महिलाओं की बेहतरी के लिये वर्ष 1975 में आरम्भ किये गये आगामी दस वर्षों में पूरा होने वाला दीर्घकालिक कार्यक्रम तैयार किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री अरविन्द नेताम): इस मामले पर विचार किया जा रहा है।

धान और गन्ने के उत्पादकों को हो रही कठिनाइयाँ

459. श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को आन्ध्र प्रदेश और देश के कई अन्य राज्यों में धान और गन्ने के उत्पादकों द्वारा अनुभव की जा रही ऐसी कठिनाइयों की जानकारी है जो उनके उत्पाद के लिये अपर्याप्त खरीद-व्यवस्था होने या लागत मूल्य में भी न दिये जाने के कारण उनके सामने आती है ;

(ख) क्या इस बारे में सरकार को अनेक अभ्यावेदन दिये गये हैं ; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे) : (क) से (ग): अधिप्राप्ति करने वाली एजेंसियों ने आन्ध्र प्रदेश और अन्य राज्यों में, जहां कहीं भी आवश्यक है, साहाय्य मूल्य पर खरीदारी करने के लिए पर्याप्त प्रबंध किए हैं। आन्ध्र प्रदेश सरकार ने भी सूचित किया है कि इस समय किसानों की ओर से धान के अधिप्राप्ति मूल्य से कम मूल्य मिलने के बारे में कोई शिकायत नहीं मिली है।

जहां तक गन्ने का संबंध है, सरकार ने चीनी फैक्टरियों द्वारा देय केवल सांविधिक न्यूनतम मूल्य निर्धारित किया है, वास्तविक मूल्य, फैक्टरियों और गन्ना उत्पादकों द्वारा आपस में तय किए जाते हैं। सामान्यतया फैक्टरियां आंशिक नियंत्रण की नीति के अधीन गन्ने का अपेक्षाकृत अधिक मूल्य देती हैं।

आन्ध्र प्रदेश गन्ना उत्पादक संघ ने 1975–76 में गन्ने के न्यूनतम मूल्य में वृद्धि करने के लिए कहा था। बारीकी से विचार करने के बाद, सरकार ने गन्ने के पहले निर्धारित न्यूनतम मूल्य में कोई वृद्धि न करने का फैसला किया है।

दिल्ली और उत्तर प्रदेश म हरिजनों और कमजोर वर्गों के लोगों को भूमि और मकानों का आबंटन

460. **श्रीमती सावित्री श्याम** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या देश में आपात स्थिति के बाद दिल्ली और उत्तर प्रदेश में विभिन्न लोगों को अनेक मकानों और भूमि का आबटन किया गया है; और

(ख) उनमें से कितने प्लाट और मकानों का हरिजनों और कमजोर वर्ग के लोगों को आवंटन किया गया ?

निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरमैया) : (क) तथा (ख) : दिल्ली प्रशासन द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, देश में आपात स्थिति लागू होने के बाद, दिल्ली के गांवों में हरिजनों और कमजोर वर्गों को 2988 आवास स्थल आबटित किये गये हैं। इसके अतिरिक्त, 1–6–75 से 31–12–75 की अवधि के दौरान, दिल्ली विकास प्राधिकरण ने 2930 फ्लैट तथा 7925 प्लाट आवंटित किये हैं। इनमें से, 677 फ्लैट और लगभग 1025 प्लाट अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को आबटित किये गये हैं।

आपात स्थिति लागू होने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भूमिहीन परिवारों को 99308 आवास स्थलों का आबंटन किया गया है। यह मालूम नहीं है कि कितने आबंटी हरिजन हैं या कमजोर वर्गों से संबंधित हैं।

पंजाब राज्य में उर्वरकों की आवश्यकता

461. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1974–75 तथा 1975–76 के दौरान पंजाब राज्य में उर्वरकों की कितनी मांग थी ; और

(ख) उक्त अवधि में पंजाब राज्य को कितनी मात्रा में उर्वरक दिये गये ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रभु दास पटेल) : (क) तथा (ख) वर्ष 1974-75 तथा 1975-76 के दौरान पंजाब राज्य में उर्वरकों की कुल निर्धारित मांग और इन वर्षों के दौरान पंजाब को की गई सप्लाई इस प्रकार है :—

कुल निर्धारित मांग (पोषक तत्व हजार मीटरी टनों में)

वर्ष	एन	पी	के	योग
1974	283.972	86.064	21.576	391.612
1975 (खरीफ)	228.070	40.030	1.000	269.100

(पोषक तत्व हजार मीटरी टनों में)

वर्ष	एन	पी	के	योग	टिप्पणी
1974	222.126	57.588	12.247	291.961	
1975 (खरीफ)	*146.954	*30.350	*5.778	*143.082	

*फरवरी 1975 से नवम्बर, 1975 तक की सप्लाई।

उर्वरकों के उपलब्ध न होने के कारण वर्ष 1974 के शुरू में कुल निर्धारित मांगों के स्तर तक सप्लाई नहीं की जा सकी। मांग की कमी के कारण वर्ष 1974 के अन्तिम भाग में और 1975 के दौरान कुल निर्धारित मांग के स्तर तक सप्लाई नहीं की जा सकी थी।

जनकपुरी, नई दिल्ली में दिल्ली विकास प्राधिकरण की भूमि पर नाजायज कब्जा

462. **श्री हरि सिंह** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली में पंखा रोड पर जनकपुरी कालोनी के ब्लाक ए-2 तथा ए-3 में दिल्ली विकास प्राधिकरण के बड़े-बड़े भूखण्डों पर लोगों ने अनधिकृत कब्जा किया हुआ है ;

(ख) क्या इस प्रकार के कब्जे को हटाने तथा आवासों, सड़कों, स्कूलों आदि के लिये निर्धारित इन भूखण्डों को विकसित करने के लिये दिल्ली विकास प्राधिकरण ने कोई प्रयास नहीं किये हैं ; और

(ग) नाजायज कब्जे हटाने, भूखण्डों का विकास करने और इससे प्रभावित होने वाले नाजायज कब्जाधारियों के पुनर्वास के बारे में निकट भविष्य में क्या ठोस कदम उठाने का विचार है ?

निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघु रमैया) : (क) जनकपुरी से असलतपुर गांव के पास ब्लाक ए-2 तथा ए-3 में लगभग 1 बीघा और 9 बिस्वा भूमि का उल्लंघन हुआ है।

(ख) तथा (ग) भूमि का दखल भूमि अर्जन समाहर्ता द्वारा दिल्ली विकास प्राधिकरण को अभी दिया जाना है। उल्लंघन को हटाने के बारे में कोई कार्यवाही करने तथा अनधिवासियों को पुन: बसाने का इस समय प्रश्न ही नहीं उठता।

Cost of Production of Sugarcane

463. **Dr. Laxminarayan Pandeya**: Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state:

(a) whether production cost of sugracane has increased as a result of increase in prices of chemical fertilizers, irrigation rates and increase in the prices of other agricultural implement and farmers are likely to suffer great loss due to the present prices fixed for sugarcane and it can also affect the sugarcane production; and

(b) if so, action taken by Government in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Shah Nawaz Khan): (a) & (b) Over the past few years, cost of production of sugarcane registered an increase due to rise in prices of various inputs. However during 1975, prices of several inputs have remained more or less stable. During the year prices of fertilizers have been reduced twice, first in July and then in December. Prices of oil cakes and fodder fed to bullocks have also come down reducing the cost of maintaining the bullocks. The prices received by cultivators for delivery of cane to sugar factories are generally higher than the minimum prices fixed by the Government.

Reasonable Price to Agriculturists

464. **Shri Hukam Chand Kachwai**: Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state:

(a) whether there are considerable differences in the prices of coarse grains in different States in the country at present;

(b) if so, whether any action is being taken by Government in this regard; and

(c) whether it is a fact that when the agricult rist brings his produce for sale in the market its purchasing price is low and Food Corporation sells the same at higher prices and if so, the difference there in ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Annasaheb P. Shinde): (a) & (b) Although the prices of coarse grains differ from State to State, prices of fair average quality grains have generally ruled higher than the procurement price. Wherever the price tends to fall below the procurement price, support purchases are made by Government agencies at procurement price so as to safeguard the interests of the agriculturists.

(c) The Food Corporation of India purchases foodgrains at the procurement prices fixed by the Government of India. The issue prices are higher because of the addition of procurement and distribution incidentals incurred by the Food Corporation of India. A statement indicating the procurement and issue prices is attached. [Placed in the Library. *See* No. L.T. 10098/76.]

Expenditure on Diary Development during Fifth Plan

465. **Dr. Laxminarayan Pandeya**: Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state:

(a) the amount of expenditure incurred on the diary development in India during 1975-76;

(b) the amount allocated for the purpose for the Fifth Five Year Plan ;

(c) the per capita availability of milk in the country at present; and

(d) the extent to which it will increase by the end of Fifth Five Year Plan ?

The Deputy Minister in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Prabhudas Patel): (a) An outlay of Rs. 67·77 crores has been provided during 1975-76 for development of Animal Husbandry and Dairying. Actual expenditure figures will be available only after the end of the financial year.

(b) An outlay of Rs. 540.135 crores has been tentatively allocated for development of Animal Husbandry and Dairying as per the Draft Fifth Five Year Plan.

(c) In 1973-74, the base year of the Fifth Plan, the per capita availability of milk in the country was estimated to be of the order of 110 gms. per day. There is at present no system whereby production figures for individual years in the Plan period could be precisely estimated.

(d) The per capita availability is expected to increase to 123·8 gms. per day by the end of the Fifth Five Year Plan.

Rice to be purchased by F.C.I. for Export

466. Dr. Laxminarayan Pandeya: Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state:

(a) the quantum of basmati rice to be purchased by the Food Corporation of India this year for export; and

(b) the rate at which it will be purchased ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Annasaheb P. Shinde): (a) & (b) It is not feasible at this stage to indicate the quantum of basmati rice which will be purchased by the Food Corporation of India this year for export purposes. The question of the rate at which it will be purchased, is still under the consideration of the Government.

बासमती चावल के निर्यात के लिये संकुल कार्यक्रम

468. **श्री बसन्त साठे** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बासमती चावल के निर्यात में वृद्धि के लिए एक संकुल कार्यक्रम बनाया है;

(ख) यदि हां, तो 1975–76 के दौरान अब तक कितनी मात्रा में तथा कितने मूल्य का बासमती चावल निर्यात किया गया तथा वर्ष 1975–76 के लिए निर्धारित लक्ष्य को कितना पूरा कर लिया जायेगा ;

(ग) चालू वर्ष के दौरान हुए निर्यात की स्थिति पिछले वर्ष की उसी अवधि के दौरान हुए निर्यात की तुलना में क्या है ; और

(घ) क्या सरकार बासमती चावल का निर्यात और बढ़ाने पर विचार कर रही है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) अप्रैल, दिसम्बर, 1975 की अवधि के दौरान 2.26 करोड़ रुपये के मूल्य का 3975 मीटरी टन बासमती चावल का निर्यात किया गया, जबकि गत वर्ष की तदनुरूपी अवधि के दौरान 17.26 करोड़ रुपये के मूल्य का 29,722 मीटरी टन बासमती चावल निर्यात किया गया था।

(घ) जी हां।

प्याज का मूल्य

469. **श्री पी० गंगादेव** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष देश में प्याज का उत्पादन 30 प्रतिशत से 40 प्रतिशत तक गिर गया है;

(ख) क्या देश से प्याज के निर्यात से इसका मूल्य बहुत बढ़ गया है ; और

(ग) सरकार ने उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए प्याज का मूल्य स्थिर रखने की क्या कार्यवाही की है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) प्याज के सम्बन्ध में अखिल भारतीय आधार पर सरकारी अनुमान तैयार नहीं किये जाते हैं। तथापि, ऐसे संकेत हैं कि प्रतिकूल मौसम की परिस्थितियों के कारण नम्बर में हुई फ़सल पर कुछ सीमा तक प्रभाव पड़ा था, परन्तु आशा है शीघ्र ही दूसरी होने वाली फ़सल अच्छी होगी।

(ख) प्याज के निर्यात का, जो अब तक कुल अनुमानित उत्पादन का केवल 5 प्रतिशत है, आंतरिक मूल्यों पर कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा है।

(ग) इस संबंध में निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं :–

(1) यद्यपि, निर्यात बहुत कम है, लेकिन इसे अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है।

(2) राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ ने अधिप्राप्ति केन्द्रों से उत्पाद लाकर प्याज के खुदरा विक्रय के लिये व्यवस्था की है।

Demands for Fertilisers

470. **Dr. Laxminarayan Pandeya :**

Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) whether fertilizers consumption declined during 1975-76 (upto December, 1975) as compared to 1974-75 ; and

(b) whether it has adversely affected the agricultural production ?

The Deputy Minister in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Prabhudas Patel) (a) and (b). Figures of consumption of fertilisers during Kharif 1975 as compared to Kharif 1974 show an increase in the consumption of nitrogenous fertilisers and a decline in the consumption,

of phosphatic and potassic fertilisers. The figures are as given below :—

Year	N	P	K	N+P+K (in '000 tonnes)
1974	731·28	233·67	161·65	1126·60
1975	756·14	174·79	107·50	1038·43

As regards Rabi, the actual consumption figures for Rabi 1975 are not yet available, as the season is still on. It is too early to assess the effect on agricultural production of the decline in Kharif 1975 in the consumption of phosphatic and potassic fertilisers.

नयी शिक्षा पद्धति

471. श्री रानेन सेन : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में नयी शिक्षा पद्धति किस वर्ष से लागू की जाएगी और क्या इससे कुछ कठिनाइयां पैदा होंगी ;

(ख) प्रस्तावित नई शिक्षा पद्धति के प्रति विश्वविद्यालयों की प्रतिक्रियाएं क्या हैं; और

(ग) वर्तमान शिक्षा पद्धति की तुलना में नयी शिक्षा पद्धति से क्या क्या लाभ होने की आशा है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) यह मामला मुख्यत: राज्य सरकारों से सम्बन्धित है। अधिकांश राज्यों तथा संघ क्षेत्रों ने शिक्षा की नयी पद्धति लागू कर दी है तथा बाकी राज्य इस मामल पर गम्भीरता से विचार कर रहे हैं। केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने, जिसमें सभी राज्य शिक्षा मंत्रियों का प्रतिनिधित्व है, एक संकल्प पारित किया है जिसमें यह सिफ़ारिश की गई है कि शिक्षा की नयी पद्धति, पांचवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि समाप्त होने से पूर्व सारे देश में लागू की जानी चाहिए। शिक्षा की नयी पद्धति लागू करने से किसी प्रकार की कठिनाइयां उत्पन्न होने की कोई सम्भावना नहीं है।

(ख) अभी हाल ही में हुए कुलपतियों के सम्मेलन (30 सितम्बर—1 अक्तूबर, 1975) में 10+2+3 की प्रणाली लागू करके शिक्षा की नयी पद्धति स्वीकार की गई है।

(ग) शिक्षा की नयी पद्धति के कार्यान्वयन के फलस्वरूप होने वाले लाभों में से कुछ इस प्रकार हैं :—

I. स्कूल स्तर सुदृढ़ हो जाएगा और इसकी अवधि बारह वर्ष होने के कारण इसके स्तरों मे सुधार होगा तथा इसमें इण्टरमीडिएट स्तर भी शामिल होगा जिससे अच्छे शिक्षक तथा सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी।

II. ग्यारहवीं कक्षा में पहुंचने पर छात्र अपनी भावी जीविका के विषय में अन्तरिम निर्णय लेने में पर्याप्त परिपक्व हो जाएंगे।

III. बिना किसी उद्देश्य के अपनी उच्च शिक्षा को जारी रखने के बजाय जब काफ़ी संख्या में छात्र उच्चतर माध्यमिक स्तर पर व्यवसायों में दाखिल होंगे तब विश्वविद्यालय प्रणाली पर पड़ने वाले दबाव कम होने की सम्भावना है।

IV. उच्च शिक्षा के स्तरों में भी सुधार आएगा क्योंकि विश्वविद्यालय पाठ्यक्रमों में जाने वाले छात्र अच्छी भूमिका तथा परिपक्वता वाले होंगे।

V. मौजूदा दो वर्षीय पाठ्यक्रम की तुलना में, तीन वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम निश्चित रूप से बेहतर होगा क्योंकि तीन वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम से विशिष्टता सामान्य तथा अन्तर विषय के शिक्षा की मांगें पूरी की जा सकेंगी और इससे व्यावहारिक अनुभव, क्षेत्रीय कार्य तथा परियोजना मूलक अध्ययन की समुचित व्यवस्था हो सकेगी।

VI. स्कूल तथा विश्वविद्यालय दोनों पद्धतियों के द्वारा तैयार किए गए छात्र अधिकांशत: नियुक्त किए जा सकेंगे और वे अधिक उपयोगी नागरिक होंगे।

युवाओं तथा बच्चों के लिए राष्ट्रीय नीति

472. **श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हमारे राष्ट्रीय कार्य के अनुरूप देश में युवाओं तथा बच्चों के लिए उनकी अपनी अपनी भूमिका के बारे में राष्ट्रीय नीति अपनाई गई है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त नीति की मुख्य बातें क्या हैं?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) और (ख). बच्चों के लिए राष्ट्रीय नीति, भारत सरकार के संकल्प संख्या एफ़ 1/4/74 सी० डी० डी० दिनांक 22 अगस्त, 1974 में दी गई है जिसे 26 अगस्त, 1974 को सभा पटल पर रख दिया गया था। जहां तक युवकों का संबंध है, कोई ऐसी नीति दस्तावेज तैयार नहीं किया गया है, किन्तु सरकार छात्रों तथा गैर छात्रों के लिए विभिन्न युवा कार्यक्रमों को चला रही है।

इनमें, छात्रों को रचनात्मक विकास कार्य-कलापों में शामिल करने के लिये अवसर प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय सेवा योजना; राष्ट्र निर्माण कार्य-कलापों; खेलों को व्यापक बनाने; गैर औपचारिक शिक्षा कार्यक्रमों में गैर छात्र युवकों को शामिल करने के लिए नेहरू युवक केन्द्र; एकता के सिद्धांत के प्रचार के लिए राष्ट्रीय एकता समितियां तथा शिविर; नेतृत्व, चरित्र तथा सहयोग की भावना की विशेषताओं के विकास के लिए राष्ट्रीय केडेट कोर; आधुनिक कृषि, प्रौद्योगिकी में ग्रामीण युवकों के प्रशिक्षण के लिए युवक मंडल तथा विस्तार प्रशिक्षण कार्यक्रम भी शामिल है।

बहुतायत वाले राज्यों से गेहूं की तस्करी

473. **श्री धामनकर :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बेईमान व्यापारी तथा समाज विरोधी तत्व बहुतायत वाले राज्यों से गेहूं की तस्करी कमी वाले राज्यों में करके, जहां गेहूं 80 रुपये से 100 पये प्रति क्विंटल महंगा है, भारी लाभ कमा रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो इन त्रुटियों को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) एक क्षेत्रीय राज्य के निर्माण से अधिकारियों को और अधिक गेहूं खरीदने में कहां तक सफ़लता मिली है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे) : (क) से (ग). अधिशेष राज्यों से कमी वाले राज्यों को गेंहू की बड़े पैमाने पर तस्करी का कोई भी मामला सरकार के नोटिस में नहीं लाया गया है । राज्य सरकारें अन्तर क्षेत्रीय संचलन नियंत्रण आदेशों के किसी प्रकार का उल्लंघन करने के बारे में बराबर निगरानी रख रही है और जहां कहीं आवश्यक समझा जाता है वहां शीघ्र और कड़ी कार्यवाही की जाती है । राज्यों में संबंधित प्रवर्तन एजेन्सियों को सशक्त कर दिया गया है । गेहूं के एकल राज्य जोन बनाने से गेहूं की अधिक से अधिक अधिप्राप्ति करने में मदद मिली है।

विश्व-बैंक द्वारा केरल, गुजरात तथा आंध्र प्रदेश में मत्स्य-पत्तनों की स्थापना

474. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने केरल, गुजरात तथा आंध्र प्रदेश में नये मत्सय-पत्तनो की स्थापना के लिये धन देने का प्रस्ताव किया है; और

(ख) इस संबंध में राज्य सरकारों तथा केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) और (ख). जी हां। एक दल द्वारा विभिन्न समुद्र-तटीय राज्यो का प्रारम्भिक दौरा करने के बाद विश्व बैंक ने चुने हुए राज्यों में परियोजना रिपोर्टें तैयार करने में सहायता देने के लिए एक मिशन भेजा। राज्यों के प्रस्तावों की प्रारम्भिक जांच करने के बाद इस मिशन ने समेकित मत्स्य की परियोजनाओं के संबंध में सम्भाव्यता रिपोंट तैयार करने का काम शुरू किया जिसमें केरल, गुजरात और आंध्र प्रदेश में मत्स्य की बंदरगाहों का निर्माण भी शामिल है । सरकार इन प्रस्तावों की जांच कर रही है।

Kakorishiksha samiti, Shahajahanpur

475. **Shri Jitendra Prasad :** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) the amount of funds and machinery given to the Kakori Shaheed Shiksha Samiti (Kakori Martyrs Educational Committee)S hahajahanpur, Uttar Pradesh from the Freedom from Hunger Campaign Fund and whether all these funds and the machinery have not been utilized for the purpose for which they were given ; and

(b) if so, whether Government have conducted an enquiry into it and the results thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Prabhudas Patel): (*a*)Freedom From Hunger Campaign now re-named as People's Action for Development (India) a registered Society under the Ministry of Agriculture and Irrigation sanctioned an amount of Rs. 1·32 lakhs in August, 1968 to Kakori Shiksha Samiti, Shahajahanpur, (U.P.) for a Project, on the development of the Farm and organisation of farmers Production-*cum*-Training Camps and Farmers's Discussion Groups. The assistance was sanctioned for the following items of work:

		Rs.
(1) Development of Agriculture Farm :		
	(a) Tractors with implements	70,000
	(b) Sheds	10,000
	(c) Irrigation Channels	10,000
	(d) Purchase of Inputs	10,000
	(e) Tubewells	20,000
		1,20,000
(2) Farmers' Production-*cum*-Training Camps		3,000
(3) Staff		8,400
	Total	1,32,000

Out of the above sanctioned grant the first instalment of Rs. 50,000 was released in August 1968 for the purchase of two tractors and the second instalment of Rs. 30,000 in September, 1968 for purchase of tractor driven implements (Rs. 10, 000) and agriculture inputs (Rs.10,000).

Since the Project did not progress satisfactorily, further release of funds was withheld.

The machinery and agricultural inputs were purchased but were not fully made use of for the development of the farm for which these were provided.

(b) Yes, an enquiry was made and the following information was revealed :—

(1) The area chosen for the project work was really backward and needed P.A.D. support and if the project had been implemented on proper lines, it would have created to tremendous impact.

(2) There was no proper management for running the project and the accounts were not in order.

(3) The redeeming feature was that two tractors which were the main items of the equipment were purchased and were available for use.

The Enquiry Committee made the following recommendations :—

(i) No further grants be given by the People' Action for Development (India) to Kakori Shiksha Samiti, Shahajahanpur.

(ii) Use of tractors and other implements purchased out of People's Action for Development (India) grant should be controlled by the Project Committee, stipulted in the Project write-up.

(iii) The Society will maintain proper accounts for the use of tractors and equipment.

Thereafter, the President of Kakori Shiksha Samiti, Shahajahanpur was requested to convene a meeting of the Project Committee and take steps for streamlining the functioning of the Project and utilisation of the equipment already purchased out of People's Action for Development (India) grant. The U. P. Government has also been requested to take up the matter with the Kakori Shaheed Shiksha Samiti, Shahajahanpur for implementing the above decisions.

नारियल के तेल का मूल्य

476. श्री एस० ए० मुरुगनन्तम :

श्री सी० के० चन्द्रप्पन :

क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नारियल के तेल का न्यूनतम मूल्य निश्चित करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रभु दास पटेल) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

प्याज का मूल्य

477. श्री एस० ए० मुरुगनन्तम :

श्री नरेन्द्र कुमार सांघी :

क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस तथ्य का पता है कि व्यापारियों ने देश की सारी प्याज जमा कर ली है, जिसके परिणामस्वरूप बाजार में प्याज का बड़ा संकट हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और प्याज बाजार में इस संकट को दूर करने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रभु दास पटेल) : (क) तथा (ख) : नवम्बर–दिसम्बर, 1975 के दौरान सामान्यतः प्याज के मूल्यों में काफी वृद्धि हुई है। मूल्यों में वृद्धि के लिये ये मुख्य बातें जिम्मेदार थीं :––महाराष्ट्र तथा तमिलनाडु में प्याज की कम फसल होना तथा मिस्र एवं नीदरलैंड में प्याज की फसल खराब होने के कारण इसके निर्यात की आशा बढ़ाना, जिसके फलस्वरूप व्यापार में सट्टेबाजी बढ़ी।

मूल्यों को बढ़ने से रोकने के लिये सरकार ने 4 दिसम्बर, 1975 से केवल राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ के माध्यम से ही प्याज का निर्यात करने की व्यवस्था की है, जिन्हें निदेश दिया गया है कि वे कुछ समय के लिये निर्यात न करें। इस उपाय के फलस्वरूप तथा मण्डियों में प्याज की दूसरी फसल आने के कारण प्याज के मूल्यों में काफी कमी आई है।

गोदावरी जल का उपयोग

478. श्रीमती पार्वती कृष्णन :

श्री पी० जी० मावलंकर :

क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संबंधित राज्यों द्वारा गोदावरी के जल के उपयोग का विवाद का मैत्रीपूर्ण हल निकालने के लिए उन्होंने आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्रियों के साथ एक बैठक की थी; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उक्त बैठक के क्या परिणाम निकले ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री केदार नाथ सिंह) : (क) गोदावरी बेसिन में नई परियोजनाओं के निर्माण के न्यूनतम कार्यक्रम पर न्यायाधिकरण के निर्णय होने तक एक समझौते पर पहुंचने की दृष्टि से, केन्द्रीय कृषि और सिंचाई मंत्री ने जुलाई, 1975 में संबंधित राज्यों के मुख्य मंत्रियों की एक बैठक बुलाई थी। इस बैठक में लिये गये निर्णयों के अनुसार अधिकारी स्तर पर दो बैठकें हुई थीं और आंध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री ने कर्नाटक, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के मुख्य मंत्रियों के साथ इसमें निहित विभिन्न मामलों पर विचार विमर्श किया था और द्विपाक्षिक समझौते किये गये। कृषि और सिंचाई मंत्री के अनुरोध पर मध्य प्रदेश और उड़ीसा के मुख्य मंत्रियों की बैठक हुई और एक द्विपाक्षिक समझौता हो गया है। 19 दिसम्बर, 1975 को केन्द्रीय मंत्री ने सभी पांचों राज्यों के मुख्य मंत्रियों के साथ एक बैठक की थी जिसमें गोदावरी के संबंध में अंतिम समझौता हुआ है।

(ख) इस समझौते की मुख्य रूपरेखा निम्न प्रकार है :—

(1) नई परियोजनाओं के लिए मंजीरा उप-बेसिन में कर्नाटक 14.27 टी०एम०सी० तथा महाराष्ट्र 22 टी०एम०सी० जल का प्रयोग कर सकता है। आंध्र प्रदेश, सिंगूर परियोजना का 30 टी० एम० सी० की कुल क्षमता के साथ निर्माण कर सकता है और हैदराबाद शहर के पीने के पानी की पूर्ति के लिए 4 टी०एम०सी० जल ले सकता है।

(2) महाराष्ट्र, मुख्य गोदावरी में से जयक्वाड़ी और सिद्धेश्वर बांधों के प्रतिप्रवाह के सारे जल का प्रयोग कर सकता है।

(3) जयक्वाड़ी, सिद्धेश्वर और निजामसागर बांधों का अनुप्रवाह और पोचमपाद तक, महाराष्ट्र 60 टी०एम०सी० पानी का प्रयोग कर सकता है और शेष पानी का प्रयोग आंध्र प्रदेश कर सकता है।

(4) पोचमपाद के अनुप्रवाह में गोदावरी जल का आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र प्रत्येक 300 टी०एम०सी० तथा उड़ीसा 200 टी०एम०सी० जल का समुपयोजन कर सकता है।

(5) निम्नलिखित परियोजनाओं को संयुक्त प्रयास के रूप में हाथ में लेने के लिए सहमति हुई :—

(1) आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के द्वारा इनचमःपल्ली,

(2) आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र द्वारा लैण्डी, निम्न पेनगंगा तथा प्राणहिता परियोजनाएं।

(3) मध्य प्रदेश और उड़ीसा द्वारा साबरी उपबेसिन की परियोजनाएं।

(6) निम्नलिखित नई परियोजनाओं को हाथ में लेने के लिए समझौता हुआ :--

(1) आंध्र प्रदेश	--	तलिपेरू
(2) उड़ीसा	--	अपर इन्द्रावती
(3) मध्य प्रदेश	--	बोध घाट ।

आवश्यक वस्तु अधिनियम के अधीन पकड़ा गया खाद्यान्न

479. **श्रीमती पार्वती कृष्णन** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले छः महीने की अवधि के दौरान, आवश्यक वस्तु अधिनियम के अधीन प्रत्येक राज्य में सरकार द्वारा कुल कितना खाद्यान्न पकड़ा गया ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अणासाहिब पी० शिन्दे) : सूचना मंगवाई गई है और प्राप्त होते ही सभा के पटल पर रख दी जायेगी।

उप-कुलपतियों का सम्मेलन

480. **श्री राम सहाय पाँडेय** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सितम्बर, 1975 के अन्तिम सप्ताह में दिल्ली में उप-कुलपतियों का दो दिवसीय सम्मेलन हुआ था; और

(ख) यदि हां, तो उक्त सम्मेलन में किये गये निर्णयों की मोटी रूपरेखा क्या है ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) जी, हां।

(ख) भारतीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों का एक सम्मेलन 30 सितम्बर और 1 अक्तूबर, 1975 को शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन की मुख्य सिफारिशें निम्नलिखित हैं :--

(1) भारत सरकार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को पर्याप्त धनराशि देनी चाहिये ताकि आयोग राज्य विश्वविद्यालयों को विशिष्ट कार्यकलापों के लिये जिसकी परिकल्पना विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 12 (ग) के अन्तर्गत की गई है, अनुरक्षण अनुदान दे सके।

(2) भवन निर्माण पर भारत सरकार द्वारा लगाये गये अस्थायी प्रतिबंध के प्रयोजनों हेतु, छात्रावासों को गैर-कार्यात्मिक भवनों के रूप में नहीं समझा जाना चाहिये।

(3) समय-समय पर पुस्तक बैंकों में पुस्तकों के संग्रह में वृद्धि करने के लिये योजना अवधि के दौरान अतिरिक्त अनुदान देकर, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को कालिजों की सहायता करनी चाहिये। पुस्तक बैंकों का क्षेत्र स्नातकोत्तर तथा व्यावसायिक पाठ्यक्रमों तक भी बढ़ाया जाना चाहिये।

(4) कृषि, इंजीनियरी और औषध संकायों समेत विश्वविद्यालयों तथा कालेजों के सभी संकायों में परिशोधित वेतनमान लागू करने के लिये राज्य सरकारों को राजी किया जाये।

(5) बेहतर समन्वय के प्रयोजनों हेतु, राज्य सरकार को विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की एक समन्वय समिति स्थापित करनी चाहिये जिसमें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का प्रतिनिधि भी हो।

(6) कालिजों और विश्वविद्यालयों में पिछड़ी जाति के छात्रों के लाभ के लिये प्रतिपूर्ति अध्यापन उपलब्ध करने हेतु कुछ अध्यापन पदों के लिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को 100 प्रतिशत आधार पर खर्च देना चाहिये।

(7) पाठ्यक्रमों की पुनःसंरचना का मुख्य बल सभी पाठ्यक्रमों को अद्यतर तथा आधुनिक बनाने और अध्यापन अध्ययन की प्रक्रियाओं का विकास करने पर होना चाहिये, जो कि न केवल एक विषय में बल्कि सभी अध्यापन कार्य में व्यक्ति विशेष तथा छात्रों की सामाजिक जरूरतों में एकरूपता लाने का उपाय है।

(8) 10+2+3 पद्धति को अपनाने वाले विश्वविद्यालयों, विशेष रूप से उन विश्व विद्यालयों को जिनमें इस समय दो वर्ष डिग्री पाठ्यक्रम चल रहे हैं, वित्तीय सहायता प्रदान करना आवश्यक होगा। अगले दो वर्षों के दौरान, प्रथम डिग्री पाठ्यक्रम में विषय को समृद्ध बनाने के लिए तथा स्तरों में सादृश्यता तथा समानता को सुनिश्चित करने के लिए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विश्व-विद्यालयों को एक दूसरे के निकट लायेगा।

(9) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, व्यावसायिक पाठ्यक्रमों पर 10+2+3 पद्धति की निहितार्थों के अध्ययन के लिए, अखिल भारतीय चिकित्सा परिषद्, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् तथा बार परिषद् के साथ संयुक्त सलाहकार समितियां गठित करेगा।

(10) सम्मेलन ने स्वायत्त कालेजों के सिद्धान्त से सामान्य रूप से सहमति प्रकट करते हुए स्वायत्त स्थिति के लिए कालिजों को चुनने हेतु निम्नलिखित मार्गदर्शी रूप रेखाओं का सुझाव दिया था :—

(i) श्रेष्ठ निष्पादन का दीर्घकालिक रिकार्ड जिसमें शैक्षिक प्रयोग तथा नवीनता का प्रमाण भी सम्मिलित है,

(ii) पर्याप्त सुविधाओं, पुस्तकालयों, प्रयोगशालाओं तथा स्टाफ का होना,

(iii) जिसका उच्च शैक्षिक स्तर हो तथा प्रशासनिक क्षमता हो,

(iv) अध्यापक-छात्र का अच्छा अनुपात।

(11) विश्वविद्यालय जीवन में खेल संबंधी कार्यकलापों को और अधिक महत्व देना चाहिए तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को विश्वविद्यालयों के खेलों के लिए निधियां निर्धारित रख देनी चाहिए और प्रशिक्षकों को नियुक्त करने के

लिए विशेष अनुदान उपलब्ध कराये जाने चाहिए तथा खेल संबंधी सुविधाओं को इस प्रकार आयोजित किया जाना चाहिए कि वे अधिकांश छात्रों को उपलब्ध हो सकें। प्रत्येक विश्वविद्यालय को ऐसे छात्र केन्द्र स्थापित करने चाहिए जहां छात्र विभिन्न सांस्कृतिक तथा मनोरंजक कार्यकलापों में भाग ले सकें और इस प्रयोजन के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निधियां दी जानी चाहिएं। विश्वविद्यालय तथा अंतर विश्वविद्यालय आधार पर युवक समारोह का आयोजन होना चाहिए। कुलपतियों के सम्मेलन की कार्यवाही की पांच प्रतियां संसद् भवन के पुस्तकालय में रख दी गई हैं।

भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् के क्षेत्रीय केन्द्रों में प्रचार कार्य

481. **श्री पी० एम० सईद** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के क्षेत्रीय केन्द्रों में प्रचार कार्य बहुत कम किया जाता है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) (क) और (ख) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसंधान संस्थानों की सभी महत्वपूर्ण उपलब्धियों और घटनाओं का समुचित प्रचार संबंधित क्षेत्रों में समाचार पत्रों, पत्रिकाओं, रेडियो और टेलिविजन द्वारा किया जा रहा है।

इस पर और आगे कार्यवाई करने की जरुरत नहीं।

समुद्री खाद्य पदार्थ

482. **श्री धामनकर** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में वर्ष 1974–75 के दौरान समुद्री खाद्य-पदार्थों की वास्तविक प्राप्ति की तुलना में वर्ष 1975–76 में कितने और कितने मूल्य के समुद्री खाद्य-पदार्थ प्राप्त होने का अनुमान है; और

(ख) गत वर्ष की तुलना में चालू वित्तीय वर्ष के दौरान समुद्री-उत्पादों से अनुमानतः कितनी निर्यात-आय होने की सम्भावना है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रभु दास पटेल) :(क) अनुमान है कि 1974–75 के दौरान लगभग 217 करोड़ रुपए के मूल्य की 15.41 लाख मीटरी टन समुद्री मछली पकड़ी गई थी। इसकी तुलना में 1975–76 में 260 करोड़ रुपए के मूल्य की लगभग 16.12 लाख मीटरी टन समुद्री मछली के पकड़े जाने का अनुमान है।

(ख) समुद्री उत्पादों के निर्यात से 1975–76 के दौरान 100 करोड़ रुपए से भी अधिक आय होने का अनुमान है, जबकि 1974–75 में 68.41 करोड़ रुपए की आय हुई थी।

PROCUREMENT TARGET OF WHEAT AND ITS ACTUAL PROCUREMENT

483. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the **Minister of Agriculture and Irrigation** be pleased to state:

(*a*) whether Government have fixed any targets for the procurement of wheat ;

(*b*) if so, the targets fixed, State-wise ;

(*c*) the quantum of wheat procured so far by Government State-wise;

(*d*) the action taken by Government to achieve the procurement target and the results thereof?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Annasaheb P. Shinde) :

(*a*) Yes, Sir. Targets were fixed for procurement of wheat for the Rabi marketing season 1975-76.

(*b*) *and* (*c*) A statement is attached [Placed in the Library see No. LT10099/76].

(*d*) The procurement has been maximised by prohibiting all inter-State movement of wheat and wheat products except on Central Government account. The State Governments/Union Territory Administrations have also taken appropriate administrative/statutory measures for regulating marketing of wheat within each State/Union Territory.

FALL IN PRICES OF FOOD STUFFS

484. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(*a*) whether there has been a great discontentment among the farmers because of considerable fall in prices of rice, wheat and other food stuffs during the last few months ;

(*b*) if so, the measures Government have taken to ensure fair price to the farmers for their produce;

(*c*) whether the prices of articles used by farmers have not shown any notable decline ; and

(*d*) if so, steps taken by Government to ensure the supply to farmers of fertilizer, cloth, water, etc. at fair price ?

The Deputy Minister in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Prabhudas Patel):

(*a*) *and* (*b*) : It is true that prices of rice, wheat and other foodstufis have shown a fall during the last few months, but prices of fair average qualities of different grains are by and large above the procurement prices fixed by Government. It may be stated that Government's policy is to purchase all quantities of foodgrains offered for sale at procurement prices. Adequate arrangements have been made for the purpose by the Food Corporation of India and other Public agencies.

(*c*) *and* (*d*) : Prices of fertiliser, which is one of the important inputs used by the farmer were reduced twice after the declaration of emergency. The reduction effected from 18th July, 1975 was 7 to 8 per cent. while, reduction affected from 1st December, 1975 ranged from 3·3 to 13·96 per cent in the case of some of the major fertilisers.

Maximum retail prices of three major nitrogenous fertilizers, namely urea, ammonium sulphate and calcium ammonium nitrate are statutorily fixed under the Fertilizer (Control) Order, 1957. The prices of fertilizers in some cases have deliberately been fixed at a level

lower than the no-profit-no-loss price. In order to ensure that unscrupulous dealers do not take advantage of shortages, sufficient powers have been vested in the State Governments to check black marketing and to take other corrective and punitive action.

Prices of wheat seed have also been reduced by the National Seed Corporation.

As far as water rates are concerned, the tariff in vogue also involves an element of subsidy.

भूमि का वितरण

485. **श्री रामावतार शास्त्री :**
श्री यमुना प्रसाद मण्डल :
सरदार स्वर्ण सिंह सोखी :
श्री वाई० ईश्वर रेड्डी :
श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :
श्री डी० के० पण्डा :

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम के अनुसार राज्य सरकारों ने हरिजनों, कृषि मजदूरों तथा गरीब किसानों में भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारित करने से उपलब्ध हुई फालतू भूमि बांट दी है ; और

(ख) यदि हां, तो 31 दिसम्बर, 1975 तक इस प्रकार प्राप्त हुई तथा वितरित की गई भूमि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है तथा इस प्रकार राज्य-वार कितने लोगों को यह भूमि मिली ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रभु दास पटेल) : (क) जोत की अधिकतम सीमा संबंधी कानून के लागू किए जाने के फलस्वरूप प्राप्त फालतू भूमि को राज्य सरकारों द्वारा हरिजनों, कृषि मजदूरों, गरीब किसानों तथा अन्य योग्य श्रेणियों के व्यक्तियों में वितरित किया जा रहा है।

(ख) अन्तिम रूप से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर एक विवरण तैयार किया गया है और सभा पटल पर रख दिया गया है। [ग्रन्थालय में रखा गया/**देखिए** संख्या एल० टी०—10100/76]

Demand to Increase Sugarcane Price

486. **Shri Ramavatar Shastri :** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(*a*) whether the area under sugarcane cultivation has decreased due to low price of sugarcane;

(*b*) whether farmers are demanding that the price of sugarcane be fixed at Rs. 20 per quintal; and

(*c*) if so, reaction of Government thereon ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Shah Nawaz Khan):(*a*). No, Sir. The area under sugarcane has been steadily increasing during the last four seasons, and even for 1975-76, the all India First Estimate of Sugarcane are a shows an increase of 5·7 per cent compared to the corresponding estimate of 1974-75.

(*b*). Demands for higher cane prices of varying magnitude have been made on behalf of the cane-growers all over the country.

(*c*). The Government have no intention of reviewing the notified statutory minimum cane price for 1975-76 season, which was fixed having regard to the overhall economic situation and the Government's determination to hold the price line of all the essential commodities of mass consumption. Under the policy of partial control in vogue, the sugar factories, however, usually pay higher cane prices in consultation with State Governments.

संयुक्त राज्य अमेरिका से खाद्यान्न का आयात

487. **श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के लिए कितनी मात्रा में खाद्यान्न का आयात करना जरूरी होगा ; और

(ख) क्या इस वर्ष खाद्यान्न का आयात करने के लिए हमने संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ पहले ही करार कर लिया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे) : (क) भारत सरकार खाद्यान्नों का आयात करने की आवश्यकता के बारे में स्थिति की बराबर समीक्षा करती रहती है और फसल की सम्भावनाओं, आन्तरिक उपलब्धता, देश के अन्दर उपलब्ध खाद्यान्नों और सरकारी वितरण प्रणाली की जरूरत के बीच अन्तर, उपयुक्त मात्रा में बफर स्टाक तैयार करने की आवश्यकता, विदेशी मुद्रा सम्बन्धी साधनों, अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में मूल्य प्रवृत्ति और अन्य सम्बद्ध तथ्यों पर विचार करने के बाद विदेशों से यथावश्यक मात्रा में खाद्यान्नों की खरीदारी करती है। 1976 के दौरान विदेशों से खाद्यान्नों की कुल कितनी मात्रा आयात की जानी है इस समय यह बताना न तो सम्भव है और न ही लोकहित में वांछनीय होगा।

(ख) जी नहीं।

राजस्थान, पश्चिम कोसी और गन्डक नहर परियोजना का पूरा किया जाना

488. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान, पश्चिमी कोसी और गण्डक नहर परियोजनाओं को शीघ्र से शीघ्र पूरा करने के बारे में नवीनतम स्थिति क्या है ;

(ख) क्या पश्चिम कोसी नहर के प्रस्तावित रेखांकन को और अधिक उत्तर अर्थात् जयनगर के निकट कमला नदी के बांध से होकर स्थानान्तरित करने के सुझाव पर विचार किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री केदार नाथ सिंह) : (क) राजस्थान नहर परियोजना के चरण-एक का कार्य, वितरण प्रणाली को पक्का करने का कार्य जो अगले तीन वर्षों तक जारी रहेगा, के अलावा, काफी हद तक 1976–77 तक पूरा हो जाएगा। इस परियोजना के चरण-दो पर कार्य अभी हाथ में लिया गया है। इसके पूर्ण करने की अनुसूची को अभी राज्य सरकार द्वारा तैयार किया जाना है। इस परियोजना के छठी योजना में, बशर्ते कि धनराशि उपलब्ध हुई, पूर्ण होने की संभावना है।

उत्तर प्रदेश में गण्डक परियोजना के पांचवीं योजना के अंत तक पूर्ण होने की संभावना है। जहां तक बिहार में गण्डक परियोजना का प्रश्न है, बराज आर० डी० 704 तक पूर्वी मुख्य नहर, तिरहुत एवं सरन नहर प्रणाली की सभी शाखाएं और उपशाखाएं लगभग पूरी हो गई हैं। वितरणियों, जल-मार्गों और माइनरों पर कार्य प्रगति पर है। इन कार्यों के 1980–81 तक पूर्ण होने की संभावना है।

नेपाल के अन्दर पश्चिमी कोसी नहर परियोजना के 1978–79 में पूर्ण होने की संभावना है। भारत में इस नहर के 37 किलोमीटर पर कार्य हाथ में लिए गए हैं और प्रांरम्भिक अवस्था में हैं। राज्य सरकार द्वारा तैयार किए गए कार्यक्रम के अनुसार कमलाबालान क्रासिंग तक नहर-प्रणाली पर कार्यों को पांचवीं योजना के अंत तक पूर्ण किया जाना है।

(ख) और (ग). राज्य सरकार ने नहर के स्थानान्तरण हेतु प्रस्ताव की जांच की है और इसको आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य नहीं पाया गया है। बहरहाल, वर्तमान रेखांकन के और उत्तर के क्षेत्र की सिंचाई की संभावना की जांच की जा रही है।

मिथिला विश्वविद्यालय को अनुदान और सुविधाओं का उपलब्ध किया जाना

489. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा और कालिदास-विद्यापति साइंस कालेज, बानीपट्टी सहित सभी कालेजों को आवश्यक धनराशि और सुविधाएं दे दी हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस नूरुल हसन). (क) और (ख) : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, आयोग ने 29 सितम्बर, 1975 को हुई अपनी बैठक में यह निर्णय किया कि ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 12–क के अन्तर्गत निर्दिष्ट नियमों के अनुसार आयोग तथा केन्द्रीय सरकार के अन्य स्रोतों से अनुदान प्राप्त करने हेतु एक पात्र संस्था के रूप में घोषित किया जाए बशर्ते राज्य सरकार इस बारे में आश्वासन दे कि—(1) छात्रों के स्वास्थ्य तथा कल्याण के लिए विश्वविद्यालय द्वारा पर्याप्त व्यवस्था (मशीनरी) की स्थापना की जाएगी; (2) विश्वविद्यालय को सामान्य रूप से अपना कार्य चलाने के लिए अनुरक्षण अनुदान देने हेतु पर्याप्त व्यवस्था की जाएगी; और (3)

राज्य सरकार द्वारा भवनों, उपस्कर, पुस्तकालय के लिए पुस्तकें, छात्रावासों, स्टाफ क्वार्टर्स जिनका कुल मूल्य विकसित भूमि सहित 2 करोड़ रुपए से कम नहीं होगा के लिए पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था की जाएगी ।

राज्य सरकार ने प्रथम दो शर्तें पूरी कर दी हैं । भवनों, उपस्कर इत्यादि के लिए पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था करने के बारे में आवश्यक आश्वासन अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है । राज्य से यह आश्वासन प्राप्त होते ही केन्द्रीय सरकार के स्रोतों से सहायता प्राप्त करने हेतु इस विश्वविद्यालय को पात्र घोषित करने के लिए आयोग आवश्यक कार्रवाई कर देगा ।

इस समय ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय से 36 संघटक/सम्बद्ध कालेजों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की धारा 2 (च) के अंतर्गत लाया गया है और इसलिए वे आयोग से सहायता प्राप्त करने के पात्र हैं । आयोग को, कालिदास विद्यापति विज्ञान कालेज, बानीपट्टी को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 2 (च) के अंतर्गत लाने के लिए ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय की ओर से अभी तक कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ।

उत्तर प्रदेश में आलू की फसल

490. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में आलू की आशातीत फसल होने की आशा है और उसका उत्पादन पिछले वर्ष के 25 लाख टन उत्पादन से अधिक होने की सम्भावना है ;

(ख) क्या आलू की फसल केवल फर्रुखाबाद और इसके निकटवर्ती जिलों में ही होती है अथवा पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ अन्य जिलों में भी होती है ;

(ग) क्या सरकार को राज्य के औद्योगिकी निदेशक द्वारा की गई इस घोषणा की जानकारी है कि आलू का पाउडर, चिप्स तथा अन्य उत्पाद बनाने के लिए फर्रुखाबाद में कम से कम दो कारखानों की स्थापना करने के प्रयास किए जा रहे हैं, और

(घ) पूर्वी उत्तर प्रदेश के आलू उगाने वाले जिलों में इसी प्रकार के आलू के उत्पाद बनाने के लिए एक भी कारखाना स्थापित करने पर विचार क्यों नहीं किया जा रहा है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) से (घ): राज्य सरकार से जानकारी एकत्रित की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

Government Accommodation to Employees

491. **Shri M. C. Daga**: Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state:

(*a*) whether Government have issued instructions to the effect that Government employees owning houses in Delhi should vacate Government accommodation ;

(*b*) the number and categories of Government employees who have been served with notices for vacation of Government accommodation; and

(*c*) the number of employees who have so far vacated the houses and handed them over to Government?

The Minister of Works and Housing (Shri K. Raghuramaiah) : (*a*) Yes, Sir.

(*b*) Notices have been issued to occupants of various types of Government accommodation, indicated below, to vacate the Government residences or, failing that, to pay licence fee at market rates :

Type	No. of officers
I . . .	400
II . . .	1122
III. . .	607
IV . . .	740
V . . .	243
VI . . .	66
VII . . .	27
VIII . .	3
Hostel . .	28
M. P. Pool .	3
Total .	3,239

(*c*) 810

Legislation Land on Ceilings

492. **Shri M. C. Daga :**

Shri Hari Kishore Singh :

Shri P. M. Sayeed :

Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(*a*) whether all the States have enacted legislation on land ceilings on the basis of the guidelines given by the Central Government ; and

(*b*) if so, the acreage of land fixed under the ceiling laws by each State ?

The Deputy Minister in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Prabhudas Patel):

(*a*) Andhra Pradesh, Bihar, Gujarat, Haryana, Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir, Karnataka, Madhya Pradesh, Maharashtra, Orissa, Punjab, Rajasthan, Tripura and U.P. have revised their ceiling laws in accordance with the national guidelines reflecting the principles underlying them. The laws of Assam, Kerala, Tamil Nadu and West Bengal had been ammended before the issue of the National guidelines reflecting the principles underlying them. A bill revising the ceiling laws of Manipur, according to the guidelines, has been passed by the State Legislature recently and being examined for President's assent being given to it. Nagaland and Meghalaya do not propose to have any land ceiling law at the moment as there is largely communal ownership of land there.

(*b*) A statement is enclosed.

[Placed in the Library, *See* No. L.T. 10101/76]

Environment Around Ancient Monuments

493. **Shri M. C. Daga** : Will the **Minister of Education Social Welfare and Culture** be please to state :

(*a*) whether Department of Archaeology have considered a proposal that the World famous ancient monuments in India should not only be protected but their environments should also be developed ;

(*b*) whether Central Coordination Committee has been set up for this purpose in consultation with the Department of Tourism ; and

(*c*) whether the suggestion of the Estimates Committee, 1973-74 in their 52nd report that such a law be enacted as may enable preservation of the natural setting of environments around the ancient monuments ; would be implemented ?

The Minister of Education, Social Welfare and Culture (Prof. S. Nurul Hasan) :

(*a*) Yes, Sir.

(*b*) Yes, Sir.

(*c*) The Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act 1958 envisages protection of monuments and development of the area attached to such monuments by the Archaeological Survey of India which has, however, no control over the lands beyond the protected limits of monments. In pursuance of the recommendations of the Cental Coordinating Committee, the Town and Counry Planning Organization has drafted a model bill proposing amendment to the State Town and Country Planning Acts with a view to covering the areas beyond the archaeological limits of the Monuments and to ensuring planned development of the environments of the monuments.

Refugees Settled In Rajasthan and Gujarat During 1971.

494. **Shri M. C. Daga** : Will the **Minister of Supply and Rehabilitation** be pleased to state :

(*a*) whether the refugees who had settled in Rajasthan and Gujarat during the year 1971 conflict with Pakistan have been sent back ; and

(*b*) if not, the reasons therefor and the plan of Government regarding resettlement of these people as also the time by which this plan is likely to be implemented ?

The Deputy Minister in the Ministry of Supply and Rehabilitation (Shri G. Venkatswamy):

(*a*) No, Sir.

(*b*) These persons are Pakistani nationals and are entitled to return to their homes in safety and honour, as and when the conditions permit. Pakistan Government is being pressed to accept those persons who are desirous of returning to Pakistan immediately.

The Government of India continue to afford temporary relief assistance in camps to the Pak nationals.

महाराष्ट्र में सिंचाई परियोजनाओं को स्वीकृति

495. **श्री शंकर राव सावन्त** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कृष्णा और गोदावरी नदियों के पानी का अन्तर्राज्यीय प्रयोग करने के बारे में संबंधित राज्यों के मुख्य मंत्रियों के बीच हुए समझौते के परिणामस्वरूप महाराष्ट्र में किन सिंचाई परियोजनाओं की केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकृति दी गई है अथवा दिये जाने की संभावना है ;

(ख) इन प्रत्येक परियोजनाओं की सिंचाई क्षमता कितनी है ; और

(ग) इनमें से प्रत्येक परियोजना पर कार्य कब आरम्भ हो जायेगा तथा कब तक पूरा हो जायेगा ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री केदार नाथ सिंह): (क) और (ख) दिसम्बर, 1973 से कृष्णा बेसिन में महाराष्ट्र की 8 परियोजनाओं को स्वीकृत किया जा चुका है, 2 अन्य परियोजनाओं को तकनीकी रूप से स्वीकार्य पाया गया है और उनकी स्वीकृति शीघ्र जारी किए जाने की संभावना है, और कृष्णा न्यायाधिकरण के निर्णयों की रोशनी में राज्य सरकार से प्राप्त अंतिम प्रस्तावों के पश्चात् 3 और अधिक परियोजनाओं पर कार्यवाही की जाएगी । इन कृष्णा बेसिन परियोजनाओं की सिचाई शक्यता परिशिष्ट एक में दी गई है। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०**—10/02/76]

महाराष्ट्र सरकार से गोदावरी बेसिन में 12 बृहत एवं 36 मध्यम परियोजनाएं अभी तक प्राप्त नहीं हुई है । इन परियोजनाओं की जैसाकि राज्य सरकार ने प्रस्ताविक किया है, सिंचाई शक्यता परिशिष्ट दो में दी गई है । **[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०**—10/02/76] इन परियोजनाओं की केन्द्रीय जल आयोग में जांच की जा रही है । अभी हाल में हुए गोदावरी समझौते की रोशनी में आगे कार्यवाही करने हेतु उनके अद्यतन लागत अनुमानों को प्राप्त करने एवं जहां पर आवश्यक है, संशोधित प्रस्तावों को तैयार करने के लिए कार्यवाही आरम्भ की जा रही है ।

(ग) ये परियोजनाएं महाराष्ट्र सरकार द्वारा जब इन्हें अन्तिम रूप दे दिया जाएगा तथा राज्य की विसाकात्मक योजनाओं में शामिल कर लिया जाएगा और उनके कार्यान्वियन के लिए धनराशि आवंटित कर दी जाएगी, कार्यान्वित की जानी है ।

पाकिस्तान और बंगलादेश से आये शरणार्थियों का पुनर्वास

496. **श्री शंकर राव सावन्त** : क्या पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1971 से पाकिस्तान और बंगलादेश वापस जाने से कितने शरणार्थियों ने इन्कार किया है ;

(ख) भारत में उनके पुनर्वास के लिए क्या प्रयास किये गये; और

(ग) ऐसे पुनर्वास पर कितना वार्षिक व्यय हुआ ?

पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) से (ग) जो पाकिस्तानी राष्ट्रिक 1971 के भारत पाक संघर्ष के दौरान राजस्थान और गुजरात में आ गए थे अनुकूल परिस्थितियां होने पर उन्हें सुरक्षा तथा सम्मान सहित पाकिस्तान वापिस जाना है । 31-10-1975 को 54,519 पाकिस्तानी नागरिक यहां रह रहे हैं जिन्हें अभी पाकिस्तान लौटना है । पाकिस्तान सरकार पर उन व्यक्तियों को लेने के लिए दबाव डाला जा रहा है जो तत्काल पाकिस्तान लौटना चाहते है ।

राहत शिविरों में इन व्यक्तियों को अस्थायी राहत सहायता देने पर लगभग 176 लाख रुपए वार्षिक व्यय होता है ।

जहां तक बंगलादेश से आए शरणार्थियों का सम्बन्ध है, आसाम और मेघालय की राज्य सरकारों ने कुछ समय पूर्व बताया था कि वहां 739 व्यक्ति ऐसे थे जिन्हें अभी बंगलादेश लौटना था। इनमें से बंगलादेश की 98 शरणार्थी लड़कियों ने भारतीय नागरिकों के साथ विवाह कर लिए हैं और उन्हें भारत स्थित बंगलादेश के आयोग से बंगलादेश का पासपोर्ट प्राप्त करने तथा फिर भारत में रहने के लिए दीर्घ कालीन विजा की मंजूरी के लिए आवेदन पत्र देने की सलाह दी गई थी। चूंकि ये बंगलादेश के राष्ट्रिक हैं इसलिए ये किसी तरह की पुनर्वास सुविधाओं के पात्र नहीं हैं।

दोनों राज्य सरकारों से ताजी सूचना मंगाई गई है ।

बंगलादेश से आए शरणार्थियों को किसी तरह की सहायता देने पर कोई व्यय नहीं किया गया है ।

गोआ विश्वविद्यालय

497. **श्री प्रबोध चन्द्र** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने कुछ समय पहले गोआ संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन द्वारा भेजे गये प्रस्तावित गोआ विश्वविद्यालय विधेयक का अनुमोदन कर दिया है ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नूरुल हसन) : यह मामला अभी विचाराधीन है ।

प्राइमरी अध्यापक सम्मेलन

498. **श्री पी० जी० मावलंकर** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय आधार पर प्राइमरी अध्यापक सम्मेलन हाल ही में दिल्ली में आयोजित किया गया था ;

(ख) ऐसा सम्मेलन आयोजित करने का उद्देश्य क्या था ;

(ग) क्या सरकार ने प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से इस बारे में कोई पहल की थी; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस सम्मेलन पर कितनी धनराशि व्यय की गई ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने नई दिल्ली में 22 से 24 नवम्बर, 1975 तक अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक सम्मेलन का आयोजन किया था।

(ख) इस सम्मेलन का आयोजन भारत में शिक्षा तथा सामाजिक परिवर्तन के लिए कार्य योजना तैयार करने तथा इस पर विचार-विमर्श करने के लिए किया गया था। सम्मेलन का विषय सामाजिक

परिवर्तन के लिए प्राथमिक शिक्षा' था। 10+2 कक्षाओं की पाठ्यचर्चा के विशेष विशिष्ठताओं पर विचार-विमर्श किया गया था जिसमें विशेष रूप से प्राथमिक शिक्षा, गैर-औपचारिक शिक्षा के उद्देश्य तथा अनिवार्य विशिष्ठताएं, विज्ञान तथा गणित के अध्यापन में वातावरण के अनुकल अध्ययन की भूमिका, मूल्यांकन प्रणालियों, स्कूलों में स्वास्थ्य तथा कृषि शिक्षा, कार्य अनुभव, प्राथमिक शिक्षा का साधारणीकरण, शिक्षा में विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी की भूमिका, परिवार,नियोजन तथा राष्ट्रीय एकता पर भी चर्चा की गई थी। इस सम्मेलन में, भारत के सभी भागों से एक लाख से भी ऊपर शिक्षकों ने भाग लिया था।

(ग) तथा (घ) इस सम्मेलन का आयोजन अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ द्वारा किया गया था। तथापि, सरकार ने इस प्रकार के सम्मेलन को आयोजित करने के संघ की स्वैच्छिक कार्रवाई का स्वागत किया। शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय ने इस सम्मेलन के आयोजन के लिए संघ को 5 लाख रुपये का तदर्थ अनुदान स्वीकृत किया है।

देश के महानगरों में गन्दी बस्तियों का गिराया जाना

499. **श्री पी० जी० मावलंकर** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलैण्डर वर्ष 1975 के दौरान देश में, विशेष रूप से चार महानगरों में गन्दी बस्ती, क्वार्टरों औ व्यक्तिगत बस्तियों एवं आवासों कं गिरा दिया गया है ; और

(ख) क्या विस्थापित व्यक्तियों को रहने और काम करने के लिये कोई अन्य स्थान और सुविधायें दी गई हैं ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) तथा (ख) 1975 के दौरान दिल्ली में कुल 29563 अनधिकृत रिहायशी संरचनाएं गिराई गई थीं। सभी पात्र परिवारों को झुग्गी-झोंपड़ी उन्मूलन योजना के अन्तर्गत इस प्रयोजन हेतु विकसित की गई जे०जे० कालोनियों में पुन: बसाया गया था। शेष तीन महानगरों अर्थात् मद्रास, बम्बई तथा कलकत्ता के बारे में आंकड़े उपलब्ध नहीं ह।

वर्ष 1974 के लिये हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड का तुलनपत्र

500. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड के वर्ष 1974 के नवीनतम तुलन-पत्र में खाद्य-तेलों/ वनस्पति में 33000 मीटरी टन का अन्तर है और उसके कोई कारण नहीं बताये गये हैं; और

(ख) क्या तुलन-पत्र के पृष्ठ 17 पर एक अस्पष्ट टिप्पणी है। जिसके अनुसार "उत्पादन में रक्षित उपयोग की वस्तुयें भी सम्मिलित हैं"?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) और (ख) कम्पनी ने सूचित किया है कि 32,812 मीटरी टन सामग्री का अन्तर रक्षित खपत में इस्तेमाल हुआ दिखाया गया है

जिसका व्यौरा नीचे दिया गया है :–

(मीटरी टन में)

उत्पाद	अथस्टाक	उत्पादन	बिक्री	रक्षित खपत	इतिस्टाक
1. वनस्पति	436	16,355	16,733	—	58
2. विधायित ट्रिगली-सेराइड्स/हाइड्रोजनी-कृत तेल					
(क) अपरम्परागत	—	33,567	755	26;897*	—
(ख) अन्य	—			5,915*	—
जोड़	436	49,922	17,488	32,812	58

*साबुन तैयार करने के लिए इस्तेमाल किए गए ।

खाद्यान्नों तथा चीनी के मूल्य

501. **श्री एस० एम० बनर्जी :**

श्री एम० कल्याण सुन्दरम :

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अक्तूबर, 1975 में खाद्यान्नों तथा चीनी के मूल्य कम हुये थे ;

(ख) यदि हां, तो कितने ;

(ग) क्या नवम्बर तथा दिसम्बर, 1975 में मूल्य फिर बढ़ने आरम्भ हो गये ; और

(घ) यदि हां, तो मूल्यों को कम करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे) : (क) से (ग) खाद्यान्नों के थोक मूल्यों में अखिल भारतीय सूचकांक में प्रतिमास गिरावट आई है। सितम्बर, अक्तूबर और नवम्बर, 1975 के अन्त में यह सूचकांक क्रमशः 368.1, 353.2 और 336.2 था। 27 दिसम्बर, 1975 के अद्यतन उपलब्ध सूचकांक में और गिरावट आयी है जो कि 321.3 था।

सितम्बर, अक्तूबर, नवम्बर और दिसम्बर, 1975 के अन्त में चीनी के थोक भाव क्रमशः रुपए 425–500, रु० 405–455 और रु० 405–448 थे (नागपुर को छोड़कर जहां यह मूल्य 475 रुपये था)। दिसम्बर में सामान्यतया अधिकांश केन्द्रों पर चीनी के मूल्यों में 5 से 40 रुपये प्रति क्विंटल तक की गिरावट आयी थी और केवल कुछ एक केन्द्रों पर चीनी के मूल्यों में 2 से 16 रुपये प्रति क्विंटल तक की वृद्धि आई थी (नागपुर में मूल्यों में 25 रुपये की वृद्धि को छोड़कर)।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

प्राथमिक तथा उच्चतर माध्यमिक अध्यापकों के वेतनमान

502. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्राथमिक तथा उच्चतर माध्यमिक अध्यापकों के वेतनमानों में और आगे सुधार किया जाना है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस उद्देश्य के लिये कोई समिति गठित की गई है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव): (क) स्कूल शिक्षा राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है । राज्य सरकारें अपनी वित्तीय कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए, अध्यापकों के वेतनमानों में सुधार करने के लिए निरन्तर प्रयत्न कर रही है ।

(ख) केन्द्रीय सरकार ने इस प्रयोजन के लिए कोई समिति नहीं बनाई है ।

उत्तर भारत विश्वविद्यालय कर्मचारी फेडरेशन का सम्मेलन

503. **श्री एस० एम० बनर्जी :**

श्री एच० एन० मुकर्जी :

क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर भारत विश्वविद्यालय कर्मचारी फैडरेशन ने नवम्बर, 1975 में दिल्ली में अपना सम्मेलन किया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या उनकी ओर से सरकार को कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; और

(ग) यदि हां, तो उन पर क्या निर्णय लिया गया है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नूरुल हसन) : (क) से (ग). एक पत्र द्वारा, उत्तर भारत विश्वविद्यालय कर्मचारी फैडरेशन ने नई दिल्ली में नवम्बर, 1975 में हुए विश्वविद्यालय कर्मचारियों के अखिल भारतीय स्तर के सम्मेलन का कार्य विवरण भेजा है । कार्य विवरण में उठाए गए विषयों की जांच की जा रही है ।

पौनार में भूदान यज्ञ रजत जयन्ती सम्मेलन

504. **श्री झारखंडे राय** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिसम्बर, 1975 में पौनार में भूदान यज्ञ का रजत जयन्ती सम्मेलन आयोजित किया गया था ; और

(ख) केन्द्रीय सरकार ने किस प्रकार की सहायता और सहयोग प्रदान किया ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रभु दास पटेल) : (क) तथा (ख). सूचना एकत्र की जा रही है और एक उपयुक्त उत्तर सभा पटल पर रख दिया जाएगा ।

कृषि–उत्पादों की कीमतें

505. **श्री समर गुह** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न कृषि–उत्पादों की कीमतों में वृद्धि हुई है या कमी हुई है ; और

(ख) पूर्ववर्ती वर्ष और इस वर्ष इन उत्पादों की तुलनात्मक कीमतों का ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रभु दास पटेल) : (क) और (ख). इस समय प्रमुख धान्यों, गन्ना, पटसन और कपास के वसूली । निम्नतम मूल्य सरकार द्वारा निश्चित किये जाते हैं । वर्ष 1974–75 और 1975–76 के लिये इन जिन्सों के सम्बन्ध में सरकार द्वारा निश्चित किये गये मूल्यों का विवरण निम्नलिखित तालिका से पता लगता है :—

(रु० प्रति क्विंटल)

जिन्स	किस्म	वसूली मूल्य	1974–75	1975–76
1	2	3	4	5
धान .	मोटा	वसूली मूल्य	74	74
ज्वार	उचित औसत किस्म	तदेव	74	74
बाजरा	तदेव	तदेव	74	74
मक्का	तदेव	तदेव	74	74
रागी	—	तदेव	74	74
गेहूं	समस्त किस्में	तदेव	105	105
गन्ना		गन्ने के कारखानों द्वारा अदा किया जाने वाला निम्न-तम संविधिक मूल्य	8.50+	8.50+
पटसन	असम बाटम	निम्नतम सहाय्य मूल्य	125द	135द
कपास	320 एफ० अमे-रिकन	तदेव	निश्चित नहीं किये गये	210

द. क्या समस्त अन्तप्रदेशीय मंडियों के लिये संविधिक आधार पर समानरुप से निश्चित किये गये ।

+मूल स्तर की तुलना में प्रत्येक 0.1 प्रतिशत की वृद्धि के लिये 10 पैसे के प्रीमियम के साथ 8.5 प्रतिशत के मूल वसूली स्तर से जोड़े गये ।

दिल्ली में झुग्गी-झोंपड़ी में रहने वाले व्यक्तियों को वित्तीय सहायता

506. **श्री हरि किशोर सिंह** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या झुग्गी-झोंपड़ी में रहने वाले उन व्यक्तियों को वित्तीय सहायता देने की कोई योजना बनाई गई है जो दिल्ली को साफ-सुथरा बनाने के हाल ही के अभियान के परिणामस्वरूप विस्थापित हो गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मोटी रूपरेखा क्या है ?

निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

धान तथा गेहूं का मूल्य

507. **श्री हरि किशोर सिंह** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) धान तथा गेहूं के मूल्य में अत्यधिक गिरावट आने के क्या कारण हैं ; और

(ख) किसानों को राहत देने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख). खरीफ की अच्छी फसल होने, मंडी में भारी आमद होने, व्यापारियों और बड़े किसानों द्वारा सट्टेबाजी के लिए जमा किए गए पुराने स्टाक को निकालने और विशेषतया आपात स्थिति की घोषणा के बाद राज्य सरकारों द्वारा जमाखोरी और मुनाफाखोरी के विरुद्ध सख्त उपाय करने के कारण धान और गेहूं के मूल्यों में उल्लेखनीय गिरावट आयी है । उचित औसत किस्म के खाद्यान्नों के मंडी मूल्य अधिप्राप्ति मूल्यों से सामान्यतया ऊंचे हैं । तथापि, जहां कहीं आवश्यक होता है, वहां सरकार ने खाद्यान्नों के मूल्यों को प्रभावकारी सहायता प्रदान की है ताकि किसानों के हितों की सुरक्षा की जा सके ।

Sugarcane Arrears Outstanding against Sugar Mills in U. P.

508. **Sri Hari Singh** : Will the **Minister of Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(*a*) whether Government are aware that the payment of cost of sugarcane to the farmers has been outstanding against the sugar mills of Uttar Pradesh for many years ; and

(*b*) if so, measures being taken by Government for the payment of these arrears to the farmers?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Shah Nawaz Khan):

(*a*) Yes, Sir. As on 15-12-1975, the total arrears amounted to about Rs. 15·14 crores, of which about Rs. 12·37 crores related to 1974-75 season.

(*b*) The State Government has been advised from time to time to take all possible and stringent steps to recover the cane price arrears. Some time back, the State Government raised the penal interest for delayed payments from 7-1/2 per cent to 12 per cent and propose to raise it further to 15%. They have also issued a recovery certificate against a defaulting mills. The District Magistrates have been instructed to ensure clearance of the arrears from Bank advances of current season and available margin on the sugar stocks of previous season.

खुला विश्वविद्यालय

509. **श्री हरी सिंह** : क्या **शिक्षा समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने शिक्षा तथा उच्च अध्ययन के लिये देश में खुला विश्वविद्यालय शुरू करने की कोई योजना बनाई है ; और

(ख) यदि हां, तो यह विश्वविद्यालय अपना शैक्षणिक कार्य कब से शुरू कर देगा ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नूरुल हसन) : (क) और (ख). यह मामला विचाराधीन है ।

गन्ने का मूल्य बढ़ाने का प्रस्ताव

510. **श्री हरी सिंह** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में चीनी मिलों को सप्लाई किये जा रहे गन्ने के वर्तमान मूल्य को बढ़ाने का है ; और

(ख) यदि हां, तो ये मिलें किसानों को नई दर से मूल्य कब से अदा करने लगेंगी और बढ़ा हुआ मूल्य क्या होगा ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी नहीं। भारत सरकार ने 1975–76 मौसम के लिए गन्ने का सांविधिक न्यूनतम मूल्य घोषित कर दिया है, उसे बढ़ाने का कोई इरादा नहीं है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

कर्नाटक में मध्यम और बड़ी सिंचाई परियोजनाओं की क्रियान्विति

511. **श्री के० लकप्पा** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आपात स्थिति की घोषणा के बाद देश में सभी अन्तर्राज्यीय जल-विवाद, विशेषकर कर्नाटक राज्य का जल-विवाद हल करने के लिए हाल ही में क्या कार्यवाही की गई है; और

(ख) आपात स्थिति की घोषणा के बाद कर्नाटक में मध्यम और बड़ी सिंचाई परियोजनाओं को शीघ्र क्रियान्वित करने हेतु वित्तीय सहायता की व्यवस्था करने के लिए क्या प्रयत्न किये गए हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री केदार नाथ सिंह) : (क) कावेरी, गोदावरी और कृष्णा के जल विवाद में कर्नाटक एक पक्ष है । आपातकालीन घोषणा होने के समय से इन विवादों को निपटाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:—

कावेरी : सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने तीनों कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्यों के अधिकारियों के साथ सितम्बर, 1975 में विचार-विमर्श किया था । इन्हीं विचार-विमर्श के फलस्वरूप कावेरी जल के समुप्रयोजन और विकास के सम्बन्ध में निहित कुछ मामलों पर अब अध्ययन किए जा रहे हैं । इन अध्ययनों के पूर्ण होने के पश्चात् तीनों राज्यों के अधिकारियों की एक संयुक्त बैठक बुलाने का प्रस्ताव है ।

गोदावरी : गोदावरी बेसिन में नई परियोजनाओं के निर्माण के कार्यक्रम पर न्यायाधिकरण के निर्णय होने तक किसी एक समझौते पर पहुंचने की दृष्टि से केन्द्रीय कृषि और सिंचाई मंत्री ने जुलाई, 1975 में संबंधित राज्यों के मुख्य मंत्रियों की एक बैठक बुलाई थी । इस बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार, अधिकारी स्तर पर दो बैठकें हुई थी। और आंध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री ने कर्नाटक, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के मुख्य मंत्रियों के साथ निहित विभिन्न मामलों पर विचार-विमर्श किया था और तीन द्विपाक्षिक समझौते किए गए । केन्द्रीय कृषि और सिंचाई मंत्री के अनुरोध पर मध्य प्रदेश और उड़ीसा के मुख्य मंत्रियों के बीच एक बैठक की गई थी और उसमें एक द्विपाक्षिक समझौता किया गया था । 19 दिसम्बर, 1975 को केन्द्रीय मंत्री ने सभी पांचों राज्यों के मुख्य मंत्रियों के साथ एक बठक की थी जिसमें गोदावरी जल के सम्बन्ध में अन्तिम समझौता हुआ था ।

कृष्णा : अन्तर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956 के अनुच्छेद 5(3) के अन्तर्गत भागीदार राज्यों और भारत सरकार के द्वारा उठाए गए संदर्भो पर कृष्णा जल-विवाद न्यायाधिकरण मामले की सुनवाई कर रहा है । सुनवाई की कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात् न्यायाधिकरण आगे एक रिपोर्ट देगा ।

अन्य महत्वपूर्ण रुके पड़े विवाद यमुना जल और बिहार तथा पश्चिम बंगाल को प्रभावित करने वाली परियोजनाओं से संबंधित हैं । उनकी वर्तमान स्थिति निम्नप्रकार है :—

यमुना : यमुना के जल की उपलब्धता और वर्तमान समुपयोजन के सम्बन्ध में अध्ययन किए गए हैं; और अध्ययनों की प्रति संबंधित राज्यों, नामशः हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश तथा दिल्ली प्रशासन को भेज दी गई है । अध्ययन रिपोर्ट पर टिप्पणियां प्राप्त हो जाने पर विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के लिए एक अन्तर्राज्यीय बैठक बुलाने का प्रस्ताव है ।

बिहार-पश्चिम बंगाल के मतभेद : केन्द्रीय सरकार के कहने पर दोनों राज्यों के अधिकारियों के बीच इन पर विचार-विमर्श किया जा रहा है ; इसके उपरान्त दोनों राज्यों के मुख्य मंत्री किसी स्वीकार्य समझौते पर पहुंचने के लिए विचार-विमर्श करेंगे ।

(ख) कर्नाटक राज्य को चालू वर्ष के दौरान मालप्रभा परियोजना के कार्य में तीव्रता लाने के लिए कुछ शर्तों के साथ तीन करोड़ रुपये की एक विशेष अग्रिम योजना सहायता की व्यवस्था की गई है ।

कर्नाटक में सीमान्त किसानों तथा कृषि विकास एजेंसियों और सूखे की सम्भावना वाले क्षेत्रों के कार्यक्रम हेतु योजना

512. **श्री के० लकप्पा** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनके मंत्रालय को कर्नाटक राज्य में पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि के लिए सूखे की संभावना वाले तथा कमी वाले क्षेत्रों में एम० एफ० ए० एल० और डी० पी० ए० पी० योजनाओं के विस्तारण हेतु इस राज्य से अभ्यावेदन मिले हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस मंत्रालय का विचार राज्य में कमी वाले क्षेत्रों के लाभार्थ इन्हें लागू करने का है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) कर्नाटक सरकार ने जून, 1975 में गुलबर्गा रायचूर बैल्लरी तथा धारवाड़ जिलों के 8 और तालुकाओं में सूखा ग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम का विस्तार करने के लिए अनुरोध किया था । नये इलाकों में सीमान्त कृषक तथा कृषि श्रमिक एजेंसी कार्यक्रम के विस्तार हेतु कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ था । तथापि, राज्य सरकार ने तुमकुर तथा बीजापुर सीमान्त कृषक तथा कृषि श्रमिक एजेंसियों की अवधि को वर्ष 1975–76 से आगे बढ़ाने का अनुरोध किया था ।

(ख) राज्य सरकार के नये इलाकों में सूखा ग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम का विस्तार करने के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जा सका था क्योंकि केवल चुने इलाकों में ही प्रयासों को तीव्र करने का प्रस्ताव है ताकि उनपर वास्तविक जोर और दिया जा सके । तुमकुर एजेन्सी की परिचालन अवधि बढ़ाने और इसे पांचवीं योजना अवधि तक जारी रखने की संभावना है । बीजापुर में सीमान्त कृषक तथा कृषि श्रमिक एजेंसी का उत्तरदायित्व वर्ष 1976–77 से आगे सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम द्वारा संभाल लिया जाएगा ।

भीम कुण्ड बांध परियोजना उड़ीसा

513. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा राज्य की भीमकुंड बांध परियोजना संबंधी रिपोर्ट की सरकार ने जांच कर ली है; और

(ख) क्या सरकार ने बाढ़ पर नियंत्रण करने के इसके महत्व को ध्यान में रखते हुए इसके क्रियान्वयन हेतु इसे कोई प्राथमिकता दी है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री केदार नाथ सिंह) : (क) बाढ़ नियंत्रण एवं विद्युत लाभों के लिए परिकल्पित भीमकुंड परियोजना के चरण एक की परियोजना रिपोर्ट राज्य सरकार से अगस्त, 1974 में प्राप्त हुई थी । केन्द्रीय जल आयोग ने राज्य सरकार को अपनी टिप्पणियां सितम्बर/नवम्बर, 1975 में भेजीं थीं, जिनके उत्तर की प्रतीक्षा की जा रही है ।

(ख) उड़ीसा सरकार ने अपनी पांचवीं योजना के मसौदे में इस परियोजना को शामिल नहीं किया है ।

पंजाब में खाद्यान्न उत्पादन

514. श्री रघु नन्दन लाल भाटिया : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1974–75 में पंजाब में खाद्यान्नों का कुल कितना उत्पादन हुआ; और

(ख) वर्ष 1974–75 में पंजाब में गेहूं की कुल कितनी वसूली हुईहै ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रभु दास पटेल) : (क) वर्ष 1974–75 के लिए पंजाब में खाद्यान्नों के उत्पादन के अन्तिम अनुमान अभी प्राप्त नहीं हुए हैं । उपलब्ध सूचना के अनुसार वर्ष 1974–75 के दौरान राज्य में खाद्यान्नों का उत्पादन गत वर्ष के उत्पादन 77.20 लाख मीटरी टन की तुलना में अधिक हुआ है ।

(ख) वर्ष 1974–75 की फसल में से पंजाब में गेहूं की कुल वसूली 2 जनवरी, 1976 तक 23.61 लाख मीटरी टन हुई है ।

भारतीय खाद्य निगम द्वारा खरीफ की वसूली

515. श्री रघु नन्दन लाल भाटिया : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत भारतीय खाद्य निगम ने बाजार से खरीफ के खाद्यान्नों को प्राप्त किया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्ण साहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) : खाद्य निगम ने उन राज्यों में जहां वह अधिप्राप्ति एजेन्सी के रूप में कार्य कर रही है, वहां की मंडी में यदि आवश्यक होता है, साहाय्य कार्यों के लिए प्रवेश किया है । अन्य राज्यों में निगम ने ऐसे मूल्य साहाय्य कार्य करने के लिए राज्य सरकार को अपनी सेवाएं पेश की हैं । भारत सरकार ने सभी

राज्य सरकारों और संघ शासित प्रदेशों के प्रशासनों को यह भी निर्देश दिए हैं कि वे यह सुनिश्चित करें कि जहां कहीं आवश्यक होता है वहां खरीफ के खाद्यान्नों के लिए पर्याप्त मूल्य साहाय्य प्रबंध किये जाते हैं।

विश्वविद्यालयों के लिये मार्गदर्शी सिद्धान्त

516. **श्री नरेन्द्र कुमार साँघी** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के सभी विश्वविद्यालयों द्वारा पालन किये जाने हेतु मार्गदर्शी सिद्धान्त तैयार किये हैं जिनके द्वारा विश्वविद्यालय को कानून से मुक्त नहीं रखा जाये, ; और

(ख) क्या केन्द्र ने राज्यों के विश्वविद्यालयों को यह सुनिश्चित करने के लिये उनका मार्गदर्शन करने हेतु कदम भी उठाये हैं कि छात्रों को विघटनकारी राजनीति अपनाने के लिये गुमराह न किया जाये और उनके अध्ययन का अधिकांश समय विश्वविद्यालय प्रागंण में राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने में बर्बाद न किया जाये ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नरुल हसन) : (क) और (ख). संसद अथवा राज्य की विधान सभाओं द्वारा निर्मित कानून व्यापक रुप से लागू होते हैं इसलिए किसी भी विश्वविद्यालय को इन कानूनों से मुक्त रखने का प्रश्न नहीं उठता ।

कुलपतियों के हाल ही के सम्मेलन में सरकार ने जैसा कि इस बात को पहले भी अन्य अवसरों पर बार-बार स्पष्ट कर दिया है कि शिक्षण संस्थाओं में हिंसा, धमकियों, अभित्रास और बल-प्रयोग के लिए कोई स्थान नहीं है तथा शैक्षिक जीवन को भंग करने के बाह्य प्रयत्न सहित सभी प्रयत्नों को रोकना चाहिए। विघटनकारी कार्यकलापों को रोकने के लिए विश्वविद्यालयों तथा कानून और व्यवस्था के लिए जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा उपयुक्त कदम उठाए जा रहे हैं।

रामकृष्णपुरम्, नई दिल्ली में शास्त्री मार्कीट का गिराया जाना

517. **श्री शशि भूषण** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली में शास्त्री मार्कीट का निर्माण सम्पदा कार्यालय, नई दिल्ली की आज्ञा से किया गया था और अब दिल्ली विकास प्राधिकरण ने उसे गिरा दिया है ; और

(ख) क्या शास्त्री मार्कीट गिराने से पहले सम्पदा कार्यालय की अनुमति ले ली गई थी ?

निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : (क) जी, हां निर्माण और आवास मंत्रालय ने सप्रतिबन्ध अनुमति इस शर्त पर दी थी कि प्लेटफार्मो पर अधिरचना स्थानीय निकायों के विनियमनों के अनुसार बनाई जाएगी और यह कि सरकार बिना हरजाना दिए अलाटियों से यह परिसर ले सकती है ।

(ख) जी, नहीं । अलाटी इस मंत्रालय द्वारा अधिरचनाओं के सम्बन्ध में रखी गई शर्तों के अनुसार नहीं चले ।

दक्षिण दिल्ली के गांव जमरूदपुर में मकानों का गिराया जाना

518. **श्री शशि भूषण** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में दक्षिण दिल्ली में जमरूदपुर ग्राम में ऐसे मकानों को भी गिराया गया है जो वर्ष 1951 में बनाये गये थे और जिनकी रजिस्ट्री भी वर्ष 1951 में ही चुकी थी और मकान मालिकों को मकान गिराये जाने के बारे में नोटिस भी नहीं दिये गये ; और

(ख) इसके क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास तथा संसदीय-कार्य मंत्री श्री के० रघुरामैया : (क) जी, नहीं। उपलब्ध सूचना के अनुसार 1951 के पश्चात् बने मकानों को उपयुक्त नोटिस जारी करके गिराया गया था।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

दक्षिण दिल्ली के गांव मादीपुर में मकान गिराया जाना

519. **श्री शशि भूषण** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के एक गांव, मादीपुर में कुछ मकान गिराये गये हैं ;

(ख) क्या सरकार को पता है कि जो मकान गिराये गये हैं उनमें से कुछ 1942 से भी पहले के बने हुये थे ; और

(ग) क्या इस प्रकार विस्थापित किये गये मकान मालिकों को वैकल्पिक स्थान आवंटित नहीं किये गये हैं ?

निर्माण और आवास तथा संसदीय-कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : (क) जी, हां।

(ख) राजस्व रिकार्डों के अनुसार, 1942 से पूर्व कोई मकान नहीं बनाये गये थे।

(ग) मकान मालिकों को वैकल्पिक स्थानों का आवंटन कर दिया गया है।

चीनी कारखानों को प्रोत्साहन

520. **श्री ज्योतिर्मय बसु** :

श्री सरजू पांडे :

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 25 नवम्बर, 1975 को घोषणा की थी कि नये चीनी कारखानों और वर्तमान संयंत्रों के विस्तार को खुले बाजार में बिक्री के अधिक कोटे और उत्पादन-शुल्क की रियायती देयता के रूप में विशेष प्रोत्साहन दिये जायेंगे ; और

(ख) यदि हां, तो किन-किन नई रियायतों की घोषणा की गई है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) और (ख) जी हां। एक विवरण संलग्न है जिसमें प्रोत्साहन योजना का मुख्य बातें दी गई हैं। [ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल० टी० 10103/76]

खेतिहर मजदूरों के लिये आवास स्थल

521. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में प्रत्येक राज्य में अनुमानतः बेघर खेतिहर मजदूर कितने हैं ;

(ख) ऐसे बेघर खेतिहर मजदूरों की राज्य-वार अनुमानित संख्या क्या है जिन्हें 20-सूत्री कार्यक्रम की घोषणा के बाद आज तक आवास-स्थल प्रदान किये गये हैं; और

(ग) इन मजदूरों को इस योग्य बनाने के लिये कि वे अपने मकान बना सकें, यदि कोई वित्तीय तथा अन्य सहायता दी जा रही है तो वह क्या है ?

निर्माण और आवास तथा संसदीय-कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : (क) तथा (ख) :

राज्य सरकारों से अभी तक प्राप्त रिपोर्टों पर आधारित एक विवरण लोक सभा के पटल पर रखा है। [ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल टी०-10104/76]

(ग) ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन मजदूरों को आवास स्थल देने की योजना में, उन्हें आबंटित आवास स्थलों पर मकानों के निर्माणार्थ सरकार से कोई अन्य सहायता देने की व्यवस्था नहीं है। आवंटियों से यह आशा की जाती है कि वे स्थलों पर अपने साधनों से मकानों/झोंपड़ियों का निर्माण करें।

चावल और गेंहूं की वसूली के बारे में राज्यों को भेजे गये मार्गदर्शी सिद्धान्त

522. **श्री सरोज मुखर्जी** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चावल और गेहूं की वसूली की प्रक्रिया के बारे में केन्द्रीय मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों को एक समान मार्गदर्शी सिध्दान्त भेजे हैं ; और

(ख) क्या मूल्य वृद्धि को रोकने के लिये सरकार के पास पर्याप्त स्टाक बनाये रखने तथा जरूरतमंद तथा पीड़ित व्यक्तियों का भरण-पोषण करने की दृष्टि से राज्य सरकारों को कहा गया है कि वे दस एकड़ की नमी वाली भुमि तथा पंद्रह एकड़ की शुष्क भूमि वाले बडे-बड़े भू-स्वामियों से उनकी अपनी आवश्यकताओं तथा कृषि संबंधी आवश्यकताओं तथा कृषि संबंधी खर्चों को छोड़कर, धान तथा गेंहूं का समस्त अतिरिक्त स्टाक वसूल कर लें ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख). हालाक भारत सरकार द्वारा व्यापक मार्गदर्शी सिद्धांत बताए गए हैं, लेकिन यह बात प्रत्येक राज्य सरकार की इच्छा पर छोड़ दी गयी है कि केन्द्रीय सरकार की अनुमति प्राप्त करने के बाद अपनी परिस्थितियों के अनुसार अधिप्राप्ति का कोई भी तरीका अपना लें ताकि खाद्यान्नों की अधिकतम अधिप्राप्ति हो सके। देश भर में अभिप्राप्ति का कोई समान तरीका अपनाने के बारे में कोई भी निर्देश जारी नहीं दिए गए हैं।

चावल तथा गेहूं की फसलों की सम्भावना

523. **श्री सरोज मुखर्जी :**

श्री पी० गंगादेव :

श्री जनेश्वर मिश्र :

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य-वार चालू वर्ष की फसल से चावल तथा गेंहूं, कितनी उपज होने की संभावना है और देश के चावल और गेंहूं के बड़े-बड़े बाजारों में मूल्य-स्तर पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा ; और

(ख) देश को खाद्यान्नों के मामले में आत्म-निर्भर बनाने और अन्य देशों से खाद्यान्नों के अग्रेतर आयात को रोकने की दृष्टि से खाद्यान्न, विशेषकर धान तथा गेंहू का उत्पादन और बढ़ाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रभु दास पटेल) : (क) राज्य-वार फसल उत्पादन बताना अभी संभव नहीं है । खरीफ की फसलों की अभी कटाई हुई है और रबी की फसलों की बुवाई हुईं है । फिर भी, चालू वर्ष 1975-76 में अधिकांश राज्यों में आदानों तथा उर्वरकों और बिजली की सप्लाई और वर्षा सामान्यतया अनुकूल हुई है । गत वर्ष की तुलना में खरीफ की फसलों के क्षेत्रफल में पर्याप्त रूप से वृद्धि हुई है और आशा है कि 690 लाख मीटरी टन का लक्ष्य प्राप्त हो जायेगा । इसी प्रकार से, बुवाई के समय अनुकूल परिस्थितियों की वजह से, रबी की फसलों के अन्तर्गत क्षेत्र, विशेषकर गेंहूं के क्षेत्र में भी काफी वृद्धि होने की संभावना है ।

खरीफ के मौसम के दौरान उत्पादन में द्धि होने के कारण से, खाद्यान्नों के मूल्यों में आमतौर पर गिरावट का रूख नजर आया है ।

(ख) पांचवीं योजना में खाद्यान्नों को उत्पादन का लक्ष्य 1400 लाख मीटरी टन रखा गया है । आशा है कि इस लक्ष्य के पूरा होने से, देश खाद्यान्नों के संबंध में आत्म-निर्भर ही नहीं होगा बल्कि 'बफर स्टाक" बनाने के लिये भी बचा रहगा । इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये निम्नलिखित कदम उठाये जा रहे हैं :--

अधिक उपज देने वाली फसलों के अन्तर्गत क्षेत्र का विस्तार, लघु सिंचाई के विकास पर अधिक बल, सिंचाई क्षमता का अधिक उपयोग करने के लिये कमांड क्षेत्र विकास पर बल, सामुदायिक नसरियों को बढ़ाने और समय पर जल निर्मुक्ति की सहायता द्वारा कुछ क्षेत्रों में धान की अगेती बुबाई तथा उत्तम फसल प्रक्रियाओं को शुरु करने के बारे में राज्य सरकारों को सलाह देना, मार्गदर्शी परियोजनाओं और सूखा ग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रमों के माध्यम से शुष्क खेती की टेक्नोलोजी की शुरूआत करना, कृषि, सिंचाई और सम्बद्ध विभागों के बीच निकट समन्वय, क्वालिटी बीजों के उत्पादन और सप्लाई के लिये व्यवस्था को सुदृढ़ करना, मृदा विश्लेषण पर बल देना और स्थानीय खाद सम्बन्धी संसाधनों के तेजी से उपयोग की सहायता से उपलब्ध उर्वरक

सप्लाई का इष्टतम उपयोग, अनुसंधान की अवस्थापना को सुदृढ़ करना, विस्तार और कृषक प्रशिक्षण, मिनीकिट कार्यक्रमों के माध्यम से चावल, गेंहू और मिलेट की नई किस्मों को लोकप्रिय बनाना, संख्यागत ऋण का विस्तार और मूल्य और विपणन सहाय्य पर ध्यान देना।

धान की 'डिस्ट्रेस' (दुखदायी) बिक्री'

524. **श्री सरोज मुखर्जी** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय मंत्रालय ने यह सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रकार की सावधानी बरती है कि फ़सल की कटाई के समय निर्धन किसानों को धान की बड़े पैमाने पर "डिस्ट्रेस बिक्री" करने और चावल तथा गेहूं के व्यापार में रत बड़े-बड़े चोरबाजारियों के बिचौलियों के हाथों बहुत बड़ी धनराशि गंवाने के लिए विवश न किया जाये;

(ख) यदि हां, तो क्या उपाय किये गये हैं; और

(ग) किसानों से धान तथा गेहूं की वसूली के क्या मूल्य निर्धारित किये गये हैं और इस संबंध में केन्द्रीय मंत्रालय ने क्या-क्या आम मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किये हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) से (ग) 1975–76 विपणन मौसम के दौरान सभी राज्यों में मोटी किस्म की धान के अधिप्राप्ति मूल्य 74/– रुपये प्रति क्विंटल पर निर्धारित किये गये हैं। धान की अन्य अच्छी किस्मों के मूल्य किस्म विशेष पर निर्भर करते हुए 76/– रुपये और 110/– रुपये प्रति क्विंटल के बीच निर्धारित किये गये हैं। गेहूं की सभी किस्मों के चालू अधिप्राप्ति मूल्य 105/– रुपये प्रति क्विंटल हैं।

सरकार ने सभी राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों के प्रशासनों को यह निर्देश दिये हैं कि खाद्यान्नों के मंडी मूल्यों में गिरावट आने की हालत में अधिप्राप्ति मूल्यों पर मूल्य साहाय्य खरीदारी करें। अधिप्राप्ति एजेन्सियों ने मूल्य साहाय्य कार्यों के लिए व्यापक व्यवस्था की है।

प्याज के मूल्य में वृद्धि

525. **श्री सरोज मुखर्जी** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश भर में प्याज़ के मूल्य में असामान्य वृद्धि होने के मुख्य कारण क्या हैं और प्याज़ का प्रचलित औसत मूल्य कितना रहा है; और

(ख) प्याज़ के मूल्य को कम करने और इसे स्थिर बनाये रखने के लिये केन्द्रीय मंत्रालय ने कौन से ठोस कदम उठाये हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रभु दास पटेल) : (क) नवम्बर–दिसम्बर, 1975 के दौरान सामान्यतः प्याज़ के मूल्यों में वृद्धि हुई। प्याज़ के मूल्यों में वृद्धि के लिये ये मुख्य बातें ज़िम्मेदार थीं :—महाराष्ट्र और तमिलनाडु में प्याज़ की कम फसल होना तथा मिस्र एवं

नीदरलैंड में प्याज़ की फसल खराब होने के कारण निर्यात की सम्भावना बढ़ना, जिससे व्यापार में सट्टेबाजी हुई। देश की चुनींदा मंडियों में प्याज़ के प्रचलित मूल्य निम्नलिखित थे :—

(रुपये प्रति क्विन्टल)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	केन्द्र	किस्म	26-12-75/ 2-1-76 को नवीनतम थोक मूल्य
आन्ध्र प्रदेश . . .	कुड्डापेह	बेलारी	127
	हैदराबाद	रेड 1	165
बिहार . . .	पटना	ड्राई	295
हरियाणा . . .	करनाल	—	118
महाराष्ट्र . . .	बम्बई	नासिक 1	93
	नासिक	रेड	100
तमिल नाडु . . .	मद्रास	"स्माल कर"	100
उत्तर प्रदेश . . .	कानपुर	रेड	120
पश्चिम बंगाल . .	कलकत्ता	बम्बई	115
दिल्ली . .	दिल्ली	नासिक	110

(ख) मूल्यों की वृद्धि को रोकने के लिये सरकार ने 4 दिसम्बर, 1975 से केवल राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ के माध्यम से ही प्याज़ का निर्यात करने की व्यवस्था की है। उन्हें निर्देश दिया गया है कि वे फिलहाल प्याज़ का निर्यात न करें। इस उपाय के फलस्वरूप तथा मंडियों में प्याज़ की दूसरी फसल आने के कारण प्याज़ के मूल्यों में काफी गिरावट आई है।

उड़ीसा में डो० पी० सिंचाई परियोजना के निर्माण में प्रगति

526. **श्री पी० गंगादेव** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डी० पी० नहर सिंचाई परियोजना प्रक्रम 2 को पांचवीं योजना में सम्मिलित किया गया है;

(ख) केन्द्र सरकार ने वर्ष 1975-76 के लिये कुल कितनी धनराशि नियत की थी; और

(ग) परियोजना के निर्माण में अब तक कितनी प्रगति हुई है और यह कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) से (ग). राज्य सरकार से सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी।

कृषि उत्पादों का अधिक से अधिक उत्पादन करना

527. **श्री पी० गंगादेव** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या कृषि उत्पादों का अधिक से अधिक उत्पादन करने के लिये दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र खाद्य तथा कृषि संगठन सेमिनार के उपयोगी सुझावों को सभी राज्यों में परिचालित किया गया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रभु दास पटेल) : फर्टिलाइज़र एसोसिएशन आफ इण्डिया ने जो कि देशी उर्वरकों के विनिर्माताओं की एक ग़ैर सरकारी एसोसिएशन है दिसम्बर 1974 में नई दिल्ली में 'उर्वरकों की सीमित उपलब्धि से कृषि उत्पादन बढ़ाना' विषय पर एक विचार गोष्ठी आयोजित की थी। खाद्य तथा कृषि संगठन ने इस विचार गोष्ठी को सहयोजित किया था। फर्टिलाइजर एसोसिएसन आफ इंडिया ने इस विचार गोष्ठी की सिफारिशें सम्बन्धित सरकारी और अन्य एजेंसियों को भेजी थीं जिसमें राज्य सरकारें भी शामिल हैं।

दाल विकास कार्यक्रम

528. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 30 जिलों में कार्यान्वित किये गये दाल विकास कार्यक्रम के क्या परिणाम रहे हैं; और

(ख) दाल उत्पादन करने वाले समस्त क्षेत्र को इस कार्यक्रम में कब तक शामिल किया जायेगा ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रभु दास पटेल) : (क) दलहन विकास प्रोग्राम की प्रगति रिपोर्ट जिलेवार प्राप्त नहीं होती है। फिर भी इन फसलों को अल्पकालीन किस्मों को अतिरिक्त क्षेत्र में उत्पादन द्वारा और उनकी खेती में सुधरी प्रक्रियाओं को अपना कर दलहन विकास में वृद्धि करने की योजना बनाई गई ह। अतिरिक्त क्षेत्र कार्यक्रम और पैकेज कार्यक्रम के अंतर्गत 1973–74 में 1.50 लाख और 9.30 लाख हेक्टेयर क्षेत्र था तथा 1974–75 में क्रमशः 4.50 और 26.70 लाख हेक्टेयर क्षेत्र था।

(ख) पांचवीं योजना के दौरान 15 लाख हेक्टेयर के क्षेत्र को अतिरिक्त क्षेत्र कार्यक्रम और 70 लाख हेक्टयर के क्षत्र को पैकेज कार्यक्रम के अंतर्गत पूरा करने का उद्देश्य है। दलहन विकास संबंधी योजना बढ़े हुए उत्पादन की तकनीकों को प्रदर्शित करती है। आशा की जाती है कि दलहनों के विकास पर केन्द्रीय प्रायोजित योजना के माध्यम से प्रदर्शित की गई उन्नत तकनीकियां अन्य क्षेत्रों में किसानों द्वारा अनुवर्ती वर्षों में अपनाई जायेंगी।

चुकन्दर से चीनी का उत्पादन

529. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या हमारी भूमि चुकन्दर की खेती के लिए उपयुक्त सिद्ध हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो चुकन्दर से वाणिज्यक आधार पर चीनी का उत्पादन कब तक आरम्भ हो जायेगा?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) जी हां।

(ख) चुकन्दर से वाणिज्यिक आधार पर चीनी का उत्पादन छोटे पैमाने पर पहले ही शुरू हो चुका है।

राज्यों में केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना

530. **श्री शंकरदयाल सिंह : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद् ने प्रत्येक राज्य में एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना करने के लिये सरकार से सिफारिश की है; और

(ख) क्या सरकार का विचार इन विश्वविद्यालयों की स्थापना करने का है?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नूरुल हसन) : (क) केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने पिछले पाच वर्षों के दौरान ऐसी कोई सिफारिश नहीं की है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली विकास प्राधिकरण की ओर सम्पत्ति कर की बकाया राशि

531. **श्री सत पाल कपूर : क्या निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण का नाम चोटी के उन लोगों में है जिनकी ओर कर की बहुत अधिक राशि बकाया है और इसकी ओर सम्पत्ति कर के रूप में दिल्ली नगर निगम की बहुत अधिक राशि बकाया है;

(ख) 31 दिसम्बर, 1975 को दिल्ली विकास प्राधिकरण ने दिल्ली नगर निगम को सम्पत्ति कर की कितनी राशि देनी थी और दिल्ली विकास प्राधिकरण ने पिछली बार इसका कब और कितनी राशि का भुगतान किया था; और

(ग) इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरमैया) : (क) तथा (ख). (i) दिल्ली नगर निगम ने 31 दिसम्बर, 1975 की स्थिति को 68.86 लाख रुपये की राशि का सम्पत्ति कर के रूप में दावा किया है। (ii) दिल्ली नगर निगम के अनुसार, दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दिल्ली नगर गिगम को 1972–73 से 1974–75 तक की अवधि के दौरान किए गए कुल भुगतान की राशि 1.32 लाख पये है तथा वह भी केवल एक ही सम्पत्ति के बारे में है।

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण को बनी–बनाई सम्पत्तियों तथा खाली पड़ी भूमि, जो संघ के नाम तथा उसके अपने नाम में उसके कब्जे में है, के बारे में सम्पत्ति करों के भगतान से छूट है अथवा नहीं, इस प्रश्न पर पिछले कुछ समय से विचार किया जा रहा है। दिल्ली विकास प्राधिकरण को अब यह स्पष्ट कर दिया गया है कि सम्पत्ति पर कर अथवा उसके स्थान पर सेवा–प्रभार स्थानीय निकायों को कुछ आधार पर देय होंगे। दिल्ली विकास प्राधिकरण मामले में अगली कार्यवाही पर विचार कर रहा है।

नये बहु-प्रयोजनीय बीज

532. **श्री सी. जनार्दनन** : क्या **कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि कामरगोड में एक बहु–प्रयोजन बीज का विकास किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) जी, नहीं।

(ख) इसका प्रश्न ही नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश में फैजाबाद डिवीजन में शारदा सहायक नहर का निर्माण

533. **श्री आर० के० सिन्हा** : क्या **कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के फैजाबाद डिवीजन में शारदा सहायक नहर के निर्माण में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

(ख) इस नहर के पूरा हो जाने के बाद कितनी भूमि की सिंचाई हो सकेगी; और

(ग) उपरोक्त नहर कब तक पूरी हो जाने की संभावना है और उस पर कितना खर्च होने का अनुमान है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री केदार नाथ सिंह) : (क) उत्तर प्रदेश के फैजाबाद डिवीजन में शारदा सहायक परियोजना के अन्तर्गत शाखा नहर प्रणालियों तथा उन पर हुई प्रगति निम्न प्रकार है :—

		प्रतिशत
(1)	दरियाबाद शाखा और बाराबंकी शाखा प्रणालियां . .	60
(2)	सुलतानपुर शाखा प्रणाली	50
(3)	हैदरगढ़ शाखा प्रणाली .	25
(4)	पूर्वा शाखा प्रणाली	8

(ख) लगभग 7.95 लाख हैक्टेयर

(ग) नहर प्रणालियों के जून, 1982 तक पूर्ण होने की सम्भावना है। नहरों की अनुमानित लागत 43 करोड़ रुपये के लगभग है।

वसूल किये गये खाद्यान्न की मात्रा तथा चावल और गेहूं का मूल्य

534. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने देश में अब तक कुल कितना खाद्यान्न वसूल किया है;

(ख) सरकार ने उत्पादकों को चावल और गेहूं के लिए क्या मूल्य अदा किया है;

(ग) सरकार इन्हें उपभोक्ताओं को किस मूल्य पर बेच रही है; और

(घ) खुले बाजार में चावल और गेहूं के मूल्य क्या-क्या हैं?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार 1975-76 के विपणन मौसम के दौरान 9-1-1976 तक 69.1 लाख मीटरी टन गेहूं, चावल और मोटे अनाजों की अधिप्राप्ति की जा चुकी थी।

(ख) सरकार काश्तकारों से धान और गेहूं खरीद रही है। धान की विभिन्न किस्मों के लिए 74.00 रु० और 110.00 रुपये प्रति क्विंटल के बीच मूल्य दिया जा रहा है जबकि सभी किस्मों का गेहूं 105.00 रुपये प्रति क्विंटल पर खरीदा जा रहा है।

(ग) और (घ). दो विवरण (1 और 2) संलग्न हैं।

[ग्रंथालय में रखा गया/**देखिए** संख्या एल० टी—10105/76]

चीनी तथा गन्ने के मूल्य पर पुनर्विचार के लिये अभ्यावेदन

535. **श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी :** क्या **कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बड़ी संख्या में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें चीनी के लिये अनुचित लेवी मूल्य पर पुर्नविचार करने और गन्ने का न्यूनतम मूल्य निर्धारित करने की मांग की गई है ; और

(ख) उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) यह सही है कि लेवी चीनी के मूल्य और गन्ने के अधिसूचित सांविधिक न्यूनतम मूल्य के विरुद्ध अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ।

(ख) चीनी की उपलब्धि के वास्तविक आंकड़े, अवधि आदि के आधार पर आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3(3सी) के उपबन्धों के अनुसार जुलाई, 75 में 1974–75 में उत्पादित लेवी चीनी के मूल्य निर्धारित किए गए थे। 1975–76 में उत्पादित लेवी चीनी के मूल्य, 1974-75 मौसम के लिए जुलाई 1975 में निर्धारित स्तर पर ही अधिसूचित किए गये हैं और इस मामले की बराबर समीक्षा की जाती है।

सरकार का 1975–76 मौसम के लिए अधिसूचित सांविधिक न्यूनतम मूल्य के पुनरीक्षण करने का कोई इरादा नहीं है जिसे समूची आर्थिक स्थिति और काफी खपत वाली सभी आवश्यक जिंसों के मूल्य बढ़ने से रोकने के बारे में सरकार के निश्चय को ध्यान में रख कर निर्धारित किया गया है। तथापि, आंशिक नियंत्रण की चल रही नीति के अधीन, फैक्ट्रियां राज्य सरकारों से परामर्श करके सामान्यतया गन्ने का अधिक मूल्य देती हैं।

Kalidas Festival in Ujjain

536. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the **Minister of Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) whether Kalidas festival is celebrated in Ujjain (Madhya Pradesh) every year;

(b) if so, the amount given by the Central Government for the purpose during 1973-74, 1974-75 and upto the end of 1975 separately;

(c) whether the work in this regard is executed through tenders; and

(d) if so, whether Government have received complaints of irregularities committed in this regard during the above mentioned period ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare and in the Department of Culture (Shri D. P. Yadav) : (a) Yes, Sir.

(b) The amount sanctioned by the Central Government for the purpose were as follows :

	Rs.
1973—74	20,000
1974-75	25,000
1975-76	25,000

(c) and (d). The State Government has been requested to furnish the required information and the same will be placed on the Table of the Sabha in due course.

फरक्का बांध से पानी का छोड़ा जाना

537. **श्री रानेन सेन** : क्या **कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्षा ऋतु के दौरान और वर्षा ऋतु के बाद प्रतिदिन फरक्का बांध से हुगली नदी के लिए कितना पानी छोड़ा गया ;

(ख) क्या इससे कलकत्ता पत्तन की नोगम्यता में सुधार हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो कितना ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री केदार नाथ सिंह) : (क) 1975 की मानसून के दौरान तथा इनके पश्चात् फरक्का बराज से पोषक नहर की जल ले जाने की पूर्ण क्षमता में प्रतिदिन पानी छोड़ा जा रहा है।

(ख) और (ग). कलकत्ता पत्तन के लिए हुगली की नोगम्यता में सुधार के बारे में पक्के तौर पर मूल्यांकन बता सकना अभी सम्भव नहीं है।

खाद्यान्न की वसूली का लक्ष्य

538. **श्री रानेन सेन** : **क्या कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1975–76 में खाद्यान्न की वसूली का लक्ष्य क्या है; इसमें से कितनी खाद्यान्न की वसूली देश में की जायेगी और कितना विदेशों से आयात किया जायेगा; और

(ख) उत्पादकों और उपभोक्ताओं के हित में खाद्यान्नों का न्यूनतम मूल्य बढ़ाने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) देश के अन्दर खाद्यान्नों की अधिप्राप्ति का लक्ष्य 101 लाख मीटरी टन निर्धारित किया गया है, जिसमें रबी विपणन मौसम 1975–76 (अप्रैल–मार्च) के दौरान गेहूं का 55 लाख मीटरी टन और खरीफ विपणन मौसम 1975–76 (नवम्बर–अक्तूबर) के दौरान चावल का 46 लाख मीटरी टन लक्ष्य शामिल है। खाधान्नों के आयात का कोई भी लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है ।

(ख) खाद्यान्नों के अधिप्राप्ति मूल्य निर्धारित करते समय सरकार उत्पादकों तथा उपभोक्ताओं के हितों का पूरा घ्यान रखती है। किसानों के हितों की रक्षा करने के लिए, जहां कहीं भी आवश्यक होता है, अधिप्राप्ति मूल्य पर साहाय्य मूल्य दान करने के लिए काफी प्रबन्ध भी किए गए हैं।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1975, दिल्ली विकास प्राधिकरण (आपत्तिजनक निर्माणों को हटाना) नियम, 1975 और उत्तर प्रदेश संम्पत्ति कर सीमा (अन्तरण पर अस्थाई प्रतिबन्ध) संशोधन अध्यादेश, 1975।

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : मैं निम्नलिखित **पत्र** सभा पटल पर रखता हूं :

(1) जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 63 की उपधारा (3) के अन्तर्गत जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) नियम, 1975 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 27 फरवरी, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 58(ङ) में प्रकाशित हुए थे।

[थालय में रखा गया **देखिये** संख्या एल० टीं०--10068/76]

(2) दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 58 के अन्तर्गत दिल्ली विकास प्राधिकरण (आपत्तिजनक निर्माणों को हटाना) नियम, 1975 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 26 जुलाई, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 2385 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल० टी० --10069/76]

(3) उत्तर प्रदेश राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई दिनांक 30 नवम्बर, 1975 की उद्घोषणा के खंड (ग) (तीन) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 213 (2) (क) के अधीन उत्तर प्रदेश सम्पत्ति पर सीमा (अन्तरण पर अस्थायी प्रतिबन्ध) संशोधन अध्यादेश, 1975 (1975 का उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 39) जो उत्तर प्रदेश के राज्य पाल द्वारा 29 दिसम्बर, 1975 को प्रख्यापित किया गया था, की एक प्रति तथा एक ज्ञापन जिसमें अध्यादेश जारी किये जाने की परिस्थितियां स्पष्ट की गयी हैं।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल० टी०--10070/76]

वक्फ जांच समिति का अन्तरिम प्रतिवेदन, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत अधिसूचना, उत्तर प्रदेश गन्ना (सम्भरण तथा क्रय का विनियमन) (लेखा परीक्षा) अध्यादेश 1975 और चीनी उद्योग विकास परिषद् का वर्ष 1974-75 का प्रतिवेदन।

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) वक्फ जांच समिति के अन्तरिम प्रतिवेदन 1973 (हिन्दी संस्करण) की एक प्रति।

[**ग्रंथालय में रखा गया। देखिए** संख्या एल० टी० 10071/76]

(2) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) गन्ना (नियंत्रण) संशोधन आदेश, 1975 जो दिनांक 12 सितम्बर, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 492 (ङ) में प्रकाशित हुआ था।

(दो) गन्ना (नियंत्रण) दूसरा संशोधन आदेश, 1975 जो दिनांक 27 अक्तूबर, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 542 (ङ) में प्रकाशित हुआ था।

(तीन) चीनी (वर्ष 1975-76 के उत्पादन के लिये मूल्य निर्धारण) आदेश, 1975 जो दिनांक 29 नवम्बर, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 571 (ङ) में प्रकाशित हुआ था।

[**ग्रंथालय में रखा गया। देखिए** संख्या एल० टी० 10072/76]

(3) उत्तर प्रदेश राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई दिनांक 30 नवम्बर, 1975 की उद्घोषणा के खण्ड (ग) (तीन) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 213 (2) (क) के उपबन्धों के अधीन उत्तरप्रदेश गन्ना (सम्भरण तथा क्रय का विनियमन) (संशोधन) अध्यादेश, 1975 (1975 का उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 25) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल द्वारा 17 सितम्बर, 1975 को प्रख्यापित किया गया था तथा एक ज्ञापन जिसमें अध्यादेश जारी किये जाने की परिस्थितियां स्पष्ठ की गई हैं।

[**ग्रंथालय में रखा गया। देखिए** संख्या एल० टी० 10073/76]

(4) उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 7 की उपधारा (4) के अन्तर्गत चीनी उद्योग विकास परिषद् के वर्ष 1974-75 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

[**ग्रंथालय म रखा गया। देखिए संख्या** एल० टी० 10074/76]

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (पहला संशोधन) नियम, 1976

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी): मैं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा लवण अधिनियम, 1944 की धारा 38 के अन्तर्गत केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (पहला संशोधन) नियम, 1976 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं। जो दिनांक 3 जनवरी, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 15 में प्रकाशित हुये थे। सभा पटल पर रखता हूं :—

[**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये** संख्या एल० टी० 10075/76]

खाद्य निगम अधिनियम, 1964 तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत अधिसूचनायें, केन्द्रीय भाण्डागारण निगम तथा भारतीय खाद्य निगम के 1974–75 तथा 1972–73 के वार्षिक प्रतिवेदन।

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णा साहब पी० शिन्दे) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) खाद्य निगम अधिनियम, 1964 की धारा 44 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) खाद्य निगम (दूसरा संशोधन) नियम, 1975 जो दिनांक 6 सितम्बर, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 485(ङ) में प्रकाशित हुये थे।

(दो) खाद्य निगम (तीसरा संशोधन) नियम, 1975 जो दिनांक 24 अक्तूबर, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 538(ङ) में प्रकाशित हुये थे।

[**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये** संख्या एल० टी० 10076/76]

(2) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) गुजरात तथा दादरा और नागर हवेली चावल (निर्यात) और धान (लाने-ले जाने पर नियंत्रण) संशोधन आदेश, 1975 जो दिनांक 25 अक्तूबर, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 2580 में प्रकाशित हुआ था।

(दो) सा० सां० नि० 2581 जो दिनांक 25 अक्तूबर, 1975 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जिसके द्वारा दिनाक 3 मई, 1969 की अधिसूचना संख्या सा० सा० नि० 1103 में प्रकाशित बेलन मिल गेहूं उत्पाद (मिल द्वारा) मूल्य नियंत्रण आदेश, 1969, को रद्द किया गया है।

[**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये** संख्या एल० टी० 10077/76]

(3) भाण्डागारण निगम अधिनियम, 1962 की धारा 31 की उपधारा (11) के अन्तर्गत केन्द्रीय भाण्डागारण निगम के वर्ष 1974-75 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 10078/76]

(4) खाद्य निगम अधिनियम, 1964 की धारा 35 की उपधारा (2) के अन्तर्गत भारतीय खाद्य निगम के वर्ष 1972-73 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 10079/76]

उर्वरक (नियंत्रण) तीसरा संशोधन आदेश, 1975, मध्य प्रदेश कृषि-उद्योग निगम भोपाल के वर्ष 1972-73 के वार्षिक प्रतिवेदन को सभा पटल पर रखने में हुये विलम्ब के कारण बताने वाला विवरण, वार्षिक प्रतिवेदन आदि।

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत उर्वरक (नियंत्रण) तीसरा संशोधन आदेश, 1975 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 8 सितम्बर, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 486(ङ) में प्रकाशित हुआ था।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 10080/76]

(2) मध्य प्रदेश में कृषि-उद्योग निगम लिमिटेड, भोपाल के वर्ष 1972-73 के **वार्षिक प्रतिवेदन को सभा पटल पर रखने में हुये विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 10081/76]

(3) (क) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रतिवेदनों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) केरल कृषि-उद्योग निगम लिमिटेड, त्रिवेन्द्रम, का वर्ष 1972-73 का वार्षिक प्रतिवेदन लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां।

(दो) कर्नाटक कृषि-उद्योग निगम लिमिटड, बंगलौर का वर्ष 1973-74 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[श्री अण्णा साहब पी० शिन्दे]

(तीन) गुजरात कृषि उद्योग लिमिटेड, अहमदाबाद का वर्ष 1973-74 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक और महा-लेखा परीक्षक की टिप्पणियां।

(ख) उपर्युक्त (एक) में उल्लिखित प्रतिवेदन को सभा पटल पर रखने में हुये विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 10082/76]

वार्षिक प्रतिवेदन तथा अधिसूचनायें

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) निम्नलिखित तिवेदनों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(क) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर का वर्ष 1973-74 का वार्षिक प्रतिवेदन।

(ख) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर का वर्ष 1974-75 का वार्षिक प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 10083/76]

(ग) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर का वर्ष 1974-75 का वार्षिक प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 10084/76]

(घ) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली का वर्ष 1974-75 का वार्षिक प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 10085/76]

(ङ) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, बम्बई का वर्ष 1974-75 का वार्षिक प्रतिवेदन।

(2) उपर्युक्त (1) (क) में उल्लिखित प्रतिवेदन को सभा पटल पर रखने में हुये विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 10086/76]

(3) निम्नलिखित प्रतिवेदनों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) तकनीकी अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान (पूर्वी क्षेत्र) कलकत्ता का वर्ष 1974-75 का वार्षिक प्रतिवेदन।

(दो) तकनीकी अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान (उत्तरी क्षेत्र) चण्डीगढ़ का वर्ष 1974-75 का वार्षिक प्रतिवेदन ।

(तीन) तकनीकी अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान (दक्षिणी क्षेत्र) मद्रास का वर्ष 1974-75 का वार्षिक प्रतिवेदन ।

(चार) तकनीकी अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान (पश्चिमी क्षेत्र) भोपाल का वर्ष 1974-75 का वार्षिक प्रतिवेदन ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 10087/76]

(4) नेशनल इन्स्टीट्यूट आफ फाउन्ड्री एंड फोर्ज टेक्नोलोजी, रांची के वर्ष 1974-75 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 10088/76]

(5) निम्नलिखित प्रतिवेदनों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) भारतीय खान विद्यालय, धनबाद का वर्ष 1973-74 का वार्षिक प्रतिवेदन ।

(दो) भारतीय खान विद्यालय धनबाद का वर्ष 1974-75 का वार्षिक प्रतिवेदन ।

(6) उपर्युक्त (पांच) (एक) में उल्लिखित प्रतिवेदन को सभा पटल पर रखने में हुए बिलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 10089/76]

(7) निम्नलिखित प्रतिवेदनों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) भारतीय प्रबन्ध संस्थान, अहमदाबाद का वर्ष 1974-75 का वार्षिक प्रतिवेदन ।

(दो) भारतीय प्रबन्ध संस्थान, कलकत्ता का वर्ष 1974-75 का वार्षिक प्रतिवेदन ।

(तीन) भारतीय प्रबन्ध संस्थान, बंगलौर का वर्ष 1974-75 का वार्षिक प्रतिवेदन ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 10090/76]

(8) राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरी प्रशिक्षण संस्थान, बम्बई के वर्ष 1974-75 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 10091/76]

[श्री डी० पी० यादव]

(9) विक्टोरिया मेमोरियल हॉल, कलकत्ता के न्यासधारियों की कार्यकारी समिति के वर्ष 1974–75 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

[**ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये** संख्या एल० टी० 10092/76]

(10) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 25 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की की एक-एक प्रति ।

(एक) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (सदस्यों की अनहर्ता, सेवा निवृत्ति तथा सेवा की शर्तें) संशोधन नियम, 1975 जो दिनांक 20 सितम्बर, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 2417 में प्रकाशित हुये थे ।

(दो) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (कर्मचारियों की सेवा की शर्तें) (दूसरा संशोधन) नियम, 1975 जो दिनांक 11 अक्तूबर, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 2521 में प्रकाशित हुये थे ।

[**ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये** संख्या एल० टी० 10093/76]

(11) संगीत नाटक अकादमी, नई दिल्ली, के वर्ष 1973–74 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी संस्करण) की एक प्रति ।

[**ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये** संख्या एल० टी० 10094/76]

(12) ललित कला अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 1973–74 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी संस्करण) की एक प्रति ।

[**ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये** संख्या एल० टी० 10095/76]

(13) सालारजंग संग्रहालय, हैदराबाद के वर्ष 1974–75 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

[**ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये** संख्या एल० टी० 10096/76]

राज्य सभा से सन्देश

MESSAGE FROM RAJYA SABHA

महासचिव : मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेश की सूचना सभा को देनी है :

"मुझे लोक सभा को यह सूचित करना है कि राज्य सभा ने मंगलवार, 8 जनवरी, 1976 की हुई अपनी बैठक में बाल दत्तक ग्रहण विधेयक, 1972 सम्बन्धी

दोनों सभाओं की संयुक्त समिति के प्रतिवेदन को प्रस्तुत किये जाने के सम्बन्ध में निम्न प्रस्ताव स्वीकृत किया है :—

'कि बाल दत्तक ग्रहण विधेयक, 1972 सम्बन्धी दोनों सभाओं की तुरन्त संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने का समय राज्य सभा के 96वें सत्र के अन्तिम दिन तक और बढ़ा दिया जाये ।'

———

सदस्य की पैरोल पर रिहाई

RELEASE ON PAROLE OF MEMBER

अध्यक्ष महोदय : मुझे सभा को, अधीक्षक, सैन्ट्रल जेल, नई दिल्ली से प्राप्त दिनांक 10 जनवरी, 1976 के निम्नलिखित पत्र की सूचना देनी है :—

"मुझे आपको सूचना देनी है कि श्रीमती गायत्री देवी, संसद् सदस्य को वित्त मंत्रालय आदेश संख्या 708/5/76–सी० यू० एस०–IX, दिनांक 9–1–1976 के अनुसार, 9–1–76 से दो महीने की अवधि के लिये जैरोल पर रिहा कर दिया गया है ।"

———

लोक लेखा समिति

PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE

185 वाँप्रतिवेदन

श्री एच० एन० मुकर्जी (कलकत्ता उत्तर-पूर्व) : मैं आपूर्ति विभाग—भारतीय एजेंटों का कमीशन के सम्बन्ध में भारत के नियंत्रक और महा लेखापरीक्षक के वर्ष 1972–73 के प्रतिवेदन, संघ सरकार (सिविल) के पैरा 42 पर लोक लेखा समिति के 160वें प्रतिवेदन में दी गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में समिति का 185वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

———

प्राक्कलन समिति

ESTIMATES COMMITTEE

83वाँ प्रतिवेदन

श्री आर० के० सिन्हा (फैजाबाद) : मैं स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय (स्वास्थ्य विभाग)–केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना पर प्राक्कलन समिति के 57वें प्रतिवेदन में दी गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही के बारे में 83वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति

COMMITTEE ON SUBORDINATE LEGISLATURE

18वाँ प्रतिवेदन

डा० कैलास (बम्बई दक्षिण) : मैं अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति का 18वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति

COMMITTEE ON GOVERNMENT ASSURANCES

13वाँ प्रतिवेदन

श्री बी० के० दास चौधरी (कूच बिहार) : मैं सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति का 13वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

लाभ के पदों सम्बन्धी संयुक्त समिति

JOINT COMMITTEE ON OFFICES OF PROFIT

15वाँ और 16वाँ प्रतिवेदन

श्री पट्टाभिराम राव (राजामुद्री) : मैं लाभ के पदों सम्बन्धी समिति का 15वां और 16वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

बम्बई हाई में हेलीकोप्टर दुर्घटना के बारे में वक्तव्य

STATEMENT *RE.* HELICOPTER ACCIDENT IN THE BOMBAY HIGH

पैट्रोलियम मंत्री (श्री केशव देव मालवीय) : मैं गहरे दुःख के साथ शुक्रवार, दिनांक 9 जनवरी, 1976 को अपराह्न में घटी दुर्घटना के सम्बन्ध में अपना वक्तव्य देना चाहता हूं । जैसा कि माननीय सदस्यों को मालूम है, कि तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग बम्बई हाई क्षेत्र में पैट्रोलियम की खोज करता आ रहा है । अपनी रिग सागर सम्राट के अतिरिक्त तेल तथा प्राकृतिक गैस अयोग ने दो रिगों, हैकून मैगनस और डालमेहोय को भाड़े पर लिया है । रिगों पर निर्धारित ड्यूटी बदलने पर चालकों को रिगों से लाने तथा वहां पहुंचाने का कार्य भारतीय वायु सेना द्वारा दी गई हैलीकोप्टर सेवाओं से किया जाता है ।

9 जनवरी को एक हैलीकोप्टर हैकून मंगनस रिग पर उतरा और ड्यूटी पर आने वाले चालक के उतारने के पश्चात् हैलीकाप्टर डालमेहोय रिग की ओर उड़ गया और वहां से 6 व्यक्तियों

को लिया और ड्यूटी समाप्त कर के जाने वाले चालक को लेने के लिये लगभग 15.32 बजे हैकून मैगनस रिग की ओर वापस लौटते समय हैलीकोप्टर का टेल-रौटर व्यघन पोत के किसी भाग के साथ टकरा गया और आग लग गई; जैसे ही हैलीकोप्टर हैलीपैड पर उतरा तो एक विस्फोट हुआ। हैलीकोप्टर का चालक, जिसे मामूली चोटें आई, बाहर बच निकला। 6 यात्रियों में से श्री माइके रेन, जो कि फ्रांस के नागरिक हैं और शमबरगर कम्पनी में कार्य कर रहे हैं, भारी सदमें की स्थिति में हैलीकोप्टर से बाहर आ गिरे। अन्य पांच यात्रियों की तत्काल मृत्यु हो गई और उनके शव मिल गये थे। मृत व्यक्तियों में कनाडा का एक कर्मचारी सिंगापुर की फर्म का था जो कि कुंओं को मजबूत बनाने में काम पर लगा था और अन्य चार भारतीय थे जिनमें से एक तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग का वरिष्ट ड्रिलर था, और तीन भारतीय कर्मचारी थे जो विदेशी ठेकेदार फर्मों में काम करते थे।

सूचना मिलते ही एक बचाव सहायता पहुंचाने वाले हैलीकोप्टर ने शीघ्र ही उड़ान ली। दुर्घटना के कारण हैकून मैगनस का हैलीपैड प्रयोग करने योग्य न रहने से बचाव सहायता पहुंचाने वाला हैलीकोप्टर ले-बांग जो कि वहां से चार-पांच मील दूर था, के डैक पर उतरा। एक सप्लाई नाव द्वारा घायलों का ले-वर्ग पर लाया गया और उपचार के लिये उन्हें वायुमार्ग से बम्बई लाया गया।

मृत व्यक्तियों के शव बम्बई लाये गये और सम्बन्धित फर्मों, जिसमें मृत व्यक्ति पहले काम करते थे, के प्रतिनिधियों को सौंप दिये गये। तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के वरिष्ट ड्रिलर श्री रामपाल का शव हवाई जहाज से नई दिल्ली लाया गया और सड़क मार्ग से उनके अपने शहर होशियारपुर ले जाया गया। तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने दाहसंस्कार आदि के लिये व्यवस्था की। तत्कालिक व्यय को पूरा करने के लिये नकद सहायता के अतिरिक्त तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग एक बीमा योजना के अन्तर्गत श्री राम पाल के परिवार को एक लाख रुपये की राशि देगा।

दुर्घटना की सूचना मिलते ही मैं शनिवार को बम्बई गया। तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के अध्यक्ष भी वहां पहुंचे थे और शवो के निपटान और अन्य कार्य, जो इस सम्बन्ध में करने आवश्यक थे, के बारे में आवश्यक परामर्श किये गये। श्री माइके रेन, फ्रेंच नागरिक का बीच कैंकी अस्पताल में उपचार हो रहा है और वे पूरी तरह खतरे से बाहर हैं। चूंकि कल अपराह्न को जले हुये हैलीपैड को वहां से हटाना था इसलिये इस समय हम में से किसी के लिये भी हैकून मैगनस पर पहुंचना व्यावहारिक नहीं समझा गया। हैकून मैगनस व्यधन पोत के साथ सामान्य खुदाई कार्य और संचार के लिये सभी वैकल्पिक व्यवस्थायें की गई हैं और इस समय हैकून मैगनस द्वारा खोदे गये कुंएं की जांच कार्यक्रम के अनुसार चल रही है।

वायुसेना अधिकारियों द्वारा अदालती जांच की जायेगी। तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग को आवश्यक समझी जाने वाली अतिरिक्त सुरक्षा सावधानियों के प्रश्न पर विचार करने की सलाह दी गई है।

अनुदानों की अनुपूरक मांगें (रेल), 1975–76

SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS 1975-76.
RAILWAYS, 1975-76

रेल मंत्रालय की अनुपूरक अनुदानों की निम्नलिखित मांगें प्रस्तुत की गई :

मांग संख्या	मांग का नाम	राशि
		रुपये
15	चालू लाइन कार्य पूंजी, मूल्य ह्रास आरक्षित निधि तथा विकास निधि	3,000

भारतीय यूनिट ट्रस्ट (संशोधन) विधेयक

UNIT TRUST OF INDIA (AMENDMENT) BILL.

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : मैं प्रस्ताव करती हूं कि भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

'कि भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The Motion was adopted

श्रीमती सुशीला रोहतगी : मैं विधेयक पुरःस्थापित करती हूं ।

भारतीय यूनिट ट्रस्ट (संशोधन) अध्यादेश, 1975 के बारे में वक्तव्य

STATEMENT *RE.* UNIT TRUST OF INDIA (AMENDMENT) ORDINANCE, 1975

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : मैं लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 71(1) के अन्तर्गत भारतीय यूनिट ट्रस्ट (संशोधन) अध्यादेश, 1975 द्वारा तुरन्त विधान बनाये जाने के कारण बताने वाला एक व्याख्यात्मक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :—

आय और धन स्वेच्छया प्रकटन विधेयक

VOLUNTARY DISCLOSURE OF INCOME AND WEALTH BILL

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि आय और धन के स्वेच्छया प्रकटन के लिये तथा उससे सम्बन्धित या उससे आनुषंगिक विषयों के लिये उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

> "कि आय और धन के स्वेच्छया प्रकटन के लिए और उससे सबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों के लिये उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The Motion adopted

श्री प्रणव कुमार मुखर्जी : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं :

आय और धन स्वेच्छा प्रकटन अध्यादेश, 1975 और आय और धन स्वेच्छा प्रकटन (संशोधन) अध्यादेश, 1975 के बारे में विवरण

STATEMENT *RE.* VOLUNTARY DISCLOSURE OF INCOME AND WEALTH ORDINANCE, 1975 AND VOLUNTARY DISCLOSURE OF INCOME AND WEALTH (AMENDMENT) ORDINANCE, 1975.

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) मैं आय और धन स्वेच्छया प्रकटन अध्यादेश, 1975 तथा आय और धन स्वेच्छया प्रकटन (संशोधन) अध्यादेश, 1975 द्वारा तुरन्त विधान बनाये जाने के कारण बताने वाला एक व्याख्यात्मक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं, जैसा कि लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 71(1) के अन्तर्गत अपेक्षित है ।

तस्कर और विदेशी मुद्रा छल साधक (सम्पत्ति समपहरण) विधेयक

SMUGGLERS AND FOREIGN EXCHANGE MANIPULATIONS FORFEITURE OF PROPERTY BILL

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि तस्करों और विदेशी मुद्रा छल साधकों की अवैध रूप में अर्जित सम्पत्ति के समपहरण के लिये और उससे सम्बन्धित या उसके आनुषंगिक विषयों के लिये उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि तस्करों और विदेशी मुद्रा छलसाधकों की अवैध रूप से अर्जित सम्पत्ति के समपहरण के लिये और उससे सम्बन्धित या उसके आनुषंगिक विषयों के लिये उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted

श्री प्रणव कुमार मुखर्जी : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं ।

तस्कर और विदेशी मुद्रा छलसाधक (सम्पत्ति समपहरण) अध्यादेश, 1975 के बारे में विवरण

Statement *Re.* Smugglers and Foreign Exchange Manipulators (Forfeiture of property Ordinance, 1975.

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि तस्कर और विदेशी मुद्रा छलसाधक (सम्पत्ति समपहरण) अध्यादेश, 1975 द्वारा तुरन्त विधान बनाये जाने के कारण बताने वाला एक व्याख्यात्मक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं, जैसा कि लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियम के नियम 71(1) के अन्तर्गत अपेक्षित है ।

विक्रय संवर्धन कर्मचारी (सेवा की शर्तें) विधेयक—जारी

SALES PROMOTION EMPLOYEES (CONDITIONS OF SERVICE) BILL.—*Contd.*

अध्यक्ष महोदय : अब सभा 9 जनवरी, 1976 को श्री के० बी० रघुनाथ रेड्डी द्वारा पेश किये गये निम्नलिखित प्रस्ताव पर आगे विचार करेगी, अर्थात् :—

"कि कतिपय स्थापनों में विक्रय संवर्धन कर्मचारियों की सेवा की कतिपय शर्तों को विनियमित करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में, विचार किया जाये ।"

Shri Ram Singh Bhai (Indore): I welcome this Bill as the workmen engaged in the job are freely being exploited by their employers. I would like to draw the attention of the hon. Minister towards certain drawbacks in the Bill.

This Bill has been brought after a long time, even then it has been left on the States to implement it from different dates. I can say from my personal experience that sometimes States take years to fix an effective date. Moreover the limit of the salary fixed at Rs. 750 is very much on the low side. Even in the Payment of Wages Act the limit is Rs. 1000/-. This Bill should be implemented from the same date throughout the country and the limit of Rs. 750 be raised to Rs. 1000/-. Under the Workmen Compensation Act the families of deceased are not being benefitted as the limit imposed is Rs. 500/-. I hope you would re-consider and raise the limit to Rs. 1000/-.

श्रीमती रोजा देशपांडे (बम्बई मध्य) : खेद की बात है कि मेडिकल रिप्रेजेन्टेटिव्ज वर्षों से मांग करते रहे हैं परन्तु स्वतन्त्रता के 28 वर्ष पश्चात् भी उन्हें संरक्षण नहीं दिया जा रहा है। अब आपने जो विधेयक प्रस्तुत किया है इसमें 20 प्रतिशत कर्मचारी भी लाभान्वित नहीं हो पाते।

यदि आपको उनके वास्तविक वेतनमानों का पता होता तो आप ऐसी सीमा निर्धारित न करते। देश में लगभग 20,000 मेडिकल रिप्रेजेन्टेटिव्ज हैं। बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा 370 करोड़ का माल बेचा जाता है। ये कम्पनियां कर्मचारियों के वेतनादि पर कठिनता से 5 प्रतिशत ही व्यय करती हैं। ऐसी कम्पनियों में एक क्लर्क को भी 1200--1300 रुपये प्राप्त होते हैं। आपने जो 750 रुपये या 900 रुपये की सीमा निर्धारित की है इससे तो ऐसा लगता है कि आपने कोई हिसाब नहीं लगाया इन लोगों को 10-12 घंटे काम करना पड़ता है और 20-25 रुपये भत्ते के रूप में मिलते हैं। औषधि निर्माता कम्पनियां उनके साथ जैसा व्यवहार करती हैं हमने सोचा था कि आप उनकी सहायता करेंगे।

औषधि उद्योग पूरी तरह बहु-राष्ट्रीय कम्पनियों के हाथ में है। जो लाखों करोड़ों रुपये विज्ञापनों पर व्यय करते हैं। इन औषधियों का प्रचार प्रसार करने वाले व्यक्तियों को 5 प्रतिशत भी उपलब्धि नहीं होती। मुझे खेद है कि उनके लिये आप यह विधेयक लाये हैं। मैं विधेयक का विरोध करती हूं।

श्री के० गोपाल (करूर) : मुझे प्रसन्नता है कि यह विधेयक लाया गया है। यह मेडिकल रिप्रेजेन्टेटिव्ज के मामले पर उच्चतम न्यायालय के निर्णय के दो वर्ष पश्चात् लाया गया है। राज्य सभा की याचिका समिति ने इस मामले का अध्ययन किया था। मुझे खेद है कि विधेयक जिस रूप में लाया जा रहा है, वह किसी के लिये लाभप्रद नहीं होगा। इसे औषधि उद्योग तक सीमित रखा गया है। इसे अन्य उद्योगों पर भी लागू किया जाना चाहिए। दूसरे राज्य सभा में बताया गया कि इन लोगों को न्याय देने के लिये औद्योगिक विवाद अधिनियम में उपयुक्त संशोधन किया जाये ताकि 'मेडिकल रिप्रेजेन्टेटिव्ज' भी उसके अन्तर्गत आ जाय। आपने 750 रुपये की सीमा निर्धारित की है। इस विधेयक से कठिनता से 25 प्रतिशत लोग लाभान्वित होंगे क्योंकि 75 प्रतिशत 750 रुपये से अधिक प्राप्त कर रहे हैं। सीमा हटाने के लिये मैंने संशोधन दिया है। मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करता हूं कि सीमा को हटा दिया जाये।

श्री वायलार रवि (चिरेयिनकिल): मैं श्री गोपाल तथा श्रीमती देशपांडे द्वारा व्यक्त विचारों से पूरी तरह सहमत हूं। यह विधेयक याचिका समिति के प्रतिवेदन तथा उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार लाया गया है। परन्तु इसमें उन दोनों दस्तावेजों की भावना निहित नहीं है। 750 रुपये की सीमा का औचित्य क्या है। इस विधेयक से केवल 20 प्रतिशत कर्मचारी ही लाभान्वित होंगे। हमने तस्करों को तो पकड़ लिया है परन्तु औषधि निर्माता कम्पनियां अभी भी बची हुई हैं। संसद् सदस्यों को दवाइयों का मूल्य नहीं देना पड़ता है। अन्य लोगों को इससे वास्ता पड़ता है। यह लोग 400 प्रतिशत लाभ कमा रहे हैं और 25 प्रतिशत केवल विज्ञापनों पर व्यय करते हैं। इतना लाभ कमाने वाला यह उद्योग अपने 20,000--25,000 कर्मचारियों के हितों का ध्यान रख सकता है। इस उद्योग संघ के सचिव को सेवा से पृथक् किये जाने के विरुद्ध मैंने श्रम मन्त्री, महाराष्ट्र के मुख्य मन्त्री को लिखा था परन्तु अभी कुछ कार्यवाही नहीं की गई। मैं मन्त्री महोदय से सीमा हटाने का निवेदन करता हूं। इन लोगों को अच्छे सूट पहनने पड़ते हैं। आजकल बम्बई, दिल्ली और कलकत्ता में जीवन निर्वाह बढ़ा हुआ है। लगभग 20 सदस्यों ने मन्त्री महोदय को लिख कर भी दिया है।

श्री अमृत नाहाटा (बाड़मेड़) : मैं सफेदपोश श्रमिक संघों के विरुद्ध नहीं हूं । अधिकांश मेडिकल रिप्रेजेन्टेटिव्ज कौन हैं । यह एम० एस० सी० बी० ए० सी० पास रासायनिज्ञ हैं जिनमें खरीदारों को खरीद के लिये तैयार करने को क्षमता है । इसमें कोई सन्देह नहीं कि यह लोग अत्यन्त सफल विक्रय संवर्धक हैं । मैं समझता हूं कि इससे बेकार गैर-उत्पादक रोजगार और नहीं हो सकता । एक वस्तु को सैकड़ों नामों से डाक्टरों के पास बेचने के लिये यह एक दूसरे से होड़ लेते हैं । यह विक्रय संवर्धक बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा नियुक्त किये जाते हैं क्योंकि भारतीय औषधि उद्योग उन्हें नियुक्त करने का भार नहीं सह सकता । इनमें से अनेक विदेशी औषध फर्मों के कर्मचारी हैं जो औषध सम्बन्धी कोई भी अनुसन्धान नहीं करते । इन योग्य युवकों को औषध अनुसन्धान करने के अवसर प्रदान किये जाने चाहिय थे लेकिन इनकी क्षमता बर्बाद हो रही है । जब तक इन बहु राष्ट्रीय फर्मों को सरकार अपने हाथ में नहीं लेती उस समय तक ये युवक राष्ट्र के प्रति अपना योगदान नहीं दे सकते । मैं इस मांग का समर्थन नहीं कर सकता कि उन्हें कर्मकार समझा जाये और उनके वेतन 750 रुपये से बढ़ाकर 1000 अथवा 1500 रुपये किये जाय ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : मैं श्री अमृत नाहाटा की बात सुनकर हैरान हूं कि इन विदेशी फर्मों को नियन्त्रण में लेने के सम्बन्ध में अपने दल के अन्दर बात चलाने के बजाये वे इन कर्मचारियों पर ही आक्रमण कर रहे हैं ।

श्री अमृत नाहाटा : मैं कोई आक्रमण नहीं कर रहा ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : इस विधेयक का उद्देश्य इस श्रेणी के कर्मचारियों को वह सुरक्षण प्रदान करना है जिसकी व्यवस्था विभिन्न श्रम सम्बन्धी कानूनों में की गयी है । सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय तथा इन कर्मचारियों के आन्दोलन के कारण सरकार इस विधेयक को लाई है । सैद्धान्तिक दृष्टि से यह विधेयक अच्छा है जिसका कि हम स्वागत करते हैं । यदि यह विधेयक इसी रूप में पास हुआ तो इससे कर्मचारी और दुखी होंगे । इस विधेयक द्वारा केवल बड़ी बड़ी फर्मों के कर्मचारियों को सुरक्षण मिलेगा । जो कर्मचारी 750 रुपये से अधिक प्राप्त करते हैं उन्हें भी इस कानून के अन्तर्गत सुरक्षण प्राप्त नहीं होगा । मुझे सन्देह है कि एकाधिकार प्राप्त औषध फर्में इस बारे में पर्याप्त लौबिंग कर रहे हैं ताकि उनके अधिकाधिक कर्मचारी इस कानून के सुरक्षण से वंचित हों । यह विधेयक एक हाथ से जो कुछ देगा, उसे दूसरे हाथ से वापिस ले लेगा । इस सम्बन्ध में हमारा एक प्रतिनिधि मण्डल प्रधान मन्त्री से भी मिला था । उन्होंने कहा था कि इस पर विचार किया जायेगा । लेकिन फिर भी विधेयक को उसी असंशोधित रूप में लाया गया है । इस प्रकार सरकार को श्रमजीवी वर्ग का समर्थन प्राप्त नहीं हो सकता जिसके फलस्वरूप प्रतिक्रियावादी ताकतें इस वर्ग को अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास करेंगी । मेरे विचार में अब भी इस अधिकतम सीमा को हटाने तथा कानूनी सुरक्षण को और अधिक बढ़ाने का समय है । सरकार को इस पर गम्भीरता से विचार करना चाहिये । इसे अन्य कारखानों के कर्मचारियों पर भी क्यों नहीं लागू किया जाता । इसे औषध कारखानों तक ही क्यों सीमित रखा जाता है ? सरकार के इरादे क्या हैं ? जैसे कि अन्य औद्योगिक दृष्टि से प्रगतिशील अन्य देशों में होता है । इस विधेयक के सुरक्षण सभी प्रकार के उद्योगों तथा समूचे श्रमजीवी वर्ग पर लागू होने चाहियें । इन कर्मचारियों के बीच भेदभाव क्यों किया जा रहा है ? यदि यह विधेयक इसी रूप में पास किया जाता है तो हम इसका विरोध करने के लिये बाध्य होंगे । जो कुछ ये करना चाहते हैं, ठीक उसके विपरीत कर रहे हैं । मन्त्री महोदय इस सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण दें । आप अब भी इस पर विचार विमर्श कर सकते हैं । सरकार को इसे प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं बनाना चाहिये ।

Shri M. C. Daga (Pali): I think this bill cannot be enforced because all the powers have been delegated to the Government and also the date of enforcement has not been given therein. This law can only be enforced after framing rules thereunder and after appointment of the staff. In additicn, Magistrate mav also take time for hearing the case.

All the members of the Company shall be collectively responsible.

गलती करने वाले को ही क्यों नहीं जिम्मेदार ठहराया जाता। मेरे विचार में विधि विभाग इन विधेयकों की छानबीन नहीं करता। प्रश्न तो यह है कि विधेयक को कैसे लागू किया जायेगा। इस कानून के अन्तर्गत नियम बताने में भी कई वर्ष लगेंगे। इस विधेयक का उद्देश्य अच्छा है। लेकिन इसे लागू कैसे किया जायेगा?

श्रम मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : मैं इस बात का पूर्णतः खंडन करना चाहता हूं कि सरकार पर इस विधेयक के बारे किसी भी प्रकार का दबाव नहीं डाला गया है। इस विधेयक का उद्देश्य उन कर्मचारियों को कानूनी सुरक्षण प्रदान किया जाना है जिन्हें वर्तमान कानूनों के अन्तर्गत सुरक्षण नहीं मिल रहा। विधेयक में उल्लिखित वेतनसीमा का जिक्र भी किया गया है। इस पहलू पर हम ने पूर्णतः विचार किया है और यह निर्णय किया गया है कि किसी विशेष वेतनसीमा के कर्मचारियों को सुरक्षण दिया जा सकता है। बाद यदि आवश्यक हों तो इस वेतनसीमा में संशोधन भी किया जा सकता है। सरकार इस प्रकार के सुझावों पर विचार करने में संकोच नहीं करेगी। 750 रुपये वेतन पाने वालों को सुरक्षण देना हम ने उचित समझा है।

श्री के० गोपाल (करूर) : क्या यह अधिकतम सीमा अन्य लोगों पर भी लागू की जायेगी? हमारे पास 900 रुपये वेतन पाने वाले चपरासी भी हैं।

श्री रघुनानाथ रेड्डी : मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत विक्रय प्रतिनिधि नहीं आते। यह काम सरल होता तो हम औद्योगिक विवाद अधिनियम में ही उचित संशोधन कर देते।

श्री दीनेन भट्टाचार्य ने मांग की है कि अन्य वर्ग के औद्योगिक कर्मचारियों के वार्षिक बोनस का सुरक्षण करने के लिये भी विशेष व्यवस्था की जाये। जब कभी भी इस प्रकार की व्यवस्था की जाये तो उसके अन्दर इस प्रकार के सभी वर्ग के कर्मचारी आ जायेंगे। क्योंकि बिक्री संवर्धन कर्मचारी की परिभाषा विधेयक में दे दी गई है अतः प्रतिनिधि को अलग से परिभाषित करने की आवश्यकता नहीं है।

मैं श्री डागा को आश्वासन देता हूं कि इस कानून को लागू करने की व्यवस्था होते ही हम इसकी प्रभावी तारीख की घोषणा कर देंगे। हमारा इरादा इसे लागू करने का है और ऐसा जितना शीघ्र हो सका किया जायेगा।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

> "कि कतिपय स्थापनों में विक्रय संवर्धन कर्मचारियों की सेवा की कतिपय शर्तों को विनियमित करने वाले विधेयाक विधेयकों विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में, विचार किया जाये।"

[अध्यक्ष महोदय]

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

खण्ड 2

(संशोधन)

श्री के० गोपाल (करूर) : मंत्री महोदय के आश्वासन के कारण मैं अपना संशोधन पेश नहीं कर रहा हूं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : मैं अपना संशोधन संख्या 2 पेश करता हूं।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : मैं अपने संशोधन संख्या 7 और 8 पेश करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : संशोधन संख्या 12, 13 और 14। श्री सरोज मुखर्जी उपस्थित नहीं हैं।

Shri Ramavtar Shastri: I am opposed to the pay limit of Rs. 750/- prescribed in the Bill. This will create a rift among employees. This ceiling has been opposed by both sides of the House, and should, therefore be removed. Moreover, in the present form the Bill will benefit only 15—20 percent employees. The idea should be to cover maximum number.

Hence my amendments.

श्री रघुनाथ रेड्डी : मैं पहले ही उत्तर दे चुका हूं। मैं इनका विरोध करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं संशोधन संख्या 2 सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

लोक सभा में मत विभाजन हुआ।

The Lok Sabha divided:

पक्ष	20		विपक्ष	109
Ayes	20	:	Noes	109.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was negatived.

अध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री शास्त्री के संशोधन संख्या 7 और 8 सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिये रख गये तथा अस्वीकृत हुये।

The amendments were put and negatived.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 विधेयक का अंग बने"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 2 was added to the Bill.

खण्ड 3 से 5 तक विधेयक में जोड़ दिये गये ।

Clauses 3 to 5 were added to the Bill.

खण्ड 6 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 6 was added to the Bill.

खण्ड 7 से 12 विधेयक में जोड़ दिये गये ।

Clauses 7 to 12 were added to the Bill.

खण्ड 1

श्री रघुनाथ रेड्डी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 1, पंक्ति 4,—

"1975" के स्थान पर "1976" प्रतिस्थापित किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

श्री रामावतार शास्त्री : मैं अपना संशोधन संख्या 6 पेश करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : मैं संशोधन संख्या 6 सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

The Amendment was put and negatived.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 1, संशोधित रुप में, विधेयक मे जोड़ दिया गया ।

Clause 1, as amended was added to the Bill.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अधिनियमन सूत्र और नाम विधेयक का अंग बनें"

[अध्यक्ष महोदय]

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

अधिनियम सूत्र और नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।

The Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

श्री रघुनाथ रेड्डी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पास किया जाये" ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पास किया जाये" ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

(लोक सभा, तत्पश्चात् मध्याह्न भोजन के लिये मध्याह्न पश्चात् 2.15 बजे तक के लिये स्थगित हुई)

(The Lok Sabha then adjourned for lunch till fifteen minutes past fourteen of the Clock).

(लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् 2.18 बजे म० प० पर पुनः समवेत हुई)

(The Lok Sabha reassembled after lunch at Eighteen minutes past fourteen of the Clock).

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये)

(Mr. Deputy Speaker in the Chair)

निर्वाचन विधि (सिक्किम पर विस्तार) विधेयक

ELECTION LAWS (EXTENSION TO SIKKIM) BILL.

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम निर्वाचन विधि (सिक्किम पर विस्तार) विधेयक पर विचार करेंगे । डा० सईद मुहम्मद ।

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सईद मुहम्मद) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 का सिक्किम पर विस्तार करने का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये" ।

इस विधेयक का उद्देश्य संविधान (36वां संशोधन) अधिनियम, 1975 को प्रभावी बनाना है जिसके अनुसार सिक्किम से लोक सभा और राज्य सभा के लिए एक-एक सदस्य वहां के विधायकों द्वारा चुने जाने की व्यवस्था है। क्योंकि सभा का सत्र नहीं चल रहा था, अतः राष्ट्रपति द्वारा इसके लिए अध्यादेश 9 सितम्बर, 1975 को जारी किया गया। उसी का स्थान लेने के लिए यह विधेयक पेश किया गया है।

क्योंकि यह विधेयक विवाद-रहित है, अतः अधिक कुछ न कहते हुए मैं इसे पास करने की सिफारिश करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री रानेन सेन (बारासाट) : इस विधेयक का स्वागत करते हुए मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जहां सिक्किम के भारत का अंग बन जाने पर विदेश आक्रमण और आन्तरिक प्रतिक्रियावादियों से इसकी रक्षा की जायेगी, वहां ऐसा वातावरण भी बनाया जाना चाहिए और ऐसे कदम उठाये जाने चाहियें कि हमारे नौकरशाहों का प्रभुत्व भी वहां शनैः शनैः कम हो और लोकतंत्र वहां के लोगों की सहायता से ही स्थापित किया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : इस विधेयक से ये बातें कहां तक सम्बद्ध हैं?

श्री रानेन सेन : यद्यपि इस समय यह संभव नहीं है, फिर भी लोक सभा के प्रतिनिधि का चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर सीधे निर्वाचन द्वारा होना चाहिये।

डा० वी० ए० सईद मुहम्मद : मुझे उत्तर में कुछ नहीं कहना है क्योंकि सदस्य महोदय ने कोई ठोस बात नहीं उठाई है। अतः मैं विधेयक को पास करने की सिफारिश करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रत्यक्ष चुनाव के बारे में?

डा० वी० ए० सईद मुहम्मद : इस पर उचित समय पर विचार किया जायेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 का सिक्किम पर विस्तार करने का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम खण्डवार विचार करेंगे।

प्रश्न यह है :

"खण्ड 2, 3, अनुसूची, खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक का अंग बनें।"

[उपाध्यक्ष महोदय]

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 2, 3, अनुसूची, खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।

Clauses 2, 3, the Schedule, Clause 1, Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

डा० वी० ए० सईद मुहम्मद : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पास किया जाये ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पास किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

आयात और निर्यात (नियंत्रण) संशोधन विधेयक

THE IMPORTS AND EXPORTS (CONTROL) AMENDMENT BILL

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि आयात और निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

मूल अधिनियम लागू करने से हमारा उद्देश्य पूरा नहीं हुआ है और 20-सूत्री कार्यक्रम के अनुसरण में आर्थिक अपराधियों और आयात तथा निर्यात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध अधिक कड़ी कार्यवाही करने की आवश्यकता है, इसीलिए तुरन्त अध्यादेश जारी करके इस अधिनियम का संशोधन कर दिया गया था। इसी अध्यादेश को कानूनी रूप देने हेतु यह विधेयक लाया गया है।

जहां प्रशासन को यह कानून सख्ती से लागू करने के लिए काफी अधिकार दिये गये हैं, वहां इनका दुरुपयोग रोकने के लिए, निचले अधिकारियों के आदेशोंयों पर पुनर्विचार की व्यवस्था कर दी गई है।

समाज-विरोधी तत्वों पर प्रभावी अंकुश रखने के लिए लाये गये इस विधेयक को आशा है पूरी सभा का समर्थन मिलेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि आयात और निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

श्रीमती रोजा देशपाँडे (बम्बई–मध्य) : हम इस विधेयक का स्वागत करते हैं। साथ ही मैं सरकार को कुछ मामलों में सावधान करना चाहती हूं।

पहली समस्या अधिक और कम राशि के बीजक बनाने संबंधी है। सरकार जानती है कि एकाधिकारी-गृहों के लाखों रुपये विदेशी बैंकों में जमा हैं और यही पूंजी देश में काला धन उत्पन्न करती है। सरकार को इस क्षेत्र में भी ठोस कदम उठाने होंगे। दूसरे लाइसेंसों की कालाबाजारी भी रोकनी होगी, विशेषकर औषध उद्योग में जिसकी मुझे निजी जानकारी है। साथ ही कानून को ठीक ढंग से लागू किया जाना चाहिये, और विदेशों में बनने वाली अच्छी-अच्छी चीजें देश में ही बनाई जानी चाहियें।

ऐसी वस्तुएं आयात करने के लिए लाइसेंस नहीं दिये जाने चाहिएं जो देश में उपलब्ध हैं। इसी प्रकार हमें विदेशी प्रौद्योगिकी पर भी निर्भर नहीं रहना चाहिए। हमें स्वदेशी उत्पादन पर ही निर्भर रहना चाहिए। हमें अपने देश के उत्पादन की किस्म में भी सुधार करना चाहिए। रेडियो, रेडियोग्राम आदि ऐसी वस्तुएं हैं जो आसानी से देश में तैयार हो सकती हैं। हमें इनका आयात नहीं करना चाहिए। हमें कपड़े की किस्म में भी सुधार करना चाहिए ताकि लोग आयातित नायलन कपड़ा पहनने की बजाय स्वदेशी कपड़ा पहनें। इस विधेयक का समर्थन करते हुए मैं यह कहना चाहती हूं कि हमें अपनी अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखना होगा और साथ ही हमें इस बात के लिए भी सतर्क रहना होगा कि कहीं देश तथा एकाधिकार क्षेत्रों पर किसी किस्म का दबाव न पड़े। आजकल एकाधिकारी कम मूल्य तथा अधिक मूल्य के बीजक बना कर देश को धोखा दे रहे हैं और बड़े पैमाने पर धन की हेराफेरी कर रहे हैं।

मैं आशा करती हूं कि विधेयक के पास होने के बाद मंत्री महोदय सच्ची भावना से इसका क्रियान्वयन करेंगे।

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : मैं माननीय सदस्या की इस बात से सहमत हूं कि आयात-निर्यात के क्षेत्र में कदाचार व्याप्त है। इसी कारण हमें यह सोचना पड़ा कि दण्डकारी प्रावधान पर्याप्त नहीं है। हम उन्हें और कड़ा बनाना चाहते हैं। मैं उनकी इस बात से भी सहमत हूं कि इसके क्रियान्वयन के समय हमें सावधानी बरतनी चाहिए तथा इस बात को सुनिश्चित करना चाहिए कि क्रियान्वयन से उस लक्ष्य की पूर्ति हो जो हमने निर्धारित किया है।

नये प्रावधानों के क्रियान्वयन के लिए हमने कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि करने का निर्णय किया है। मुख्यालय तथा क्षेत्र स्तर पर मुख्य आयात-निर्यात नियन्त्रक के कार्यालय में कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि की जा रही है। मैं सदन को यह आश्वासन देता हूं कि आर्थिक अपराधों को रोकने के लिए यथासम्भव प्रयत्न किये जा रहे हैं। हम सरकारी रूप से कुछ नहीं कर सकते। उपभोक्ताओं में भी यह कमजोरी होती है कि वे विदेशी वस्तुएं खरीदना चाहते हैं। हम इस बात के लिए प्रयत्न करेंगे कि वे स्वदेशी वस्तुएं ही खरीदें। आर्थिक अपराधों को रोकने

[श्री डी० पी० चट्टोपाध्याय]

के लिए वह विदेशी मुद्रा संरक्षण तथा तस्करी गतिविधि निवारण अधिनियम तथा विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम का सहारा लेगी। इसके लिए जनता का सहयोग भी अपेक्षित है।

मैंने माननीय सदस्या के विचारों को नोट कर लिया है।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि आयात और निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम खंडवार विचार शुरू करेंगे। प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 से 7 विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

Clause 1, the Enacting Formula and the title were added to the Bill.

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

विधेयक पारित हुआ।

The motion was adopted.

रेल उपक्रम द्वारा सामान्य राजस्व में देय लाभांश दर के बारे में संकल्प

RESOLUTION *RE.* RATE OF DIVIDEND PAYABLE BY THE RAILWAY UNDERTAKING TO GENERAL REVENUES

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि यह सभा रेल उपक्रम द्वारा सामान्य राजस्व में देय लाभांश दर तथा रेल वित्त तथा सामान्य वित्त के सम्बन्ध में अन्य सम्बन्धित मामलों के पुनर्विलोकन के लिये नियुक्त समिति के 11वें प्रतिवेदन के, जो 9 जनवरी 1976 को संसद् में प्रस्तुत किया गया था, पैरा 4, 5, 15, 16, 17 और 23 में की गई सिफारिशों का अनुमोदन करती है।

कि यह सभा यह भी निदेश देती है कि इस प्रतिवेदन तथा आठवें और नौवें प्रतिवेदनों में की गई अन्य सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही समिति को सूचित की जाये।"

एक्वर्थ समिति, 1920-21 की सिफारिशों के आधार पर सितम्बर, 1924 में तत्कालीन केन्द्रीय विधान-मंडल ने एक संकल्प पास करके रेलवे वित्त को सामान्य वित्त से अलग कर दिया था। इस संकल्प में उस अंशदान की दर नियत की थी जो रेलवे को सामान्य राजस्व में करना था। यह अंशदान रेलवे की ब्याजदेय पूंजी तथा वाणिज्यिक लाइनों के कार्यकरण परिणामों के आधार पर तय किया जाता था।

रेलवे अभिसमय समिति, 1949 ने इन सभी व्यवस्थाओं की समीक्षा की और यह सिफारिश की कि रेलवे को सामान्य राजस्व में अपने उपक्रम में लगी ऋण पूंजी पर निर्धारित लाभांश देना चाहिए। संसद् ने इसका अनुमोदन किया। वर्ष 1954, 1960, 1965 और 1971 में रेलवे अभिसमय समिति ने इस व्यवस्था की समीक्षा की। लाभांश की दर बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार तय की जाती रही।

पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत देश के आर्थिक विकास के साथ यह परम्परा बन गई है कि रेलवे अभिसमय समिति की स्थापना की जाये जो पंचवर्षीय योजनाओं के अनुरूप लाभांश की दर निर्धारित करे। इससे रेलवे को अपने संसाधनों का अनुमान हो जायेगा और वे नियोजित रूप से रेलवे प्रणाली का विकास तथा विस्तार कर सकेंगे।

रेलवे अभिसमय समिति, 1971 ने लेखा मामलों, उपनगरीय सेवा, वाणिज्यिक तथा आनुषंगिक विषयों तथा वैगनों की मांग तथा उपलब्धता आदि विभिन्न पहलुओं पर गहराई से विचार किया। समिति की सिफारिशें चौथी पंचवर्षीय योजना के आधार पर तय की गई थीं। इन सिफारिशों पर सावधानीपूर्वक विचार किया गया है और अधिकांश सिफारिशें क्रियान्वित कर दी गई हैं।

मई, 1973 में सदन ने रेलवे अभिसमय समिति, 1973 की स्थापना की। इसका कार्य रेलवे राजस्व द्वारा सामान्य राजस्व में लाभांश की दर तथा पांचवीं पंचवर्षीय योजना, 1974-79 के दौरान सम्बन्धित मामलों को सुनिश्चित करना है। समिति महत्वपूर्ण कार्य कर रही है। उसने

[श्री मुहम्मद शफी कुरेशी]

दिसम्बर, 1973 में अन्तरिम प्रतिवेदन तथा दिसम्बर, 1974 में वर्ष 1974–75, 1975–76 के दौरान वित्तीय व्यवस्थाओं के बारे में छटा प्रतिवेदन पेश किया है । रेलवे बजट अनुमान तैयार करते समय इन सिफारिशों को ध्यान में रखा गया है।

इसके बाद समिति ने रेलवे की चौथी तथा पंचवर्षीय योजनाओं पर आठवां प्रतिवेदन, रेलवे पर सामाजिक दायित्वों के बारे में नवां प्रतिवेदन तथा वर्ष 1976–77 के लिए लाभांश की दर नियत करने के बारे में 11वां प्रतिवेदन पेश किया है।

आठवें प्रतिवेदन में समिति ने चौथी तथा पांचवीं योजना में रेलवे के कार्यकरण की जांच की तथा आयोजन की तकनीक, आस्तियों के उपयोग, यातायात के लिए अर्जित क्षमताओं के बारे में विचार व्यक्त किये। समिति की सिफारिशों पर विचार किया जायेगा।

नवें प्रतिवेदन में समिति ने रेलवे की वित्तीय स्थिति तथा सामाजिक दायित्वों का विश्लेषण किया है। ये दायित्व घाटे वाली यात्री सेवा, ब्रांच लाईन तथा लागत से कम मूल्य पर लदान करने के कारण होते हैं। समिति ने कुछ क्षेत्रों में रेलवे को राहत देने की सिफारिश की है।

ग्यारहवें प्रतिवेदन में समिति ने लाभांश की दर नियत की जो अब भी चल रही है तथा 1976–77 में भी चलेगी । समिति ने लाभांश की दर 5.5 प्रतिशत तय की है। समिति ने रेलवे को राहत देने की भी सिफारिश की है। वर्ष 1974–77 के दौरान रेलवे को राहत के रूप में 13 करोड़ पये की राशि दी जायेगी। वर्ष 1976–77 के रेलवे बजट बनाते समय समिति की सिफारिशों पर ध्यान दिया जायेगा।

मैं समिति के चेयरमैन तथा सदस्यों के ति आभारी हूं कि उन्होंने रेलवे की समस्याओं को समझा है और काफी मेहनत की है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं संकल्प पर सदन द्वारा विचार करने की सिफारिश करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि यह सभा रेल उपक्रम द्वारा सामान्य राजस्व में देय लाभांश दर तथा रेल, वित्त तथा सामान्य वित्त के सम्बन्ध में अन्य सम्बन्धित मामलों के पुनर्विलोकन के लिए नियुक्त समिति के 11वें प्रतिवेदन के, जो 9 जनवरी, 1976 को संसद् में प्रस्तुत किया गया था, पैरा 4, 5, 15, 16, 17 और 23 में की गई सिफारिशों का अनुमोदन करती हैं।

कि यह सभा यह भी निदेश देती है कि इस प्रतिवेदन तथा आठवें और नौवें प्रतिवेदनों में की गई अन्य सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही समिति को सूचित की जाये।"

श्री समर मुखर्जी (हावड़ा) : रेलवे द्वारा सामान्य राजस्व में लाभांश देने की परम्परा ब्रिटिश काल से चली आ रही है। ब्रिटिश काल में सामाजिक दायित्व के नाम पर निहित स्वार्थ स्वयं लाभान्वित हो रहे थे। लेकिन अब रेलवे की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। रेलवे के कार्यकरण और प्रशासन में सुधार की आवश्यकता है और हमें

इस पर गम्भीरता से विचार करना चाहिए। वस्तुतः देखा जाए तो बोझ रेलवे कर्मचारियों पर ही पड़ता है। रेलवे कर्मचारियों की मांगें इस तर्क पर अस्वीकार कर दी जाती हैं कि रेलवे विभाग घाटे में चल रहा है। रेलवे कर्मचारियों के वेतनमान सरकारी उपक्रमों के वेतनमानों से कहीं कम हैं। इसलिए हमारा कहना यह है कि सामाजिक बोझ समूचे समाज द्वारा वहन किया जाना चाहिए, न कि केवल रेलवे द्वारा।

बड़े व्यापार गृहों को रियायत दी जा रही हैं और दूसरी ओर मजदूरों और कर्मचारियों के साथ गुलामों सा व्यवहार किया जा रहा है। और यह सब ऐसे समय में किया जा रहा है जबकि देश में अनुशासन तथा उत्पादन का नया दौर चल रहा है। रेलवे की हालत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। रेल दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : आप बाद में भाषण जारी रख सकते हैं।

धनबाद के निकट चासनाला कोयला खान में हुई दुर्घटना के बारे में वक्तव्य

STATEMENT *RE.:* ACCIDENT IN CHASNALA COAL MINES NEAR DHANBAD

इस्पात तथा खान मंत्री (श्री चन्द्रजीत यादव) : मैं नवीनतम स्थिति के बारे में बताना चाहता हूं। हमें खान से 11 करोड़ गैलन पानी निकालना है। अब तक हम 7.30 करोड़ गैलन पानी निकाल पाए हैं। 18 पम्प पानी निकालने के काम पर लागाये गए हैं और ये एक मिनट में 11,900 गैलन पानी बाहर निकालते हैं।

लेकिन हमारे सामने जो सबसे बड़ी कठिनाई आ रही है, वह यह है कि ज्यों ज्यों पानी का स्तर कम होता जा रहा है, गन्दगी वगैरा बाहर आ रही है और कोयले के चूरे आदि के कारण पानी भी गंदा हो गया है। हमारे विशेषज्ञ सोवियत संघ के तथा पोलैंड के विशषज्ञों के साथ मिलकर इन कठिनाइयों को दूर कर रहे हैं।

आज की अखबारों में भ्रांतिपूर्ण खबर छपी है। दामोदर नदी चासनाला खान से 2000 मीटर दूर बहती है। अतः उस नदी के पानी के रिसने की कोई सम्भावना नहीं। सत्य तो यह है कि इस खान में सामान्यतया 1 लाख गैलन पानी रिस रहा है। हमने पानी को निकालने के लिए अतिरिक्त पम्प भी रखे हैं ताकि काम कर रहे पम्पों में खराबी आने पर उन्हें प्रयोग में लाया जा उके। आशा है कि तीन चार दिन तक हम पहली सतह की गहराई वाले पानी को निकाल सकेंगे। इसके बाद हम दूसरी सतह की वाले पानी को निकालने में समर्थ हो जाएंगे।

हमने नौसेना के गोताखोर की सेवाएं प्राप्त की हैं। उसने मौके का सर्वेक्षण करने के बाद बताया है कि इस समय खान के अन्दर जाना जोखिमपूर्ण है।

[श्री चन्द्रजीत यादव]

[अध्यक्ष महोदय : पीठासीन हुए]

[MR. SPEAKER *in the Chair*]

हम टेलीफोन पर नवीनतम जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। आज 12 बजे दोपहर को मिले समाचार के अनुसार वहां 21 पम्प कार्य कर रहे हैं जो 1,52,000 गैलन प्रति मिनट पानी बाहर निकाल रहे हैं। 8.60 करोड़ गैलन पानी निकाला जा चुका है। सोवियत संघ के 4 पम्पों में से 3 पम्प कार्य कर रहे हैं। पोलैंड के 5 पम्प कलकत्ता पहुंच गए हैं और अब उन्हें चासनाला लाया जा रा है। इस समय पानी 1 लाख गलन प्रति दिन की दर सेरिस रहा है। दामोदर नदी से पानी रिसने का कोई भय नहीं है। लगभग 800 मजदूर, इंजीनियर तथा विशेषज्ञ रात-दिन काम कर रहे हैं। पानी निकालने के कार्य को हम सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहे हैं।

धनवाद के निकट चासनाला कोयला खान में हुई दुर्घटना के बारे में चर्चा

DISCUSSION *RE:* ACCIDENT IN THE CHASNALA COAL MINE NEAR DHANBAD

डा० रानेन सेन (बारसाट) : चासनाला खान दुर्घटना दुःखपूर्ण एवं हृदय विदारक है। मैं लोगो की, बिहार सरकार तथा अन्य राज्य सरकारों की सराहना करता हूं कि वे राहत कार्यों में मदद दे रहे हैं। पानी निकालने के लिए प्रयत्न जारी हैं। मैं सोवियत संघ और पोलण्ड का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने खनिकों को बचाने के लिए पम्प भेजे हैं।

भारत के कोयला खान के इतिहास में यह दुर्घटना सबसे अधिक दुःखद है। कहा गया है कि 372 आदमी खान में फंसे हुए हैं। लेकिन मेरा कहना है कि वहां 400 से भी अधिक आदमी फसे हुए हैं। हमें उनकी कुशलता की कामना करनी चाहिए। 400 व्यक्तियो के अतिरिक्त खान में संविद श्रमिक भी काम कर रहे होंगे। इसलिए सही संख्या का पता नहीं लगाया जा सकता। उनके लिए न तो कोई रजिस्टर ही होता है और न ही कोई रिकार्ड। इस खान का प्रबन्ध इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी के पास है।

कुछ वर्ष पूर्व जोतपुर कोयला खान दुर्घटना में 48 लोग मारे गए थे। उस खान का प्रबन्ध भी इसी कम्पनी के पास था। तब जांच के लिए श्री आर० सी० दत्त की अध्यक्षता में एक आयोग बैठाया गया था। आयोग द्वारा दी गई सिफारिशों को अभी तक क्रियान्वित नहीं किया गया।

वर्ष 1973 में कोयला खानों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। क्या चासनाला खान के अधिग्रहण के समय इस खान की स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त की गई थी? इस दुर्घटना के लिए इस्पात तथा खान मंत्रालय को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए कि उन्होंने लापरवाही से कार्य किया तथा अपने कर्त्तव्यों को नहीं निभाया।

मैं समझता हूं कि पूरी जिम्मेदारी ऊर्जा मन्त्रालय और वित्त मन्त्रालय की है। मन्त्री महोदय से मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि क्या खान सुरक्षा महानिदेशक ने अपनी रिपोट में कहा था कि तह संख्या 1 न खोदी जाये? दूसरे क्या यह भी सच है

कि कार्य आरम्भ करने से पूर्व पानी निकालने की रिफारिश की गई थी। तीसरे जब ठेकेदार के कर्मचारी भीतर भेजे गये थे तब क्या भीतर पानी नहीं था। हमारे देश में मनुष्य के जीवन का कोई मूल्य नहीं है। खान मजदूर देश के लिये उत्पादन करते हैं। परन्तु उनकी सुरक्षा की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता।

सरकारी पक्ष के श्रमिक नेता मुझे क्षमा करेंगे कि एक जांच न्यायालय ने निविदा ठेका व्यवस्था को समाप्त किये जाने की सिफारिश की थी परन्तु वह व्यवस्था अभी भी बनी हुई है। पिछले दो वर्षों में सुरक्षा उपायों में कमी आई है। 1973 और 1975 में दो दुघटनाएं हुई थीं। 1973 में 243 व्यक्ति, और 1975 में चासनाला के अतिरिक्त 277 व्यक्ति मारे गये थे। चासनाला समेत 700–800 व्यक्ति मारे गये हैं। पूर्वी क्षेत्र के महा निदेशक ने कहा है कि उनके क्षेत्र में केवल 20 सुरक्षा अधिकारी हैं जबकि उन्हें 1 लाख 70 हजार कर्मचारियों की सुरक्षा देखनी होती है। एक कल्याणकारी राज्य सुरक्षा अधिकारियों की नियुक्ति नहीं कर पाता है। सरकार कोयला निकालने मात्र में रुचि रखती है। खान कर्मचारी अपने जीवन की बाजी लगाकर कोयला निकालते हैं। अधिकारी राष्ट्रीयकरण के विरुद्ध थे। मुझे पता है कि सभी अधिकारी राष्ट्रीयकरण के विरुद्ध नहीं थे। श्री कांति मेहता के वक्तव्य में कहा गया है कि स्वतन्त्रता से पूर्व भी कोयला खानों की स्थिति अत्यन्त विषम थी और उसमें अपेक्षित सुधार नहीं लाये जा सके। इसमें कोई सन्देह नहीं कि सुरक्षा उपायों की अवहेलना अधिक की जाती है। पालन कम किया जाता है।

पर्यवेक्षक कर्मचारियों ने अपने संघ की ओर से दुर्घटना से 4 दिन पूर्व समिति को बताया था सुरक्षा की सभी व्यवस्थाओं की अवहेलना की गई है और खानें उन नियमों की अवहेलना करके चलायी जा रही हैं।

कई बार लोक सभा और राज्य सभा में तथा श्रम परामर्शदाता समिति की बैठकों में श्रमिक संगठनों द्वारा मांग की गई है कि सुरक्षा संगठन को दृढ़ बनाया जाये।

अक्तूबर 1974 में रानीपुर कोयला खान में भूमिगत विस्फोट हुआ था। खान सुरक्षा महानिदेशक ने इसका पूरा दायित्व प्रबन्धकों का ठहराया है। सरकार समितियों, आयोगों की सिफारिशों को विचाराधीन रख लेती है और कोई कार्यवाही नहीं करती, जिससे लोगों की जानें जाती हैं। प्रत्येक वर्ष सैकड़ों आदमियों की मृत्यु हो जाती हैं। वित्त मंत्रालय के पास धन नहीं है अतएव श्रम मंत्रालय योग्य व्यक्तियों की नियुक्ति नहीं कर पाता।

1958 से 1973 के बीच तीन सुरक्षा सम्मेलन हुए जिनमें योग्य निरीक्षकों की नियुक्ति एवं खान सुरक्षा महानिदेशक आदि द्वारा निरीक्षणों की संख्या के बारे में सिफारिशें की गई थीं। एक सिफारिश यह थी कि श्रमिक संगठनों के प्रतिनिधियों को इससे सम्बद्ध किया जाये।

[डा० रानेन सेन]

खान सुरक्षा महानिदेशक ने अपने एक वक्तव्य में कहा था कि बचाव कार्यकर्ता आदि उपलब्ध नहीं हैं। चासनाला दुर्घटना के बाद धनबाद, आसनसोल में भी आवश्यक क्षमता के पम्प उपलब्ध नहीं थे। खान सुरक्षा संगठन के पास इस प्रकार के उपकरण रहने चाहिए।

1958 से 1973 में हुए सम्मेलनों में की गई सिफारिशों में से कोई भी क्रियान्वित नहीं की गई। पश्चिम बंगाल के मुख्य मन्त्री श्री रे ने प्रश्न किया है कि ऐसी दशा में यह सम्मेलन करने का क्या लाभ है। आर० सी० दत्त आयोग द्वारा 1973 में की गई सिफारिशें, जहां तक मुझे पता है, अभी तक भी सरकार के विचाराधीन हैं।

खान संशोधन विधेयक नियुक्त प्रवर समिति ने अपना प्रतिवेदन 1973 में दिया था परन्तु उस विधेयक का कुछ पता नहीं कि अब वह किस स्थिति में है।

24 फरवरी, 1975 को खान सुरक्षा महानिदेशक ने वक्तव्य दिया है कि विधेयक निहित स्वार्थ वाले व्यक्तियों के हाथों संकट में पड़ा हुआ है। किसी ने उस वक्तव्य का खण्डन नहीं किया। किसी भी कीमत पर मृत व्यक्तियों को जीवन नहीं दिया जा सकता। जहां तक राष्ट्रीयकृत खानों का सम्बन्ध है पूरी स्थिति का अध्ययन श्रमिक संगठनों के सहयोग से किया जाना चाहिए। चासनाला जांच समिति की नियुक्ति पर अखिल भारतीय श्रमिक संगठन ने मन्त्री महोदय को पत्र लिखा था और मांग की थी कि मजदूरों के प्रतिनिधि को इसमें स्थान दिया जाये। इस्पात और श्रम मन्त्रियों ने अखिल भारतीय श्रमिक संगठन कांग्रेस को सम्बद्ध करना आवश्यक नहीं समझा। परन्तु यदि हम भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं को रोकना चाहते हैं तो हमें भारत की सभी खानों की विस्तृत जांच करनी चाहिए। अन्त में मैं संतप्त व्यक्तियों के प्रति अपनी सहानुभूति व्यक्त करता हूं।

Shri R. N. Sharma (Dhanbad): The Chasnala mine disaster is very painful for the country and the collieries. The disaster took place on 27th and we reached the spot on 28th noon. The conditions there were very grave. The reason advanced for the disaster is 'roof bust'.

There are different views expressed about the number of persons involved in the disaster. Officially it has been stated as 372 persons. Apart from that there were 11 persons belonging to the contractor. The Manager and the safety officer came out only a few minutes before the disaster. Two first class managers. one second class manager and 17 persons belonging to supervisory staff were also there. This serious matter was discussed in the Chandigarh Congress session. It was also included in the Presidential Address.

Now the question s as to what was the cause of the accident. It is said that according to the maps of 1945 the width of the wall was 45 feet. Moreover more and more powerful plants are being used in order to extract maximum quantity of coal. At a place where accumulation of water was 470 feet and the width of the wall is only 80 feet it is natural that subsidence might have occurred due to pressure. It is said that an attempt was made in 1968 to remove the water but it had to be stopped due to heating.

According to rules this coal mine should have been closed as it is necessary to remove the water first and then fill the vaccum with sand. But this was not been adhered to by the previous mine owners. We should learn lessons from such incidents and take required safety measures.

The recommendations made during the three safety conferences have not as yet been implemented although all the recommendations were unanimous.

Our experts are of the opinion that 60 percent accidents occur due to falling of roofs. Every year 20 lakh man hours are wasted due to accidents of which 75 percent can be averted.

In 1966 two institutions were established for imparting training for safety from fire but hardly 30% persons have been trained. But due to absence of ventilation temperature goes up and at various places it takes the form of gas which causes blasts and explosions. The labourers should be provided with ordinary safety equipments like belts, shoes, caps and drinking water facilities.

Mr. Speaker, in this disaster 24 persons of Nepal, 12 of Punjab, 27 of West Bengal, 21 of Uttar Pradesh, 6 each of Orissa and Madhya Pradesh and 1 each from Maharashtra and Rajasthan have been killed. This comes to 115 and the remaining 260 persons were from Bihar. The Mines Act was introduced in 1972 and the report of the joint committee is pending since 1973. According to Workers Pension Act, 1936 the workers in receipt of Rs. 500 would be entitled to compensation of Rs. 10,000/-. For a person killed in a rail accident the compensation is Rs. 50,000 and for the persons killed in a air accident the compensation is Rs. 1 lakh. My submission is that in the event of an accident the dependents of the persons killed may be considered for employment.

The Coal Mines Welfare organisation has arranged for pensions. The rate of pension of Rs. 25 per widow should be increased. The Coal Mine workers have a very poor opinion about the Labour Department. This situation needs to be improved.

श्री समर मुखर्जी : (हावड़ा) : इस समय जब यहां यह चर्चा चल रही है तब भी भाग्यहीन खान मजदूरों की अनिश्चय की स्थिति बनी हुई है। यह बात सभी ने स्वीकार की है। कि यह खान दुर्घटना सब से अधिक भयंकर है यह आपात स्थिति के दौरान हुई है। इस घटना का कारण यह है अधिकारियों, द्वारा अधिक 'उत्पादन' और 'अनुशासन' का नारा लागू करने का तरीका है। यह रिकार्ड पर है कि रात की पारी के कर्मचारियों ने खान में विस्फोट करने के आदेश के विरुद्ध काम बन्द कर दिया। लगता है उन्हें कुछ आभास हो गया था। परन्तु उनकी मांग की पूरी तरह उपेक्षा कर दी गई। उत्पादन बढ़ाना ही मुख्य प्रयत्न था।

मुझे यह भी बताया गया है कि ओवरसीयर ने लिखित चेतावनी भी दी थी कि यह दीवार कभी भी गिर सकती है।

यह अत्यन्त दुःखद दुर्घटना थी। हमें इसके सभी पहलुओं पर गम्भीरता से विचार करना चाहिए।

वहां के एक अधिकारी ने मुझे बताया कि दैनिक उत्पादन 450--500 टन था। एक जनवरी से 600--700 टन का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। जिम्मेदार अधिकारी उत्पादन बढ़ाने में बहुत उत्सुक थे।

खान अधिनियम के अनुसार सुरक्षा के लिये दीवार की मोटाई 60 मीटर होनी चाहिए परन्तु उपलब्ध नक्शों के अनुसार यह मोटाई केवल 80 फीट है जबकि वास्तव में मोटाई उससे भी बहुत कम है।

मुझे बताया गया है कि दुर्घटना के तुरन्त बाद मजदूरों के हाजरी के रजिस्टर को हटा दिया गया। इसीलिए कर्मचारी कार्यालय प्रबन्धक श्री ओहरी के दफ्तर के बाहर जमा हो गये थे। मुझे बताया गया है कि प्रबन्धक द्वारा अपने सहायक की मदद से हाजरी का रजिस्टर हटा दिया गया था। उपस्थिति रजिस्टर के अनुसार 412 व्यक्ति खान में गये हुये थे और 40 बाहर आये थे। इसके अतिरिक्त कुछ व्यक्ति ऐसे भी थे जो बिना रजिस्टर में हस्ताक्षर किये खान में चले जाते हैं जैसे कि ठेकेदार के आदमी। अतः मेरा निवेदन यह है कि अधिक व्यक्ति घटनाग्रस्त हुये हैं। वहां के स्थानीय प्रबन्धकों द्वारा घटनाग्रस्त लोगों

[श्री समर मुखर्जी]

की संख्या कम से कम बताने का प्रयास हो रहा है। सुधामदिन कोयला खान के बारे में भी मुझे इसी तरह की ही जानकारी प्राप्त हुई है। वहां भी उसके पास भी बहुत सारा पानी एकत्रित हो रहा है और वहां सुरक्षा का उपयुक्त प्रबन्ध नहीं है। मैंने इसके बारे में मन्त्री महोदय को सूचना दी और यह संतोष की बात है कि 5 जनवरी से यह खान बन्द कर दी गई है। मैं यहां यह भी बता दूं कि जीतपुर खान में भी ऐसी ही स्थिति है।

चासनाला खान दुर्घटना से हमारी अनेक सुरक्षा सम्बन्धी आधारभूत त्रुटियां प्रकाश में आई हैं। हमें मालूम हो गया है कि वहां वास्तविक स्थिति क्या है। खानों का प्रबन्ध ठीक ढंग से नहीं चल रहा है। वहां साहूकार गरीब व्यक्तियों पर मनमाने अत्याचार करते हैं। कोयला खानों के राष्ट्रीयकरण के उपरान्त खानों में सुरक्षा के अधिक अच्छे उपाय किये जाने चाहिये थे। आज तक खानों में होने वाली दुर्घटनाओं के बारे में जितनी भी जांच समितियों की सिफारिश प्राप्त हुई हैं उनमें से किसी पर भी अमल नहीं किया गया है। अभी भी वहां के निहित स्वार्थों वाले लोग पूरी तरह से सरकारी तन्त्र पर हावी हैं तथा अपने हितों के अनुरूप कार्य करवा लेते हैं। अब भी यदि खनकों की सुरक्षा सम्बन्धी उपयुक्त उपाय न किये गये तो सम्भवतः हमें भविष्य में इसी प्रकार की और दुर्घटनायें देखनी पड़ें। सरकार को इस मामले पर गम्भीरतापूर्वक विचार कर उपयुक्त कदम उठाने चाहियें। सुरक्षा नियमों का पालन सुचारु रूप से किया जाना चाहिये। इतना कहते हुये अतः मैं दुर्घटनाग्रस्त होने वाले व्यक्तियों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : श्री दामोदर पांडे। आप अपनी बात को केवल 10 मिनट में ही समाप्त करने का प्रयत्न कीजिएगा।

Shri Damodar Pandey (Hazaribagh): An enquiry is being made to look in to the causes of Chasnala disaster and I have also been associated with the enquiry. So in view of this, I will not say anything about the causes of disaster. But in this connection I must submit that this tragedy should be an eye opener for us as it is the greatest disaster of 1975. In our country there are more than 6 lakh coal mine workers and as stated by my friends Dr. Ranen Sen and Shri Sharma all sort of measures should be taken for their safety. The safety of Coal mine workers should not be left at the mercy of Almighty alone. The measures like Workmen Insurance Act and Group Insurance should be implemented at the earliest. Some sort of security guarantee should be there for the coal miners.

श्री सत्येन्द्र नारायण सिन्हा (औरंगाबाद) : पूर्व वक्ताओं के भाषणों से यह बात पूरी तरह स्पष्ट हो गई है कि इस प्रकार की दुर्घटना का सामना करने की हमारी क्षमता कितनी कम है, उसके लिए अपेक्षित साधनों का हमारे पास कितना अभाव है। क्या यह खेद की बात नहीं है कि यद्यपि ऐसी खान दुर्घटनायें हमारे यहां पहले भी घट चुकी हैं परन्तु इसके बावजूद भी अपेक्षित सुरक्षा उपाय नहीं किये गये हैं। यह ठीक है कि सोवियत संघ तथा पोलैण्ड जैसे देश शीघ्र ही हमें उच्च शक्ति वाले पम्प भेजने के लिए तैयार हो गये परन्तु क्या हमें ऐसी दुर्घटना का सामना करने के लिए उच्च शक्ति वाले पम्पों की व्यवस्था नहीं कर लेनी चाहिये थी ?

इसके अतिरिक्त अन्य बात जो मैं इस बारे में यह कहना चाहता हूं कि वहां प्राधिकारियों ने लगभग 80 फुट तह छोड़ी हुई होगी परन्तु केन्द्रीय खनन अनुसन्धान केन्द्र ने तो दो खानों के बीच 160 फुट का अन्तर रखने की सलाह दी थी। इन परिस्थितियों में क्या यह स्पष्ट नहीं है कि दो खानों के बीच सुरक्षित अन्तर रखने के लिए केन्द्रीय अनुसन्धान केन्द्र अथवा खान सुरक्षा महानिदेशक से सलाह न लेकर

खान प्राधिकारियों ने बहुत लापरवाही का परिचय दिया है। श्री शर्मा ने अपने वक्तव्य में यह भी कहा है कि प्राधिकारियों ने नये नक्शे नहीं बनाये थे। वह अपने पुराने नक्शों के अनुसार ही काम करते जा रहे थे जिसके कारण उन्हें खड्ड के पानी के स्तर का पता नहीं चल पाया था। इससे तो यह स्पष्ट पता चलता है कि सरकारी क्षेत्र के प्रबन्धकों ने सुरक्षा प्रबन्धों का प्रयोग अपेक्षित सावधानी के साथ नहीं किया। ऐसा लगता है कि उनका ध्यान केवल 120 लाख टन के उत्पादन पर ही केन्द्रित रहा और वह सुरक्षा उपायों की ओर पूर्णतया उदासीन रहे।

अभी इस दुर्घटना के कारणों की जांच का कार्य चल ही रहा है। आश्चर्य की बात यह है कि मन्त्री महोदय ने अपने वक्तव्य में कहा है कि सुरक्षा प्रबन्धों का ध्यान रखा गया है। मैं समझता हूं कि जब जांच चल रही है तो इन्हें इस प्रकार का वक्तव्य नहीं देना चाहिये था। राष्ट्रीयकरण के उपरान्त इस प्रकार की दुर्घटनाओं की संख्या में वृद्धि होती जा रही है। खानों का समय पर निरीक्षण नहीं किया जाता है। मेरे मित्र डा० रानेन सेन ने कहा है कि खान सुरक्षा महानिदेशालय में कर्मचारियों की संख्या कम है, उनके वेतनमान भी अच्छे नहीं हैं तथा उनके अधिकांश पद भरे नहीं गये हैं। सरकार को इस संगठन की इन त्रुटियों को दूर करने के लिए प्रयत्न करना चाहिये।

यह दुर्भाग्य की बात है कि राष्ट्रीयकरण के उपरान्त भी हम सुरक्षा के प्रति जागरूक नहीं हो पाये हैं। राष्ट्रीयकरण के उपरान्त इस प्रकार की दुर्घटनाओं की संख्या में वृद्धि हुई है। इसका कारण यही है कि सुरक्षा नियमों के पालन की ओर अपेक्षित ध्यान नहीं दिया जा रहा है और नहीं सुरक्षा संगठनों को ही सक्रिय बनाया गया है। अब अदालती जांच का कार्य तो चल ही रहा है। मैं इस सम्बन्ध में इतना स्पष्ट कर दूं कि सरकारी क्षेत्र के प्रबन्धकों को उनकी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं किया जाना चाहिये। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिये कि इस प्रकार की दुर्घटनाएं फिर न हों और यदि हों भी तो बहुत कम हों।

Shri Shankar Dayal Singh (Chatra): It has been rightly stated by hon. Minister that Chasnalla disaster is one of the greatest disaster of recent times. The poor coal-miners who entered the mine on the tragic day of 27th December, their relations had never thought that they will never come back. My heart goes got in sympathy with the victims and their families.

It was day before yesterday when I was at Chasnalla the spot of tragedy. It gave me a sigh of relief to note that our technical personnel were fighting with this calamity at war footing. They are optimistic for saving a few lives and that is why they are working with unprecedented dedication. If they succeed in doing so, it will be a great victory of man against nature.

Several similar disasters have taken place in the past also and on all those occasions, there were discussions in this House and everytime the minister for mines assured that all possible security measures will be taken to avoid the occurrence of such accidents.

[श्री इसहाक सम्भली पीठासीन हुए]

[SHRI ISHAQ SAMBHALI *in the Chair*]

But no vigorous follow up action was taken. It was suggested by the Members that there shouldbe a type of insurance scheme for workers. But this suggestion was never implemented. A personal contact with the people over there will reveal that the workers had their apprehensions about water danger in the mine, they talked about it but no heed was paid to them.

Workers working in the mines should be ensured safety and their family members should be made to believe that their man will come back from the mine.

An enquiry should be conducted into the causes responsible for the collapse of the roof between the old and new mine.

[Shri Shanker Dayal Singh]

It is also said that there contractor system is still prevailing in this and also the adjoining mine at Jeetpur. Workers working under this system have been complaining that no facilities are being provided to them. They are working in the mines without marking presence in the attendance register. It is strange that miners are still subjected to cruel treatment and atrocities even after nationalisation of mines.

I was told during my visit to the Chasnalla that General Manager, Shri J. N. Ohri has earned a clean name for managing the affairs of the mines and that each and every mine met with accidents under his Managership.

It is said that responsibility for this tragic disaster has not so far been fixed. We should ensure non-occurrence of such accidents in future. All those who are found guilty or negligent in the performance of their duties should be taken to task.

Government is no doubt providing relief to the families of the victims of the disaster and shall continue to do so in future also. This issue should be treated on humanitarian grounds and no political motives, as hinted by opposition members, should be assigned to it. We should see to it that such tragic accident do not occur in future.

Mr. Chairman: I request the hon. members not to take more than 7 or 8 minutes each.

सरदार स्वर्ण सिंह सोखी (जमशेदपुर) : इस दुर्घटना से एक महीने पहिले मैंने धनबाद कोयला क्षेत्र का दौरा किया था। मैंने वहां देखा कि छोड़ी गयी खान के अंदर पम्पों द्वारा पानी भरा जा रहा था। पानी भरे जाने का कारण यह बताया गया कि खान सुरक्षा विभाग के प्रयोग हेतु ऐसा किया जा रहा है। समझ में नहीं आता इसके अंदर पानी क्यों भरा गया ? यह एक गंभीर मामला है। यदि अधिकारी लोग कुछ सावधानी से काम लेते तो शायद यह दुर्घटना टाली जा सकती थी। खान के अधिकारी यदि सावधानी से काम लेते तो यह दुर्घटना न होती। खान अधिकारियों तथा खान सुरक्षा विभाग की लापरवाही के कारण ही यह खान दुर्घटना हुई है। खान सुरक्षा महानिदेशक के आखिर क्या कर्तव्य हैं ? कुछ पहिले ही निवारणात्मक उपाय किये जा सकते थे। पता चला है कि अब खान प्राधिकरण और खान सुरक्षा विभाग अब एक दूसरे को दोषी ठहरा रहे हैं। दोषी पाये गये अधिकारी को तुरंत नौकरी से हटा दिया जाये। किसी भी दोषी व्यक्ति को क्षमा न किया जाये तथा इस प्रकार भविष्य के लिये आदर्श स्थापित किया जाये।

Shri Jagannath Mishra (Madhubani): The Chasnalla mine disaster is the greatest and unprecedented. I am satisfied about the relief being given to the families of the victims of the accident. Both the state and Central Governments are doing their all to provide relief to the families hit by the accident.

It is only a technical man or the high powered commission appointed for this purpose who can find out the causes of this mine disaster. This mine disaster has shocked the whole country and the world. President and Prime Minister have expressed their deepest sympathies to the families of the entrapped miners. The greatest problem is to dewater the mine.

The hon. minister deserves to be congratulated for taking timely steps with a view to de water the mine and providing relief to the affected families.

Russia has not only sent pumps but also experts. Poland has also sent 5 pumps. At present 2 Russian pumps are pumping out 11900 gallons of water per minute.

Information centre has been set up there with a view to know the type of assistance required by the people. A Welfare Centre is to serve as a Medical Centre, as a free Rationing Office and as a Survey Office.

In addition, Bihar Government has provided relief at the rate of Rs. 500/- per family additional relief at the rate of Rs. 1000/- per family etc. etc. Chasnalla Emergency Relief Fund has also been set up at the Central level. We have to ensure that relief is to be provided to the deserving and proper man. We have to be very vigilant about it.

We should apply sufficient safety measures in other mines also. Miners are rendering a great service to the cause of the country. Management is responsible for the safety of their life.

Compensation for mine accidents to be provided should be not less than the rates prevailing for Railway or Air accidents. The life of miners is always in danger. Laws relating to compensation should be amended with a view to provide sufficient compensation for mine accidents. There should also be insurance scheme for the miners.

Shri Paripoornanand Painuli (Tehri-Garhwal): There is no doubt that both Central and State Governments are taking necessary steps to provide relief to the families of the entrapped miners. We should have taken necessary precautionary measures to meet such an eventuality. Fortunately friendly countries like Russia and Poland provided us pumps to meet the situation.

Deaths of 375 miners is the result of negligence on the part of management. Responsibility should be fixed for this disaster. Various reports on the mine accidents reveal that 50 percent of such type of accidents take place in the first shift. Court of enquiry and high powered Committee should recommend the maximum punishment to the persons found negligent in the performance of their duties. Workers of this country no doubt, do their duty with a sense of patriotism by taking maximum risks.

Govt. should ensure safety to the miners and severe punishment to those who are found guilty.

श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी (कलकत्ता–दक्षिण) : चसनाला खान दुर्घटना से सारे देश को दुःख पहुंचा है। इस्पात और खान मंत्री श्री चन्द्रजीत यादव ने अपने वक्तव्य में स्पष्ट किया है कि यदि कोई व्यक्ति जीवित बचा है तो सरकार उसे निकालने का भरसक प्रयत्न करेगी। दोनों पक्षों के सदस्य दुर्घटना पर बोल चुके हैं तथा कुछ व्यक्ति दुर्घटनास्थल पर हो भी आये हैं। हमारे देश में आय का मुख्य संसाधन कोयला है, तथा उसी पर देश की मुख्य उपलब्धियां परिवहन तथा ऊर्जा निर्भर करती हैं। जांच पूरी होने तक मैं कोई वक्तव्य देना नहीं चाहता कि क्या यह तोड़-फोड़ अथवा षड़यंत्र का मामला है अथवा नहीं। परन्तु आपातस्थिति के घोषित किये जाने के तुरन्त बाद हमें राज्य बिजली संयंत्रों तथा कुछ रेल दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ा है जिसका कारण तोड़-फोड़ था।

सरकार द्वारा अधिकार में लिये जाने से पूर्व कोयला खानें निजी खान मालिकों के पास थीं, जिन्होंने श्रमिकों तथा देश के संसाधनों का पर्याप्त शोषण किया। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या यह हमारे लिये बहुत बुरी बात नहीं है कि कोयला खानों तथा अन्य क्षेत्रों में सुरक्षा कार्यों में हम 28 वर्ष में भी आत्मनिर्भर नहीं हो सके, और आज भी विदेशी सहायता पर निर्भर कर रहे हैं? इसका यह अर्थ है कि सरकार अथवा मंत्रालय कोयला खान सुरक्षा संगठन की अनिवार्य आवश्यकताओं के बारे में अनभिज्ञ है। सोवियत संघ तथा पोलैंड ने समय पर हमारी सहायता की है परन्तु हमें सदा उनकी सहायता पर निर्भर नहीं रहना चाहिए।

मैं जानना चाहता हूं कि क्या कोयला खान सुरक्षा संगठन ने दुर्घटना के पश्चात् सुरक्षा उपाधानों के सुधार में क्या कार्यवाही की-थी

प्रायः यह सुनने को मिलता है कि सरकार द्वारा चलाये जा रहे प्रतिष्ठानों की कार्य पद्धति संतोषजनक नहीं है। क्या यह सच नहीं है कि कई बार कार्मिकों ने कोयला खान के प्रबन्ध से सम्बद्ध कुछ व्यक्तियों के विरुद्ध कदाचार, लापरवाही की शिकायतें की हैं और यदि हां, तो क्या जीतपुर दुर्घटना के बाद किसी अधिकारी को दण्डित किया गया है।

[श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी]

मैंने पहले भी कहा था कि विमान दुर्घटना में मारे जाने वाले व्यक्तियों के परिवारों को एक लाख रुपया क्षति पूर्ति-दिया जाता है। कोयला खान मजदूरों के साथ क्यों नहीं वैसे ही न्याय किया जाता। खेद की बात है कि हम इस समस्या पर अपेक्षित गम्भीरता से विचार नहीं करते। दुर्घटना से पहले मैं वहां गया था। उन लोगों का मत है कि उनके जीवन सुरक्षित हों अथवा न हों उन्हें अपने जीवन निर्वाह के लिये अपनी जानों को जोखम में डालना ही है।

अफ्रीका के नये स्वतंत्र हुए देशों तथा उन देशों में भी जो अभी परतन्त्र हैं सुरक्षा उपाधान हम से बहुत सुधरे हुए हैं। राष्ट्रीयकरण के पश्चात् सुरक्षा उपाधानों को समन्वित किया जाना स्वीकार किया गया था। परन्तु अभी भी यह कार्य अधूरा पड़ा है।

एक ओर तो प्रबन्धक यह कह रहे हैं कि कोयला खान क्षेत्रों में और भरती की गुंजाइश नहीं है दूसरी ओर श्रमिकों के लिये ठेकेदारी-प्रथा का उपयोग किया जा रहा है। राष्ट्रीयकरण के बाद भी हाजरी के रजिस्टर से यह स्पष्ट नहीं होता कि कितने लोग खानों के भीतर तथा कितने बाहर कार्य कर रहे हैं। यदि ऐसी बात है तो महाप्रबन्धक इन्हें गुप्त क्यों रख रहे हैं।

मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि चसनाला की दुर्घटना के बाद लोगों का हौसला ऊंचा करने के लिये भविष्य में बचाव कार्य सुदृढ़ किये जायें तथा दुर्घटना की जांच करायी जाये।

क्या मंत्री महोदय को पता है कि दिसम्बर के दौरान सुरक्षा उपाधानों की जांच के समय कुछ खतरे की चेतावनी दी गई थी। यदि हां, तो क्या 27 दिसम्बर, 1975 से पूर्व उचित कार्यवाही की जा सकी अथवा नहीं। मैं श्री समर मुखर्जी का आभारी हूं कि उन्होंने घटनास्थल की जांच की परन्तु हमें ऐसी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए जिससे अनुशासन, उत्पादन, आदि पर प्रभाव पड़े।

श्री अमृत नाहटा (बाड़मेर) : मैं शोक संतप्त परिवारों के प्रति सहानुभूति व्यक्त करता हूं। मेरा सुझाव है कि आज जब हम चसनाला दुर्घटना पर चर्चा कर रहे हैं प्रत्येक सदस्य एक दिन का भत्ता पीड़ित परिवारों के लिये दें। सुरक्षा प्रबन्धकों की यह आम धारणा बन गई है कि सुरक्षा नियम उत्पादन में बाधक हैं। इस भ्रम को दूर किया जाना चाहिए तथा सरकार को खान प्रबन्धकों तथा अन्य प्रबन्धकों को यह समझाना चाहिए कि अबाध उत्पादन तथा मानव जीवन की सुरक्षा के लिये सुरक्षा उपाय किये जाने चाहिएं।

प्रतिपूर्ति अधिनियम में शीघ्र ही संशोधन किया जाना चाहिए। किसी खान अथवा अन्य दुर्घटना में मरने वाले व्यक्ति के परिवार को 50 हजार रुपये प्रतिपूर्ति दी जाये। मेरा सरकार से निवेदन है कि जब भी कोयला खानों तथा अन्य खानों में मजदूरों को अपने जीवन का खतरा प्रतीत हो तथा सुरक्षा नियमों में ढील का अनुभव हो तो उन्हें कार्य बन्द करने का अधिकार हो। मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि यदि सुरक्षा नियमों का दृढ़ता से पालन किया जाये तो 80 प्रतिशत दुर्घटनाओं से बचा जा सकता है। जब कभी भी किसी कोयला खान अथवा अन्य खान में दुर्घटना घटे तब यही माना जाये कि कहीं न कहीं सुरक्षा उपायों का उल्लंघन किया गया है। प्रबन्धकों को इसके लिये उत्तरदायी ठहराया जाना चाहिए।

खान सुरक्षा संगठन के कर्मचारियों में वृद्धि की जानी चाहिए तथा उनके वेतनों में समुचित वृद्धि की जानी चाहिए। यह प्रस्ताव रखा गया था कि खान सुरक्षा विभाग को सम्बद्ध मंत्रालय में

रखा जाये। खान सुरक्षा संगठन में महानिदेशक का पद खाली पड़ा है। केवल कार्यवाहक महानिदेशक है। सुरक्षा सम्बन्धी प्रक्रियाओं को पुनरीक्षित किया जाये और सुरक्षा उपायों को दृढ़ता से अपनाया जाये।

Shri Shankar Dayal Singh: As suggested by the hon. Member, I hereby tender my today's D.A. for relief fund.

इस्पात और खान मंत्री (श्री चन्द्रजीत यादव): चासनाला कोयला खान में दुर्घटनाग्रस्त मजदूरों के परिवारों के दुःख सन्ताप और शोक के प्रति अपनी सहानुभूति व्यक्त करने वाले माननीय सदस्यों के साथ मैं पूरी तरह शामिल हूं। वस्तुतः हम आज भी इस स्थिति में नहीं हैं कि मजदूरों का क्या भाग्य होगा लेकिन हमें यह आशा है कि खानों के इतिहास में पहले ऐसे उदाहरण हैं कि खानों में कई सप्ताह तक दबे रहने के बाद भी मजदूरों को बचा लिया गया। और इसी आशा पर सरकार उन्हें बचाने और निकालने के लिये हर सम्भव उपाय कर रही है।

देश में उपलब्ध और विदेशों से प्राप्त सभी संसाधनों को उपयोग में लाया जा रहा है। कुछ मित्र देशों ने अपनी सहायता दी है जिसे हम ने तुरन्त स्वीकार कर लिया है क्योंकि इससे हम खान से शीघ्र जल निकाल सकेंगे और खान में दबे अभागे मजदूरों को बचा सकेंगे।

इस समय इस दुःखद आपदा के कारणों के बारे में कुछ भी कहना उचित नहीं होगा क्योंकि सरकार ने इस दुर्घटना की जांच के लिये अदालती जांच आरम्भ कराई है। अब इस स्थिति में मैं सदन को यही आश्वासन दे सकता हूं कि यदि अदालती जांच इस निष्कर्ष पर पहुंची कि यह दुर्घटना किसी अधिकारी, चाहे वह अधिकारी कितना ही बड़ा क्यों न हो, की लापरवाही से हुई हो, तो उसके साथ किसी प्रकार की नरमी नहीं बरती जायेगी और सरकार उसके विरुद्ध तुरन्त कार्यवाही करेगी।

डा० रानेन सेन ने कहा है कि जिस समय यह दुर्घटना घटी मैं चण्डीगढ़ में था। मुझे 27 दिसम्बर को यह रिपोर्ट मिली मैंने तथा श्रम मंत्री ने अधिकारियों से घटनास्थल पर बातचीत की। हम ने अनुदेश दिये कि देश के कोने-कोने में जहां भी बचाव कार्यों के लिये सामग्री मिले तुरन्त मंगा ली जाये। प्रधान मंत्री को ज्यों ही इसकी सूचना दी गई उन्होंने भी यही अनुदेश दिये। फिर मैंने उस चुनाव क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य श्री आर० एन० शर्मा से सम्पर्क किया। अगले दिन प्रातः हम वहां पहुंच गये थे। हमने देखा कि अपनी सभी संस्थाएं बी०सी०सी० एल० या डी०जी०एम०एस० तथा कम्पनी के अधिकारी बचाव कार्यों में लगे हुए थे। उन्हें राज्य सरकार का पूर्ण सहयोग भी मिल रहा था। बचाव कार्य में राज्य सरकार के अधिकारी तथा स्थानीय निकाय पूरा सहयोग दे रहे थे। इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी के नये प्रशासक को समन्वय कार्य सौंपा गया है। तकनीकी अधिकारियों की एक समिति भी बना दी गई है।

ऐसी दुर्घटना पहले कभी नहीं घटी। ऐसी भयंकर घटना की कभी उम्मीद नहीं की गई थी। 1975 में 29 बार निरीक्षण किया गया था परन्तु किसी असाधारण स्थिति का पता

[श्री चन्द्रजीत यादव]

नहीं चला। दुर्घटना से 12 दिन पूर्व भी डी० जी० एम० एस० ने इसका निरीक्षण किया था। और कोई ऐसा संकेत नहीं मिला। था। इसलिये वहां के अधिकारियों को उत्तरदायी ठहराना सर्वथा अनुचित है। महाप्रबन्धक दुर्घटना से केवल 10 मिनट पहले बाहर आये थे। उन्होंने सुरक्षा अधिकारी के साथ खान का निरीक्षण किया था।

श्री मुंशी ने सुझाव दिया है कि बचाव कार्य सुदृढ़ बनाये जायें। मैं यह तो नहीं कहता कि हमारी सुरक्षा व्यवस्था 100 प्रतिशत दोष रहित है।

1973 के आंकड़ों के अनुसार प्रति 1000 व्यक्तियों पर मृत्यु दर इस प्रकार है :

जापान	1.58
कानेडा	1.15
आस्ट्रेलिया	1.14
अमरीका	0.89
बेल्जियम	0.89
चेकोस्लोवाकिया	0.82
भारत	0.50
पश्चिम जर्मनी	0.49
इंगलैण्ड	0.31

मैं सदस्यों द्वारा व्यक्त भावनाओं से सहमत हूं। दुर्घटना मे प्त क्षति को कम करने के लिये सभी सम्भव उपाय बरते जाने चाहिए। दुर्घटना की सूचना मिलते ही हम लोग दुर्घटनास्थल पर गये तथा बाद में चण्डीगढ़ जाकर प्रधान मंन्त्री को जानकारी दी। मैं सारी कार्यवाही का समन्वय करने की चेष्टा कर रहा हूं।

बाद में फिर मैं और श्रम मन्त्री दुर्घटनास्थल गये और सन्तप्त परिवारों में भी गये। उस क्षेत्र के संसद सदस्य श्री शर्मा वहां मौजूद थे। मजदूर लोग पूरा सहयोग दे रहे हैं। उनके सहयोग के बिना बचाव कार्य जारी रखना असम्भव था। वास्तव में प्रत्येक कर्मचारी यह अनुभव करता है कि बचाव कार्य को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इन आहत व्यक्तियों के आंकड़ों को छिपाना युक्त नहीं है। दुर्भाग्य है कि हम इतने व्यक्तियों की जानें नहीं बचा सके। प्रतिपूर्ति के बारे में दिये गये सुझावों की मैं सराहना करता हूं।

मैं सभा को आश्वासन देना चाहता हूं कि मुआवजे की राशि बढ़ाने तथा ग्रुप बीमा करने के सुझावों पर सरकार सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी और हम यह सुनिश्चित करेंगे कि इन्हें इस तरह से क्रियान्वित किया जाये जिससे हम अपने कर्मचारियों की रक्षा कर सकें। एक ऐसी समिति का गठन किया गया है जिसका मैं अध्यक्ष हूं। समिति यह सुनिश्चित करेगी कि प्रभावित परिवारों को तुरन्त क्या सहायता व राहत दी जानी चाहिये तथा ऐसी दुर्घटनाओं में ग्रसित लोगों को किस तरह की दीर्घकालिक सहायता दी जा सकती है। हम इस बात पर विचार कर रहे हैं कि इस दुर्घटना में ग्रसित

लोगों के बाल बच्चों को शिक्षा देने तथा उनकी लड़कियों की शादी करने के लिए क्या किया जा सकता है। इन परिवारों के लिये दीर्घकालिक पेंशन या भविष्य निधि के बारे में विचार किया जा रहा है।

प्रधान मन्त्री ने अपने राहत कोष में से 4 लाख रुपये की राशि देने की कृपा की है और मुझे कहा है कि यह सहायता एक मुश्त न दी जाये बल्कि हमें इन परिवारों की दीर्घकालिक वास्तविक सहायता देने की योजना बनानी चाहिए। हम इन्हीं अनुदेशों पर विचार कर रहे हैं और आशा है कि ऐसी कोई योजना बना लेंगे।

खान के मुख्य अधिकारी की विशेष रूप से चर्चा हुई है। कहा जाता है कि इनके कारण पहले जीतपुर में भी खान दुर्घटना हुई थी। लेकिन यह बात सही नहीं है। जीतपुर दुर्घटना के समय वह महाप्रबन्धक नहीं थे। जीतपुर दुर्घटना से उनके भाई का सम्बन्ध है।

इस समय किसी अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का अवसर नहीं है। हमारा सर्वप्रथम कार्य तो यह है कि हमें खान में से पानी निकालने के लिए उन सभी लोगों से सहायता लेनी चाहिये जो इस खान के बारे में जानते हैं।

ऐसा भी कहा गया है कि जीतपुर जांच समिति की सिफारिशों पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। यह सही नहीं है। एक सुझाव यह था कि सुरक्षा और वेन्टीलेशन आफि-सरों का एक कैडर बनाया जाये। यह सुझाव लागू कर दिया गया है। फिर एक सुझाव था कि खानों में वेन्टीलेशन आफिसर सुरक्षा अधिकारियों की मदद करें। यह सुझाव भी लागू कर दिया गया है। निरीक्षण अधिकारियों और इंजीनियरों के कर्त्तव्यों के सम्बन्ध में भी कई अनेक सुझाव थे। इन सुझावों को पूरी तरह लागू कर दिया गया था तथा सम्बन्धित अधिकारियों को उनके कर्त्तव्यों का भान करा दिया गया है।

यह कहना भी ठीक नहीं है कि डी० जी० एम० एस० ने खान भाग संख्या एक में काम न करने को मना किया था। इस प्रकार की कोई रिपोर्ट नहीं थी। और उस संगठन ने ऐसा कुछ आभास नहीं दिया था। हमारे अपने उपलब्ध देसी पम्पों की क्षमता 500–800 गैलन प्रति मिनट की है; सोवियत रूस से प्राप्त पम्पों की क्षमता भी 350 गैलन है। ऐसा नहीं कि उनकी क्षमता अधिक है और हम इस दिशा में पिछड़े हुए हैं। इस समय हम प्रति मिनट 12000 गैलन पानी निकालने में सक्षम हैं। 75 प्रतिशत पानी देशी पम्पों द्वारा निकाला जा रहा है। ` यथाशीघ्र खान पर पहुंच गये थे।

इस दुर्घटना को सभी खानों की सुरक्षा के प्रश्न से नहीं जोड़ा जाना चाहिये। सुरक्षा संगठन को और शक्ति सम्पन्न बनाया गया है। परन्तु उसे और शक्ति-सम्पन्न बनाना हमारा कर्त्तव्य है। इसके अतिरिक्त और अधिक आधुनिक तरीके उपलब्ध हैं। और यदि अच्छे योग्य व्यक्ति मिल सके तो हम उनका लाभ उठायेंगे।

खेद की बात है कि कुछ पत्रों ने बड़े अधिकारियों के कथन की चर्चा की है। वास्तविकता यह है कि उन्होने ऐसा कभी नहीं कहा। पानी निकालने का कार्य चल रहा है।

2345 L.S.—9.

[श्री चन्द्रजीत यादव]

समाचारों में ऐसा कुछ भी नहीं छपना चाहिए जो कर्मचारियों के मनोबल को गिराए और उनमें गलतफहमी पैदा करे।

ऐसा भी कहा गया है कि कुछ साहूकार दुर्घटना के शिकार लोगों को तंग कर रहे हैं। बिहार सरकार ने इस दिशा में प्रशंसनीय कार्य किया है। उसने प्रत्येक परिवार की ओर ध्यान दिया है। पुलिस ने भी अच्छा कार्य किया है। किसी को भी लोगों का शोषण नहीं करने दिया जायेगा। इन परिवारों को तंग करने वालों को सख्त से सख्त सजा दी जाएगी।

पटना उच्च न्यायालय के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश से शीघ्रातिशीघ्र जांच करने का अनुरोध किया है। ऊर्जा मंत्री द्वारा नियुक्त एक समिति ने जांच शुरू भी कर दी है। उनकी अध्यक्षता में राहत कार्य समन्वय समिति ने काम शुरू कर दिया है। हर सम्भव कदम उठाया जा रहा है और हमारा प्रयत्न रहेगा कि ऐसी दुर्घटना भविष्य में न हो। जो कुछ भी किया जा सकता है, सरकार वह करेगी।

डा० रानेन सेन (बारसाट) : मैंने ऊर्जा मन्त्रालय के विरुद्ध कुछ टिप्पणी की थी। मैंने कहा था कि उत्पादन की ही ओर अधिक ध्यान दिया जा रहा है और खान सुरक्षा की ओर कोई भी ध्यान नहीं दिया जाता। मैंने कहा था कि आसनसोल तथा रानीगंज की खानें बहुत बुरी हालत में हैं।

श्री चन्द्रजीत यादव : माननीय सदस्य ने जो सुझाव दिया है सरकार उस पर विचार करेगी।

Shri R. S. Pandey (Rajnandgaon) : I want an assurance that family members of the victims of mine accident shall be provided with employment.

श्री चन्द्रजीत यादव : हम ऐसे परिवारों को रोजगार देने के सम्बन्ध में पहले ही घोषणा कर चुके हैं और कुछ लोगों को रोजगार दिया भी जा चुका है।

श्री प्रियरंजन दास मुन्शी (कलकत्ता-दक्षिण) : इस सम्बन्ध में मैं एक सुझाव देना चाहूंगा। इस खान के बन्द हो जाने के बाद वहां काम कर रहे लोगों के लिए रोजगार की क्या व्यवस्था की जायेगी?

श्री चन्द्रजीत यादव : हम इस प्रश्न पर विचार कर चुके हैं। इनमें से 600 के करीब लोग बचाव कार्य में लगे हैं और शेष लोगों को समीपवर्ती खानों में भेज दिया गया है। हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि इन सब लोगों को इस मास का वेतन मिले और इन सब लोगों को रोजगार मिले।

तत्पश्चात् लोक-सभा गुरुवार, 15 जनवरी, 1976/25 पौष, 1897 (शक) के 11 बजे म० प० तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Thursday, January 15, 1976/ Pausa 25, 1897 (Saka).

GMGIPND—Mono N/S—2345 LS—12-3-76—200.